मुसलमान औरतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बातें

औरतों के लिए

इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब

हज़रत मौलाना आ़शिक़ इलाही साहिब
बुलन्द शहरी रह.

मुसलमान औरतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातें

* औरतों के लिए *

इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब

लेखक

हज़रत मौलाना आशिक़ इलाही साहिब बुलन्द शहरी रह.

हिन्दी अनुवादः मुहम्मद इमरान क़ासमी

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा. लि.)

422, मटिया महल, उर्दू मार्किट, जामा मस्जिद

देहली-110006

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब — इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब

लेखक — मौलाना आशिक़ इलाही साहिब

हिन्दी अनुवाद — मुहम्मद इमरान क़ासमी

संयोजक — मुहम्मद नासिर ख़ान

तायदाद — 2100

प्रकाशन वर्ष — फ़रवरी 2004

कम्पोज़िंग — इमरान कम्प्यूटर्स

मुज़फ़्फ़र नगर (0131-2442408)

>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, उर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली-110006

फ़ोन आफ़िस, 23289786, 23289159 आवास, 23280786

विषय सूची

इस्लामी अख़्लाक़ का बयान

अच्छे अख़्लाक़ वाले का रुतबा

हदीसः (1) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक मोमिन बन्दा अपने अच्छे अख़्लाक़ की वजह से रातों-रात नमाज़ में खड़े रहने वाले और दिन भर रोज़ा रखने वाले आदमी का दर्जा पा लेता है। (मिश्कात शरीफ़ पेज 431)

तशरीहः अच्छी ख़स्लत व आदत जिसे नसीब हो जाये तो उसे दुनिया और आख़िरत की ख़ैर मिल गयी। अच्छे अख़्लाक़ का अल्लाह तआ़ला के यहाँ बहुत वज़न है। एक हदीस में इरशाद है कि क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा भारी चीज़ जो मोमिन की तराज़ू में रखी जायेगी वह अच्छे अख़्लाक़ होंगे। लफ़्ज़ "अच्छे अख़्लाक़" के मायने और मफ़हूम में बहुत फैलाव है। इसकी तशरीह में हज़ारों पृष्ठ की किताबें लिखी जा सकती हैं। अल्लाह की सारी मख़्लूक़ के वाजिब हुक़ूक़ अदा करना, छोटों पर नर्मी और शफ़क़त करना, बड़ों का अदब व सम्मान करना, सबको अपनी ज़बान और हाथ की तकलीफ़ से महफ़ूज़ रखना और आगे-पीछे सब की ख़ैरख़्वाही (भला चाहना) करना, धोखा न देना, ख़ियानत न करना, सच बोलना, नर्मी इख़्तियार करना, हर एक से उसके रुतबे के मुताबिक़ बर्ताव करना, जो अपने लिये पसन्द करे दूसरों के लिये वही पसन्द करना, मश्विरा सही देना, बद्-ज़बानी से बचना, हया और शर्म इख़्तियार करना, मख़्लूक़

की हाजतें पूरी करना, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना, बेजा गुस्सा न करना, हसद और कीने को दिल में जगह न देना, ये और इसी तरह की बीसियों बातें हैं जिनको अच्छे अख़्लाक़ का मफ़हूम (मतलब और मायने) शामिल है।

एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! सबसे बेहतर क्या चीज़ है जो इनसान को अ़ता की गयी, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जवाब में फ़रमाया कि ऐसी चीज़ हुस्ने अख़्लाक़ (यानी अच्छे बर्ताव और अच्छे व्यवहार का मामला करना) है। (बैहक़ी)

अच्छे अख़्लाक़ का 'मुज़ाहरा' (प्रदर्शन) सही मायनों में उस वक़्त होता है जब लोगों से तकलीफ़ पहुँचे और सब्र करते हुए ख़ूबी का रवैया इख़्तियार करे।

एक हदीस में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ख़िताब करते हुए इरशाद फ़रमाया कि तू जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डर और गुनाह हो जाये तो उसके बाद ही नेकी भी कर ले, यह नेकी उस गुनाह को मिटा देगी, और लोगों से अच्छे अख़्लाक़ के साथ मेल-जोल रख। (अहमद व तिर्मिज़ी)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मोमिनों में सब से ज़्यादा कामिल ईमान वाला वह है जो उनमें अख़्लाक़ के एतिबार से सबसे अच्छा हो। (अबू दाऊद)

हज़रत मुआ़ज़ और हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा को

जब रसूले ख़ुदा सल्ल० ने यमन का आमिल (गवर्नर) बनाकर भेजा तो वसीयत फ़रमायी कि लोगों के साथ आसानी का बर्ताव कीजियो और सख़्ती से न पेश आइयो। और उनको ख़ुशख़बरियाँ सुनाइयो और नफ़रत न दिलाइयो, और आपस में मिलजुल कर रहियो और इख़्तिलाफ़ न रखियो। (बुख़ारी)

हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब मैंने (यमन जाने के लिये) रिकाब (घोड़े की ज़ीन में लगा हुआ वह गोल लोहे का घेरा जिसमें पाँव रखकर घोड़ेसवार घोड़े पर सवार होता है) में क़दम रखा तो रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझको आख़िरी वसीयत यह फ़रमायी कि ऐ मुआज़! लोगों से अच्छे अख़्लाक़ से पेश आना। (मिश्कात)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ किया करते थे:

अल्लाहुम्-म हस्सन्-त ख़ल्क़ी फ़-अह्सिन् ख़ुलुक़ी

तर्जुमा: ऐ अल्लाह! तूने मेरी सूरत अच्छी बनायी है तू मेरे अख़्लाक़ भी अच्छे कर दे।

'हुस्ने अख़्लाक़' (यानी अच्छे अख़्लाक़ और व्यवहार) का मफ़हूम बहुत विस्तृत है, हम चन्द उसूल लिखते हैं, यानी वे चीज़ें जो बहुत-से अच्छे अख़्लाक़ को जमा करने वाली हैं।

जो अपने लिये पसन्द करे वही दूसरों के लिये पसन्द करे

हदीस: (2) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि

क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, कोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने (मोमिन) भाई के लिये वही पसन्द न करे जो अपने लिये पसन्द करता है।

(मिश्कात शरीफ़ पेज 424)

तशरीहः हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! कौनसा ईमान अफ़ज़ल है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जवाब में इरशाद फ़रमाया कि तू अल्लाह के लिये मुहब्बत करे और अल्लाह के लिये नफ़रत रखे, और अपनी ज़बान को अल्लाह की याद में लगाये रखे। मैंने अ़र्ज़ किया इसके बाद क्या करूँ? फ़रमाया कि तू लोगों के लिये वही पसन्द करे जो अपने लिये पसन्द करता है, और उनके लिये वह ना-पसन्द करे जो अपने लिये ना-पसन्द करता है। (मिश्कात शरीफ़)

इस हदीस से मालूम हुआ कि सब लोगों के साथ ऐसा बर्ताव रखे कि जो अपने लिये पसन्द हो वह सबके लिये पसन्द हो, और जो अपने लिये अच्छा नहीं समझता उसको दूसरों के लिये भी बुरा समझे। जैसे अगर अपने ज़िम्मे किसी का क़र्ज़ आता हो तो यह ख़्याल करे कि मेरा क़र्ज़ चाहता होता तो जल्द से जल्द वसूल करता, लिहाज़ा उसके लिये इसी को पसन्द करूँ और जल्द अदा कर दूँ। इसी तरह अगर किसी पर अपना क़र्ज़ चाहता हो तो यह सोचे कि अगर मुझपर किसी का क़र्ज़ होता तो मैं मोहलत का इच्छुक होता लिहाज़ा मुझे चाहिये कि उसके लिये वही पसन्द करूँ जो अपने लिये पसन्द करता हूँ लिहाज़ा उसको मोहलत दूँ

और मुतालबे में सख़्ती न करूँ। इसी तरह हर मौक़े पर और हर मामले में सोच लिया करे।

दर हक़ीक़त अगर लोग सिर्फ़ इसी एक हदीस पर अ़मल कर लें तो कभी ताल्लुक़ात में खिंचाव और ख़राबी पैदा न हो और सब आराम से ज़िन्दगी गुज़ारें।

हर चीज़ के साथ अच्छाई का बर्ताव करना ज़रूरी है

हदीसः (3) हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दो बातें मैंने (विशेषता के साथ) याद कर रखी हैं। आपने फ़रमाया कि बेशक अल्लाह ने हर चीज़ के साथ अच्छाई का बर्ताव करना ज़रूरी क़रार दिया है, लिहाज़ा जब किसी को (किसी जायज़ वजह से) क़त्ल करो तो ख़ूबी के साथ क़त्ल करो। और जब (जानवर को) ज़िबह करो तो ख़ूबी के साथ ज़िबह करो, और (ख़ूबी की एक सूरत यह है) कि ज़िबह करने वाला छुरी तेज़ कर ले और जानवर को आराम पहुँचाये। (मुस्लिम पेज 152 जिल्द 2)

तशरीहः 'एहसान' 'हुस्न' से लिया गया है जिसका तर्जुमा हमने "ख़ूबी का बर्ताव करना" किया है। मोमिन को चाहिये कि जिससे भी उसका वास्ता पड़े (इनसान हो या जानवर) उससे ख़ूबी का (यानी अच्छा) बर्ताव और अच्छा सुलूक करे। ख़ूबी के बर्ताव का कोई क़ायदा मुक़र्रर नहीं जो बयान कर दिया जाये, यह तो हर शख़्स की अपनी समझ और हालात पर है कि हर मौक़े और हर मामले में ग़ौर करे और सोचे कि इस वक़्त मेरे लिये ख़ूबी के बर्ताव का क्या मौक़ा है? जब ज़िबह और क़त्ल करने में

भी ख़ूबी के बर्ताव की ज़रूरत है जो ज़रा-सी देर का काम है, और जिसमें वक़्ती तकलीफ़ है, तो जिन लोगों से रोज़ाना वास्ता पड़ता हो उनके साथ ख़ूबी का बर्ताव करना किस क़द्र ज़रूरी होगा।

जानवर से अच्छा बर्ताव

ज़िबह करने में ख़ूबी का बर्ताव करने के सिलसिले में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक मिसाल भी ज़िक्र फ़रमायी है और वह यह है कि खट्टल (कुंठ) छुरी से ज़िबह न करे और छुरी को ज़िबह से पहले तेज़ कर ले। साथ ही यह भी फ़रमाया कि ज़िबह होने वाले जानवर को आराम पहुँचाये जिसकी बहुत-सी सूरतें हैं- जैसे यह कि ठन्डा होने से पहले उसकी खाल न उतारे और जिस्म का कोई हिस्सा न काटे, भूखा-प्यासा रखकर ज़िबह न करे। इसी सिलसिले में दीन के आ़लिमों ने लिखा है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह न करे, और छुरी को उसके सामने तेज़ न करे।

एक शख़्स एक बकरी को कान से पकड़कर खींचे लिये जा रहा था, उसे देखकर नबी करीम सल्ल० ने फ़रमाया कि इसका कान छोड़ दे और गर्दन पकड़कर लेजा। (इब्ने माजा)

दूध दूहने में ख़ूबी का बर्ताव यह है कि नाख़ुन बढ़े हुए हों तो उनको तराश कर दूध निकाले ताकि थनों में न चुभें।

सवार होने में ख़ूबी का बर्ताव यह है कि जानवर को ख़्वाह-मख़्वाह न दौड़ाये, उसपर चढ़े-चढ़े बातें न करे, मन्ज़िल पर पहुँचकर उसके चारे की फ़िक्र करे और उसकी काठी और

चारजामा वग़ैरह उतारकर दूसरे काम में लगे, वग़ैरह वग़ैरह।

छोटों पर रहम करने और बड़ों का सम्मान करने की अहमियत

हदीसः (4) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि वह शख़्स हममें से नहीं है जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों का अदब व सम्मान न करे, और अच्छे कामों का हुक्म न करे और बुरे कामों से न रोके।

(मिश्कात शरीफ़ पेज 423)

तशरीहः इस हदीस पाक में चार चीज़ों की बड़ी अहमियत के साथ ताकीद फ़रमायी- अव्वल छोटों पर रहम करना, दूसरे बड़ों का अदब व सम्मान करना, तीसरे अच्छे कामों का हुक्म करना, चौथे बुरे कामों से रोकना। इन चीज़ों की अहमियत हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक ख़ास अन्दाज़ में इरशाद फ़रमायी और वह यह कि जो शख़्स इन चीज़ों पर अ़मल न करे वह हम में से यानी मुसलमानों की जमाअ़त में से नहीं है।

बात यह है कि इस्लाम के बहुत-से तक़ाज़े हैं, यह कह देना कि मैं मुसलमान हूँ! मुसलमान होने के लिये काफ़ी नहीं है। इस्लाम मज़हब सरासर ख़ूबियों का मजमूआ़ है। वह सबके साथ ख़ूबी के साथ पेश आने का हुक्म देता है। इनसान का छोटों से भी वास्ता पड़ता है और बड़ों से भी, छोटों के साथ मेहरबानी और शफ़क़त का बर्ताव किया जाये और बड़ों का अदब व सम्मान किया जाये। छोटों में औलाद और कम उम्र के बहन-भाई,

दूसरे कम-उम्र रिश्तेदार और ग़ैर-रिश्तेदार तथा वे सब लोग जो नौकरी में अपने मातहत हैं, और हाकिमों की सारी रिआया और महकूम (यानी वे सब लोग जो किसी के ताबे और अधीन हैं) और हर वह शख़्स जो किसी भी एतिबार से छोटा हो, दाख़िल है। उन सब के साथ मेहरबानी और शफ़्क़त का बर्ताव किया जाये। इसी तरह बड़ों में हर वह शख़्स दाख़िल है जो किसी भी एतिबार से बड़ा हो, माँ-बाप और तमाम रिश्तेदार जो उम्र में बड़े हों, और दूसरे वे सब लोग जो उम्र में या ओहदे में बड़े हों, उन सब का अदब व सम्मान करना और इकराम व एहतिराम ज़रूरी है। अदब व सम्मान का मतलब इतना ही नहीं है कि अच्छे अलक़ाब के साथ नाम ले बल्कि जानी व माली ख़िदमत करना दुख-तकलीफ़ में काम आना, आराम पहुँचाना और किसी भी तरह से कोई तकलीफ़ न पहुँचाना, यह सब अदब व सम्मान में शामिल है। बहुत-से लोग ज़ाहिर में तो बड़ों का बहुत एहतिराम व अदब करते हैं लेकिन मौक़ा लग जाये तो कच्चा खाने को तैयार रहते हैं, यह कोई इकराम (यानी अदब व सम्मान) नहीं है।

बूढ़ों का अदब व इज़्ज़त करने के बारे में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस किसी जवान ने किसी बूढ़े का इकराम (अदब व सम्मान) उसके बुढ़ापे की वजह से किया तो अल्लाह तआ़ला उसके बुढ़ापे के वक़्त किसी ऐसे आदमी को मुक़र्रर फ़रमायेगा जो उसका इकराम करेगा। (तिर्मिज़ी)

छोटे बच्चे भी रहम व करम के हक़दार हैं

अपने बच्चे हों या किसी दूसरे के, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम छोटे बच्चों से बहुत शफ़क़त का बर्ताव फ़रमाते थे। बच्चों को गोद में भी लेते, प्यार भी करते और चूमते भी थे। एक साहिब देहात के रहने वाले आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और (ताज्जुब से) कहने लगे कि क्या आप हज़रात बच्चों को चूमते हैं? हम तो नहीं चूमते। उसकी बात सुनकर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया: मैं तेरे लिये क्या कर सकता हूँ अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल दी है। (बुख़ारी)

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास (लोगों के) बच्चे लाये जाते थे, आप उनको बरकत की दुआ़ देते थे और उनकी 'तहनीक' फ़रमाते थे। यानी अपने मुँह में खजूर चबाकर बच्चे के मुँह में डाल देते थे, फिर तालू से मल देते थे।

एक बार हज़रत उम्मे क़ैस रज़ियल्लाहु अ़न्हा अपने एक दूध पीते बच्चे को आपकी ख़िदमत में ले आईं, आपने उसको अपनी गोद में बिठा लिया, बच्चे ने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया, आपने ख़ुद ही उसको पाक फ़रमाया। (मिश्कात)

एक बार हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु का छोटा भाई आपकी ख़िदमत में लाया गया, आपने उस बच्चे से फ़रमाया कि ऐ अबू उमैर! तुम्हारी वह चिड़िया क्या हुई? उस बच्चे के पास एक चिड़िया थी जिससे वह खेलता था, वह मर गयी थी तो आपने ऐसा फ़रमाया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने हुज़ूरे

अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा (आपके नवासे) हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके काँधे पर थे। उस वक़्त आप यह दुआ फ़रमा रहे थे: ऐ अल्लाह! मैं इससे मुहब्बत करता हूँ आप भी इससे मुहब्बत फ़रमाइये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैं एक बार दिन चढ़े हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ निकला। आप हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाये और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को आवाज़ देते हुए फ़रमाया: क्या यहाँ छुटवा है, क्या यहाँ छुटवा है? उसके बाद ज़रा-सी देर भी नहीं गुज़री कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आ गये और आप दोनों गले लिपट गये। फिर आपने फ़रमाया ऐ अल्लाह! मैं इससे मुहब्बत करता हूँ आप भी इससे मुहब्बत फ़रमाइये, और जो इससे मुहब्बत करे उससे भी मुहब्बत फ़रमाइये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बढ़कर अपने घर वालों पर मेहरबान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बच्चा इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना के अवाली में एक औरत का दूध पीता था। आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे और हम भी आपके साथ होते थे। आप घर में दाख़िल होते और बच्चे को चूमते, फिर वापस आ जाते। यह बच्चा जिस औरत का दूध पीता था उसका शौहर लुहार का काम करता था, आप तशरीफ़ लेजाते थे और घर भट्टी की वजह से धुएँ में भरा रहता

था। आप इसी हाल में दाख़िल हो जाते थे। (मुस्लिम)

यहाँ यह नुक्ता क़ाबिले ज़िक्र है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अव्वल छोटों पर रहम करने का ज़िक्र फ़रमाया उसके बाद बड़ों का अदब व सम्मान करने का तज़किरा फ़रमाया। इस तरतीब में गोया इस तरफ़ इशारा है कि बड़ों को छोटों पर शफ़क़त और रहम का ख़्याल करना तरतीब के एतिबार से मुक़द्दम है, यानी जब छोटों पर रहम होगा तो वे भी बड़ों का अदब व सम्मान करेंगे, और जब ये छोटे बड़े हो जायेंगे तो जो अपने बड़ों से शफ़क़त का बर्ताव सीखा था उसको अपने छोटों पर इस्तेमाल करेंगे। बहुत-से लोग छोटों पर शफ़क़त तो करते नहीं और उनसे सम्मान व इ़ज़्ज़त की उम्मीद रखते हैं, यह उनकी नादानी है। अगरचे छोटों को यह नहीं देखना चाहिये कि फ़लाँ ने हमारे साथ क्या बर्ताव किया, अपना दीनी फ़रीज़ा यानी बड़े का अदब व सम्मान करने पर अ़मल करने वाले बनें, उनका अ़मल उनके साथ है हमारा अ़मल हमारे साथ है। बुराई का जवाब बुराई से क्यों दें। अच्छे कामों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकने के बारे में हदीस नम्बर 117 के अन्तर्गत हम तफ़सील के सथ बयान कर चुके हैं।

बेवाओं और यतीमों और मिस्कीनों पर रहम खाने और उनकी ख़िदमत करने का सवाब

हदीसः (5) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि मुसलमानों में सबसे बेहतर घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और

उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो। और मुसलमानों में सबसे बुरा घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता हो। (मिश्कात शरीफ़ पेज 423)

हदीसः (6) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बेवाओं और मिस्कीनों के लिये माल कमाने वाला ऐसा है जैसे कोई शख़्स अल्लाह के रास्ते यानी जिहाद में मेहनत और मशक़्क़त के साथ लगा हुआ हो। हदीस को बयान करने वाले कहते हैं कि मुझे याद पड़ता है कि (इसके साथ) यह भी फ़रमाया कि उस शख़्स की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख़्स (रात-रात भर नमाज़ में) खड़ा रहे जिसमें सुस्ती न करे, और जैसे कोई शख़्स (लगातार) रोज़े रखा करे और दरमियान में बेरोज़ा न रहे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 422)

तशरीहः इन रिवायतों से बेवाओं और मिस्कीनों और यतीमों की ख़िदमत की फ़ज़ीलत मालूम हुई। अपने किसी रिश्तेदार के यतीम बच्चे हों या किसी दूसरे मुसलमान के, उनकी परवरिश और देखभाल और दिलदारी की तरफ़ बहुत फ़िक्र के साथ तवज्जोह करनी चाहिये।

हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने किसी यतीम के सर पर हाथ फैरा और यह काम सिर्फ़ अल्लाह के लिये किया तो उसके लिये हर बाल के बदले जिस पर उसका हाथ गुज़रेगा चन्द नेकियाँ मिलेंगी। और जिसने किसी यतीम बच्ची या

बच्चे के साथ अच्छा सुलूक किया जो उसके पास रहता हो तो मैं और वह जन्नत में इस तरह से होंगे। लफ़्ज़ "इस तरह से" फ़रमाते हुए आपने अपनी दोनों उंगलियाँ (बीच वाली और शहादत की उंगली) मिला लीं। (अहमद व तिर्मिज़ी)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपने दिल के सख़्त होने की शिकायत की, आपने फ़रमाया तू यतीम के सर पर हाथ फैरा कर और मिस्कीन को खाना खिलाया कर। (अहमद)

हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मैं और वह औरत जिसके रुख़्सारों (गालों) पर सियाही आ गयी हो, क़ियामत के दिन इन दोनों (उंगलियों यानी बीच की उंगली और उसके पास वाली शहादत की उंगली) की तरह (क़रीब-क़रीब) होंगे। फिर उस औरत की सिफ़त बताते हुए इरशाद फ़रमाया कि सियाह रुख़्सारों वाली औरत से वह औरत मुराद है जो हैसियत वाली और ख़ूबसूरत थी, अपने शौहर से बेवा हो गयी और उसने अपने यतीम बच्चों की परवरिश के लिये अपने नफ़्स को (दूसरा निकाह करने से) रोके रखा, यहाँ तक कि वे बच्चे बड़े होकर उससे अलग हो गये (यानी ख़िदमत के मोहताज न रहे) या वफ़ात पा गये। (अबू दाऊद)

जिस औरत ने अपने यतीम बच्चे की परवरिश के लिये क़ुर्बानी दी और दूसरा निकाह न किया, और बच्चों की ख़िदमत और देखभाल में लगे रहने की वजह से उसका रंग भी बदल

गया, हुस्न व ख़ूबसूरत चेहरे पर सियाही आ गयी, उसके लिये हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं और वह औरत जन्नत में इस तरह से ...... क़रीब-क़रीब होंगे जैसे हाथ की बीच की उंगली और शहादत की उंगली आपस में क़रीब-क़रीब हैं। अल्लाहु अकबर! अल्लाह तआ़ला शानुहू कैसे बड़े मेहरबान हैं कि इनसान अपने बच्चों को पाले और इतना बड़ा रुतबा पाये।

हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मैं तुमको अफ़ज़ल सदक़ा बता दूँ? (फिर) जवाब में फ़रमाया कि सबसे अफ़ज़ल सदक़ा यह है कि तेरी बेटी तेरी तरफ़ वापस लौटायी जाये (यानी तलाक़ या शौहर की वफ़ात की वजह से) अपने मायके में वापस आ जाये और तू उसपर ख़र्च करे, उसके लिये तेरे सिवा कोई कमाने वाला न हो। (इब्ने माजा)

यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करने के फ़ज़ाइल मालूम करने के बाद हर मुसलमान को अपने मुहासबे (आत्म-चिन्तन) की तरफ़ ख़्याल जायेगा कि यतीमों के साथ हम अच्छा सुलूक करते हैं या उनके साथ बुरे सुलूक से पेश आते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनके मुहासबे (आत्म-चिन्तन) में शरीक हो जायें। सबसे ज़्यादा हमको उन लोगों को तवज्जोह दिलाना चाहिये जिनके ख़ानदान में किसी की वफ़ात हो गयी हो और मरने वाले ने अपने पीछे नाबालिग़ (छोटे) बच्चे छोड़े हों, और उन नाबालिग़ बच्चों की परवरिश और ख़िदमत ख़ानदान के किसी और फ़र्द या

चन्द अफ़राद के ज़िम्मे पड़ गयी हो। ये नाबालिग़ बच्चे यतीम होते हैं और जिनके वालिद ने या किसी और 'मूरिस' (वारिस बनाने वाला, मीरास का माल छोड़कर मरने वाला) ने जो माल छोड़ा हो वह उन बच्चों की मिलकियत होता है। आ़म तौर से चूंकि मीरास तक़सीम नहीं की जाती इसलिये बड़े भाई या चचा या वालिद वग़ैरह में से जिसका माल या जायदाद पर क़ब्ज़ा होता है वह मीरास तक़सीम किये बग़ैर अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे ख़र्च करता है। उन यतीम बच्चों पर बालिग़ होने तक थोड़ा-बहुत माल ख़र्च होता है और बाक़ी माल दूसरों पर ख़र्च हो जाता है। जैसे चचा और बड़ा भाई अपने ऊपर और अपनी औलाद के ऊपर ख़र्च कर देते हैं, और बल्कि कई बार पूरी जायदाद अपनी औलाद के नाम मुन्तक़िल कर देते हैं, और जब यतीम बच्चे बालिग़ हो जाते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। इस तरह से यतीमों के माल बेजा खाने और उनकी जायदाद ज़ब्त करने के गुनाहगार होते हैं जिसका वबाल और अ़ज़ाब बहुत बड़ा है।

कुरआन मजीद में इरशाद है:

तर्जुमाः बेशक जो लोग यतीमों के माल ज़ुल्म के तौर पर खाते हैं वे अपने पेटों में आग ही भरते हैं, और वे जल्द ही दहकती आग में दाख़िल होंगे। (सूरः निसा आयत 10)

जिसके पास कोई यतीम बच्चा या बच्ची हो, उसपर लाज़िम है कि उनके माल को जो मीरास में मिला हो या किसी ने उन्हें हिबा कर दिया हो, पूरी तरह महफ़ूज़ रखें और उनकी अहम ज़रूरतों में उसमें से ख़र्च करते रहें और बाक़ायदा हिसाब रखें।

यह तंबीह हमने इसलिये की है कि बहुत-से लोग यूँ समझते हैं कि यतीम-ख़ानों में यतीमों के लिये जो माल जमा होता है बस वही यतीमों का माल है, और उसमें जो लोग घपला करें बस वही गुनाहगार हैं, हालाँकि आम घरों में यतीम बच्चे होते हैं और क़रीब-क़रीब रिश्तेदार उनका माल बेमौक़ा और ग़लत तरीक़े से ख़र्च कर देते हैं और इसमें कोई गुनाह नहीं समझते, और चूँकि लड़कियों को मीरास देने का दस्तूर ही नहीं है इसलिये उनका हिस्सा तो (बालिग़ हों या नाबालिग़) उनके भाई ही हज़म कर जाते हैं और आख़िरत के अ़ज़ाब से बिल्कुल नहीं डरते, अल्लाह तआ़ला समझ दे और अपनी मर्ज़ी के कामों पर चलाये।

अल्लाह तआ़ला ने अपनी मख़्लूक़ में ताक़तवर भी पैदा फ़रमाये हैं और कमज़ोर भी, मालदार भी और ग़रीब भी। और बहुत-से बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाता है और बहुत-सी औ़रतें शौहर से मेहरूम हो जाती हैं। इन सब में अल्लाह तआ़ला की हिक्मतें (मस्लेहतें) हैं। जो लोग ताक़तवर हैं और जिनके पास पैसा है उनको अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करना चाहिये कि हमें कमज़ोर और ग़रीब और मिस्कीन नहीं बनाया। और इस शुक्रिये में यह भी शामिल है कि जो लोग ज़ईफ़ कमज़ोर और यतीम हैं, अपाहिज और माज़ूर हैं, बेकस और मजबूर हैं, उनके साथ अच्छा सुलूक करें, उनकी ख़िदमत भी करें और उनकी माली मदद भी करें। और इस सब का सवाब अल्लाह से तलब करें जिसके साथ सुलूक करें उससे शुक्रिये के भी उम्मीदवार न रहें। सूरः दहर में नेक बन्दों की तारीफ़ करते

हुए फ़रमायाः

तर्जुमाः वे लोग नज़्र (मन्नत) को पूरा करते हैं, और ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख़्ती आम होगी। और वे लोग ख़ुदा की मुहब्बत की वजह से मिस्कीन और यतीम और क़ैदी को खाना खिलाते हैं, हम तुमको सिर्फ़ ख़ुदा की रज़ामन्दी के लिये खाना खिलाते हैं, न हम तुम से बदला चाहते हैं और न शुक्रिया। हम अपने रब की तरफ़ से एक सख़्त और कड़वे दिन का अन्देशा रखते हैं। (सूरः दह्र आयत 7-10)

यानी ख़्वाहिश और ज़रूरत के बावज़ूद अल्लाह तआ़ला की मुहब्बत में अपना खाना शौक़ और ख़ुलूस के साथ मिस्कीनों और यतीमों और क़ैदियों को खिलाते हैं और अपने हाल से और कभी ज़रूरत समझी तो ज़बान से भी कहते हैं कि हम तुमको सिर्फ़ अल्लाह की ख़ुशी के लिये खिलाते हैं। न तुम से कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया, हमें ऐसे दिन का ख़ौफ़ सवार है जो बहुत ही सख़्त और तल्ख़ (कड़वा) होगा। हालाँकि हमारे दिल की नीयत साफ़ है लेकिन इसके बावजूद मक़बूल न होने का डर है, ख़ौफ़ के साथ हर तरह की उम्मीद अल्लाह तआ़ला ही से जुड़ी हुई रखते हैं।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुदा पाक से यह दुआ़ माँगी कि ऐ अल्लाह! मुझे मिस्कीनी की हालत में ज़िन्दा रख और मिस्कीनी की हालत में मौत देना और मिस्कीनों में मेरा हश्र फ़रमाना। (यानी क़ियामत के दिन मुझे मिस्कीनों के साथ उठाना)। यह सुनकर हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने अ़र्ज़ कियाः क्यों या

रसूलल्लाह! आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया इसलिये कि मिस्कीन लोग मालदारों से चालीस साल पहले जन्नत में दाख़िल होंगे। (फिर फ़रमाया कि) ऐ आ़यशा! मिस्कीन को (बग़ैर कुछ दिये) वापस न करना, (जो कुछ हो सके दे देना) अगरचे आधी खजूर ही हो। (फिर यह भी इरशाद फ़रमाया कि) ऐ आ़यशा! मिस्कीनों से मुहब्बत कर और उनको क़रीब कर क्योंकि (इसकी वजह से) क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला तुझे अपनी नज़दीकी का (बुलन्द रुतबा) अ़ता फ़रमायेगा। (मिश्कात शरीफ़)

इस हदीस में मिस्कीनों को नज़दीक करने और उनकी इमदाद करने का ज़िक्र है। ग़रीबों का दिल थोड़ा होता है, अगर उनके पास बैठा जाये और उनकी हमदर्दी की जाये तो अल्लाह तआ़ला बहुत खुश होते हैं। उसका फल दुनिया में भी अच्छा मिलता है और आख़िरत में भी अल्लाह की नज़दीकी हासिल होने का सबब है। मिस्कीनों में ग़ुरूर तकब्बुर शैख़ी बघारना अकड़ना इतराना नहीं होता, उनके साथ बैठने से तवाज़ो (आ़जिज़ी, विनम्रता) और इन्किसारी की सिफ़त पैदा होती है। दुनिया में अगरचे उनको लोग हक़ीर जानें मगर आख़िरत में वे मालदारों से अच्छे रहेंगे, बहुत सालों पहले जन्नत में पहुँच जायेंगे (शर्त यह है कि शरीअ़त के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारते हों, फ़राइज़ के पाबन्द हों, शरीअ़त की मना की हुई चीज़ों से बचते हों)। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने लिये मालदारी पसन्द न फ़रमायी बल्कि मिस्कीन रहने और क़ियामत के दिन मिस्कीनों में उठाये जाने की दुआ़ फ़रमायी।

हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूले

अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

हदीसः तुम मेरी रज़ामन्दी (ख़ुशी) कमज़ोरों और ज़ईफ़ों (की ख़िदमत और हमदर्दी और दिलदारी) में तलाश करो, क्योंकि कमज़ोरों की वजह से तुम्हारी मदद होती है। (मिश्कात शरीफ़)

जो लोग मालदारी के घमण्ड में ग़रीबों को हक़ीर (ज़लील और अपमानित) जानते हैं कैसे ग़ाफ़िल हैं, यह नहीं समझते कि उनकी वजह से हमको रिज़्क़ मिल रहा है। कमज़ोरों का वजूद सबब है और उनकी ख़िदमत अल्लाह तआ़ला की मदद और सहायता हासिल होने का ज़रिया है।

मोमिन को रहमदिल होना चाहिये। रहम मोमिन की ख़ास सिफ़त है। यूँ तो बड़ों-छोटों और बराबर के लोगों और इनसानों और हैवानों और ख़ुदा की सारी मख़्लूक़ पर ही रहम करना चाहिये लेकिन कमज़ोरों, ज़ईफ़ों, मिस्कीनों, मोहताजों, यतीमों, बेवाओं, अपाहिजों पर ख़ास तौर से रहम करने का ख़्याल करे। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने हमें ऐसा बनाया, अगर वह चाहता तो हमको उनके जैसा और उनको हमारे जैसा बना देता।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि रहम करने वालों पर रहमान (यानी अल्लाह तआ़ला) रहम करता है, तुम उनपर रहम करो जो ज़मीन पर हैं तुम पर वह रहम फ़रमायेगा जो आसमान में (यानी सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा करम करने वाला) है। (अबू दाऊद)

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हुज़ूरे अक़्दस

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद नक़्ल फ़रमाया है कि रहमत बदबख़्त ही के दिल से निकाली जाती है। यानी जो लोग रहमदिल नहीं होते बदबख़्त ही होते हैं। (मिश्कात)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सारी मख़्लूक़ अल्लाह का कुनबा है (यानी अल्लाह के आल-औलाद बीवी बच्चे तो हैं नहीं, वह तन्हा और अकेला है, उसका किसी से कोई रिश्ता और नाता नहीं, उसकी मख़्लूक़ ही उसका कुनबा है)। पस अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा वह है जो उसके कुनबे के साथ अच्छा बर्ताव करे। (मिश्कात)

फ़ायदाः इस सारे मज़मून में उन मिस्कीनों और ग़रीबों का ज़िक्र है जो वाक़ई मिस्कीन और ग़रीब हों, पेशेवर लोग जो माँगते फिरते हैं वे उमूमन मालदार होते हैं,. यहाँ उनका ज़िक्र नहीं है। और मिस्कीनों को क़रीब करने और उनके पास बैठने का यह मतलब नहीं कि पर्दे का हुक्म ख़त्म कर दें, बल्कि मर्द उन मर्दों की ख़बर लें जो मिस्कीन हों और औरतें मिस्कीन औरतों की ख़िदमत करें।

माँ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने का बयान

माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करना उम्र के लम्बा होने और रोज़ी में बढ़ोतरी का सबब है

हदीसः (7) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है

कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिसको यह पसन्द हो कि अल्लाह तआ़ला उसकी उम्र लम्बी करे और उसका रिज़्क़ बढ़ाये, उसको चाहिये कि अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करे, और दूसरे (रिश्तेदारों के साथ) सिला-रहमी करे। (यानी अच्छे बर्ताव से पेश आए उनसे ताल्लुक़ ख़त्म न करे)। (दुर्रे मन्सूर पेज 371 जिल्द 4)

तशरीहः इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने से और उनकी ख़िदमत में लगे रहने से उम्र ज़्यादा होती है और रिज़्क़ बढ़ता है। बल्कि माँ-बाप के अ़लावा दूसरे रिश्तेदारों के साथ सिला-रहमी करने से भी उम्र और रिज़्क़ में बढ़ोतरी नसीब होता है। जो लोग माँ-बाप की ख़िदमत की तरफ़ तवज्जोह नहीं करते वे आख़िरत के सवाब से तो मेहरूम होते ही हैं दुनिया में भी नुक़सान उठाते हैं। माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी और ख़िदमत-गुज़ारी और दूसरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने से जो उम्र में और रिज़्क़ में बढ़ोतरी होती है उनको वह नसीब नहीं होती।

हदीसः (8) हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! माँ-बाप का औलाद पर क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसके जवाब में फ़रमाया कि वे दोनों तेरी जन्नत और तेरी दोज़ख़ हैं। (मिश्कात शरीफ़ 124)

तशरीहः इस हदीस से माँ-बाप की ख़िदमत और उनके साथ अच्छा सुलूक करने की फ़ज़ीलत मालूम हुई। जब एक शख़्स ने

माँ-बाप के हुक़ूक़ के बारे में सवाल क्या तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि (मुख़्तसर तरीक़े पर यह समझ ले कि) वे दोनों तेरी जन्नत हैं और तेरी दोज़ख़ हैं। यानी उनके साथ अच्छे सुलूक से पेश आते रहो और उनकी ख़िदमत करते रहो और उनकी फ़रमाँबरदारी में लगे रहो, तुम्हारा यह अ़मल जन्नत में जाने का सबब बनेगा।

और अगर तुमने उनको सताया, तकलीफ़ दी, नाफ़रमानी की तो तुम्हारा यह अ़मल दोज़ख़ में जाने का सबब बनेगा। इससे समझ लो कि उनका हक़ किस क़द्र है, और उनके साथ किस तरह ज़िन्दगी गुज़ारनी चाहिये। क़ुरआन मजीद में माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने और उनकी ख़िदमत व इ़ज़्ज़त करने के बारे में इरशाद फ़रमाया है:

तर्जुमा: और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि सिवाय उसके किसी की इबादत मत करो, और तुम माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक किया करो। अगर तेरे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनको कभी "हूँ" भी मत कहना, और न उनको झिड़कना, और उनसे ख़ूब अदब से बात करना, और उनके सामने शफ़क़त से इन्किसारी के साथ झुके रहना, और यूँ दुआ़ करते रहना कि ऐ मेरे परवर्दिगार! इन दोनों पर रहमत फ़रमाइये जैसा कि इन्होंने मुझको बचपन और छोटी उम्र में पाला है। (सूरः बनी इस्राईल आयत 24)

इस मुबारक आयत में अल्लाह तआ़ला ने अव्वल तो यह हुक्म फ़रमाया कि उसके (यानी अल्लाह के) अ़लावा किसी की

इबादत न करो। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअतों का सबसे बड़ा यही हुक्म है, और इसी हुक्म का पालन कराने के लिये अल्लाह तआला ने तमाम नबियों और रसूलों को भेजा और अपनी किताबें नाज़िल फ़रमाईं और सहीफ़े (यानी अपने अहकाम के छोटे-छोटे रिसाले और पुस्तकें) उतारे। अल्लाह तआला को अक़ीदे से एक मानना और सिर्फ़ उसी की इबादत करना, और किसी भी चीज़ को उसकी ज़ात व सिफ़ात और बड़ाई व इबादत में शरीक न करना, ख़ुदा तआला का सबसे बड़ा हुक्म है।

दूसरे यह फ़रमाया कि माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक किया करो। अल्लाह तआला ख़ालिक़ (पैदा करने और बनाने वाला) है, उसी ने सबको वजूद बख़्शा है। उसकी इबादत और शुक्रगुज़ारी बहरहाल फ़र्ज़ और लाज़िम है। और उसने चूँकि इनसानों को वजूद बख़्शने का ज़रिया माँ-बाप को बनाया है और माँ-बाप औलाद की परवरिश में बहुत कुछ दुख-तकलीफ़ उठाते हैं इसलिये अल्लाह तआला ने अपनी इबादत के हुक्म के साथ माँ-बाप के साथ एहसान करने का भी हुक्म फ़रमाया है, जो क़ुरआन मजीद में जगह जगह ज़िक्र हुआ है। सूरः ब-क़रः में इरशाद है:

तर्जुमा: और (वह ज़माना याद करो) जब हमने बनी इस्राईल से क़ौल व क़रार लिया कि (किसी की) इबादत मत करना सिवाय अल्लाह के, और माँ-बाप के साथ अच्छी तरह से पेश आना।

(सूरः ब-क़रः आयत 83)

और सूरः निसा में इरशाद है:

तर्जुमा: और तुम अल्लाह तआला की इबादत इख़्तियार करो

और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत करना, और माँ-बाप के साथ अच्छा मामला करो। (सूरः निसा आयत 36)

और एक जगह इरशाद फ़रमायाः

तर्जुमाः आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फ़रमा दीजिये कि आओ मैं तुमको वे चीज़ें पढ़कर सुनाऊँ जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फ़रमाया है। वे ये कि अल्लाह तआ़ला के साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ और माँ-बाप के साथ एहसान किया करो। (सूरः अनआ़म आयत 152)

ऊपर ज़िक्र हुई सूरः बनी इस्राईल की आयत में माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म देकर उनके साथ अदब व सम्मान और इज़्ज़त के साथ पेश आने के लिये चन्द नसीहतें फ़रमाई हैं।

पहलीः यह कि माँ-बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाये तो उनको 'उफ़' भी न कहो। मक़सद यह है कि कोई भी ऐसा कलिमा (बात और लफ़्ज़) उनकी शान में ज़बान से न निकालो जिससे उनके सम्मान में फ़र्क़ आता हो, या जिस कलिमे से उनको रंज पहुँचता हो। लफ़्ज़ 'उफ़' मिसाल के तौर पर फ़रमाया है। "बयानुल-क़ुरआन" में उर्दू के मुहावरे के मुताबिक़ इसका तर्जुमा यूँ किया है कि उनको "हूँ" भी मत कहो। यूँ तो माँ-बाप की ख़िदमत और इकराम व एहतिराम हमेशा ही लाज़िम है लेकिन बुढ़ापे का ज़िक्र ख़ुसूसियत के साथ इसलिये फ़रमाया कि इस उम्र में माँ-बाप को ख़िदमत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर बाज़ मर्तबा माँ-बाप इस उम्र में जाकर चिड़चिड़े भी हो जाते हैं

और उनको बीमारियाँ भी लग जाती हैं, औलाद को उनका उगालदान साफ़ करना पड़ता है, मैले और नापाक कपड़े धोने पड़ते हैं, जिससे तबीयत उकताने लगती है और तंगदिल होकर उलटे-सीधे अलफ़ाज़ भी ज़बान से निकलने लगते हैं। ऐसे मौके पर सब्र और बरदाश्त से काम लेना और माँ-बाप का दिल खुश रखना और रंज देने वाले मामूली से मामूली अलफ़ाज़ से भी परहेज़ करना बहुत बड़ी सआदत है, अगरचे इसमें बहुत से लोग फ़ैल हो जाते हैं।

मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि तू जो उनके कपड़ों वग़ैरह से गन्दगी और पेशाब-पाख़ाना साफ़ करता है तो इस मौके पर उफ़ न कह जैसा कि वे भी उफ़ न कहते थे जब तेरे बचपन में तेरा पेशाब-पाख़ाना वग़ैरह धोते थे। (दुर्रे मन्सूर)

'उफ़' कहने की मनाही के बाद यह फिर फ़रमाया कि उनको मत झिड़को। झिड़कना उफ़ कहने से भी ज़्यादा बुरा है। जब उफ़ कहना मना है तो झिड़कना कैसे दुरुस्त हो सकता है? फिर भी साफ़ हुक्म देने के लिये ख़ास तौर से झिड़कने की साफ़ और वाज़ेह लफ़्ज़ों में मुमानअत (मनाही) फ़रमायी है।

दूसरी: दूसरे यह हुक्म फ़रमाया कि:

माँ-बाप से ख़ूब अदब से बात करना।

अच्छी बातें करना, बात करने के अन्दाज़ में नर्मी और अलफ़ाज़ में अदब का लिहाज़ व ख़्याल रखना, यह सब "नर्मी और अदब से बात करने" में दाख़िल है। और इसकी तफ़सीर में कुछ बुज़ुर्गों ने फ़रमाया कि:

"जब माँ-बाप तुझे बुलायें तो कहना कि मैं हाज़िर हूँ और आपका हुक्म मानने के लिये मौजूद हूँ"

हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने "नर्मी से बात करने" की तफ़सीर में फ़रमायाः

"नर्म लहजे में आसान तरीक़े पर बात करो"

हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने फ़रमाया कि ख़तावार ख़रीदे हुए गुलाम जिसका मालिक सख़्त मिज़ाज हो, जिस तरह उस गुलाम की गुफ़्तुगू अपने मालिक के साथ होगी उसी तरह माँ-बाप के साथ बात की जाये तो "नर्मी से बात करने" पर अ़मल हो सकता है। (तफ़सीर दुर्रे मन्सूर)

तीसरीः तीसरे यह इरशाद फ़रमाया किः

"माँ-बाप के सामने शफ़क़त से इन्किसारी के साथ झुके रहना" इसकी तफ़सीर में हज़रत उर्वा रह० ने फ़रमाया कि तू उनके सामने ऐसा तरीक़ा इख़्तियार कर कि उनकी जो दिली रग़बत और ख़्वाहिश हो उसके पूरा होने में तेरी वजह से फ़र्क़ न आये"

और हज़रत अ़ता बिन रिबाह रह० ने इसकी तफ़सीर में फ़रमाया कि माँ-बाप से बात करते वक़्त नीचे-ऊपर हाथ मत उठाना (जैसे बराबर वालों के साथ बात करते हुए उठाते हैं)।

और हज़रत ज़ुहैर बिन मुहम्मद रह० ने इसकी तफ़सीर में फ़रमाया है कि माँ-बाप अगर तुझे गालियाँ दें और बुरा-भला कहें तो तू जवाब में यह कहना कि अल्लाह तआ़ला आप पर रहम फ़रमाये।

चौथी: चौथी नसीहत यह फ़रमायी कि माँ-बाप के लिये यह दुआ करता रहे:

"ऐ मेरे रब! इन दोनों पर रहम फ़रमा जैसा कि इन्होंने मुझे छोटे से को पाला और परवरिश की"

बात यह है कि कभी औलाद हाजतमन्द थी जो बिल्कुल ना-समझ और बिल्कुल कमज़ोर थी, उस वक़्त माँ-बाप ने हर तरह की तकलीफ़ सही और दुख-सुख में ख़िदमत करके औलाद की परवरिश की। अब पचास-साठ साल के बाद सूरते हाल उलट गयी है कि माँ-बाप ख़र्च और ख़िदमत के मोहताज हैं और औलाद कमाने वाली, रुपया-पैसा और घर-बार और कारोबार वाली है, औलाद को चाहिये कि माँ-बाप की ख़िदमत से न घबराये और उन पर ख़र्च करने से तंगदिल न हो। दिल खोलकर जान व माल से ख़िदमत करे और अपने बचपने और छोटी उम्र का वक़्त याद करे, और उस वक़्त उन्होंने जो तकलीफ़ें उठाईं उनको सामने रखे और अल्लाह की बारगाह में यूँ अर्ज़ करे कि ऐ मेरे रब! इन पर रहम फ़रमा जैसा कि इन्होंने मुझे छुटपन में पाला और परवरिश की।

तफ़सीर इब्ने कसीर में है कि एक शख़्स अपनी माँ को कमर पर उठाये हुए तवाफ़ करा रहा था। उसने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि क्या मैंने इस तरह ख़िदमत करके अपनी वालिदा (माँ) का हक़ अदा कर दिया? आपने फ़रमाया कि एक साँस का भी हक़ अदा नहीं हुआ।

(तफ़सीर इब्ने कसीर पेज 35 जिल्द 3)

सूरः लुक़मान में इरशाद है किः

तर्जुमाः और इनसान को हमने माँ-बाप के बारे में ताकीद की (कि उनकी ख़िदमत और फ़रमाँबरदारी करो, क्योंकि उन्होंने ख़ासकर उसकी माँ ने उसके लिये बड़ी मशक़्क़तें झेली हैं, चुनाँचे) उसकी माँ ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी उठाकर उसको पेट में रखा और दो साल में उसका दूध छूटता है। (उन दिनों में भी माँ उसकी हर तरह की ख़िदमत करती है और बाप भी अपनी हालत के मुवाफ़िक़ मशक़्क़त उठाता है, इसलिये हमने अपने हुक़ूक़ के साथ माँ-बाप के हुक़ूक़ को भी अदा करने का हुक्म फ़रमाया है कि) तू मेरी और अपने माँ-बाप की शुक्रगुज़ारी किया कर, मेरी तरफ़ सब को लौटकर आना है। और अगर वे दोनों तुझपर ज़ोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहरा जिसकी तेरे पास कोई दलील नहीं तो तू उनका कहना न मानना, और दुनिया में उनके साथ ख़ूबी के साथ बसर करना। और उस शख़्स की राह पर चलना जो मेरी तरफ़ रुजू हो, फिर तुम सबको मेरी तरफ़ आना है, फिर मैं तुमको जतला दूँगा जो तुम करते थे।

(सूरः लुक़मान आयत 14,15 का तर्जुमा व तफ़सीर बयानुल् कुरआन से)

इन आयतों और हदीसों से माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक और उनकी ख़िदमत करने का हुक्म वाज़ेह तौर पर मालूम हो रहा है। शादी होने के बाद बहुत-से लड़के और लड़कियाँ माँ-बाप को छोड़ देते हैं और बहुत-से लड़के शादी से पहले ही आवारागर्दी इख़्तियार करने की वजह से माँ-बाप से मुँह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों पर लाज़िम है कि तौबा करें और माँ-बाप की

ख़िदमत की तरफ़ मुतवज्जह हों।

माँ-बाप के साथ अच्छे सुलूक का क्या दर्जा है?

हदीसः (9) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान फ़रमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दरियाफ़्त किया कि सब कामों में अल्लाह तआ़ला को कौनसा काम ज़्यादा प्यारा है? आपने फ़रमाया कि वक़्त पर नमाज़ पढ़ना (जो उसका वक़्त मुस्तहब हो)। मैंने अ़र्ज़ किया उसके बाद कौनसा अ़मल अल्लाह को सब आमाल से प्यारा है? आपने फ़रमाया माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करना। मैंने अ़र्ज़ किया उसके बाद कौनसा अ़मल अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है? फ़रमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। (सवाल व जवाब नक़ल करके) हज़रत इब्ने मसऊ़द रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि (मेरे सवालों के जवाब में) हुज़ूर सल्ल० ने मुझसे ये बातें बयान फ़रमाईं और अगर मैं और ज़्यादा सवाल करता तो आप बराबर जवाब देते रहते। (मिश्कात शरीफ़ पेज 58)

तशरीहः इस हदीस पाक में इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अ़मल वक़्त पर नमाज़ पढ़ना है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा महबूब अ़मल यह है कि इनसान अपने माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करे। फिर तीसरे नम्बर पर अल्लाह के रास्ते में जिहाद को फ़रमाया। मालूम हुआ कि माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करना अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी बढ़कर है।

हादीसों में माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक और अच्छा बर्ताव

करने को "बिर्र" से और बुरा बर्ताव करने को "अ़क़ूक़" से ताबीर फ़रमाया है, और दोनों लफ़्ज़ माँ-बाप के अ़लावा दूसरे रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखने के बारे में भी आये हैं। "बिर्र" अच्छा सुलूक करने को और "अ़क़ूक़" बदसुलूकी और तकलीफ़ देने के लिए बोला जाता है।

मुल्ला अ़ली क़ारी रहमतुल्लाहि अ़लैहि मिरक़ात शरह मिश्कात में लिखते हैं कि 'बिर्र' एहसान (यानी अच्छी तरह से पेश आने) को कहते हैं जो माँ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों के साथ बर्ताव करने के लिये इस्तेमाल होता है। और इसके विपरीत 'अ़क़ूक़' है, माँ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों के साथ बुरी तरह पेश आने और उनके हुक़ूक़ ज़ाया करने को अ़क़ूक़ कहा जाता है।

'बिर्र' और 'अ़क़ूक़' के अ़लावा दो लफ़्ज़ और हैं "सिला-रहमी" और "क़ता-रहमी"। मुल्ला अ़ली क़ारी रहमतुल्लाहि अ़लैहि इनकी तफ़सीर करते हुए लिखते हैं कि 'सिला-रहमी' का मतलब यह है कि अपने ख़ानदान और ससुराली रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक किया जाये। उनके साथ मेहरबानी का बर्ताव हो, और उनके हालात की रियायत हो। और 'क़ता-रहमी' इसकी ज़िद है। यानी इसके मायने इसके उलट और विपरीत हैं। जो शख़्स सिला-रहमी करता है वह उस ताल्लुक़ को जोड़ता है जो उसके और उसके रिश्तेदारों के दरमियान है, इसी लिये लफ़्ज़ सिला इस्तेमाल किया गया है, जो 'वस्ल' से लिया गया है। (और वस्ल के मायने मिलने के हैं)। और जो शख़्स बदसुलूकी करता है, वह उस ताल्लुक़ को काट देता है जो उसके और रिश्तेदारों के

दरमियान है, इसलिये इसको क़ता-रहमी से ताबीर किया जाता है।

अच्छा बर्ताव करने में माँ का ज़्यादा ख़्याल रखा जाये

हदीसः (10) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से दरियाफ़्त किया कि (रिश्तेदारों में) मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? इसके जवाब में हुज़ूर सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे अच्छे सुलूक की सबसे ज़्यादा हक़दार है। पूछने वाले ने पूछा फिर कौन? आपने फ़रमाया तुम्हारी माँ! उसने दरियाफ़्त किया फिर कौन? आपने फ़रमाया तुम्हारी माँ। सवाल करने वाले ने अ़र्ज़ किया फिर कौन? फ़रमाया तुम्हारा बाप।

और एक रिवायत में है कि आपने माँ के बारे में तीन बार फ़रमाया कि तेरे अच्छे सुलूक की सबसे ज़्यादा हक़दार वह है। फिर बाप का ज़िक्र फ़रमाया कि वह माँ के बाद अच्छे सुलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार है। फिर फ़रमाया कि बाप के बाद रिश्तेदारों में जो सबसे ज़्यादा क़रीब हो उसके साथ अच्छा सुलूक करो और उस सबसे क़रीब वाले रिश्ते वाले के बाद जो रिश्ते में सबसे ज़्यादा क़रीब हो उसके साथ अच्छा सुलूक करो।

(मिश्कात शरीफ़ पेज 418)

तशरीहः इस हदीस पाक में अच्छे सुलूक की सबसे ज़्यादा हक़दार माँ को बताया है क्योंकि वह हमल (गर्भ) और बच्चे की पैदाईश और परवरिश करने और बच्चे की ख़िदमत में लगे रहने की वजह से सबसे ज़्यादा मशक़्क़त बरदाश्त करती है। और

कमज़ोर होने की वजह से भी अच्छे सुलूक की ज़्यादा हक़दार है क्योंकि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वह काम नहीं कर सकती। बाप तो बाहर निकलकर कुछ न कुछ कर भी सकता है। लिहाज़ा अच्छे सुलूक में माँ का हक़ बाप से ऊपर रखा गया। माँ के बाद बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का दर्जा बताया, और बाप के बाद बाक़ी रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक का हुक्म दिया, और इसमें रिश्तेदारी की हैसियत को मेयार बनाया कि जिसकी रिश्तेदारी जितनी ज़्यादा क़रीबी हो उसके साथ अच्छे सुलूक का उसी क़द्र एहतिमाम किया जाये।

"फ़ज़ाइले सदक़ात" में है कि इस हदीस शरीफ़ से बाज़ आ़लिमों ने यह बात निकाली है कि अच्छे सुलूक और एहसान में माँ का हक़ तीन हिस्से है और बाप का एक हिस्सा, इसलिये कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीन दफ़ा माँ को बताकर चौथी दफ़ा बाप को बताया। इसकी वजह आ़लिम हज़रात यह बताते हैं कि औलाद के लिये माँ तीन मशक़्क़तें बरदाश्त करती है- (1) गर्भ की (2) बच्चे को जन्म देने की (3) दूध पिलाने की।

इसी वजह से दीन के आ़लिमों ने ख़ुलासा किया है कि एहसान और सुलूक में माँ का हक़ बाप से ज़्यादा है। अगर कोई शख़्स ऐसा हो कि वह अपनी ग़रीबी की वजह से दोनों की ख़िदमत नहीं कर सकता तो माँ के साथ सुलूक करना (यानी उसकी ज़रूरत का ख़्याल रखना) मुक़द्दम है, अलबत्ता अदब व सम्मान और इकराम करने में बाप का हक़ मुक़द्दम (पहले) है।

माँ-बाप को सताने का गुनाह और दुनिया में वबाल

हदीसः (11) हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि माँ-बाप को सताने के अलावा तमाम गुनाह ऐसे हैं जिनमें से अल्लाह तआला जिसको चाहते हैं माफ़ फ़रमा देते हैं। और माँ-बाप को सताने का गुनाह ऐसा है कि इस गुनाह के करने वाले को अल्लाह तआला मौत से पहले दुनिया वाली ही ज़िन्दगी में सज़ा दे देते हैं। (मिश्कात शरीफ़ पेज 421)

तशरीहः एक हदीस में इरशाद है कि ज़ुल्म और क़ता-रहमी (यानी रिश्ता और ताल्लुक़ तोड़ने) के अलावा कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसको करने वाला दुनिया ही में सज़ा पाने का ज़्यादा हक़दार हो। इन दोनों गुनाहों के करने वाले को दुनिया में सज़ा दे दी जाती है (लेकिन इससे आख़िरत की सज़ा ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि) उसके लिये आख़िरत की सज़ा भी बतौर ज़ख़ीरा रख ली जाती है। (जब आख़िरत में पहुँचेगा तो वहाँ भी सज़ा पायेगा)।

(मिश्कात शरीफ़)

मालूम हुआ कि माँ-बाप के सताने की सज़ा दुनिया और आख़िरत दोनों जहान में मिलती है। और हदीस नम्बर 173 में गुज़र चुका है कि माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने से उम्र लम्बी होती है और रिज़्क़ बढ़ता है। आजकल मुसीबतें दूर करने और बलायें दूर करने के लिये बहुत-सी ज़ाहिरी तदबीरें करते हैं, लेकिन उन आमाल को नहीं छोड़ते जिनकी वजह से मुसीबतें आती हैं और परेशानियों में गिरफ़्तार होते हैं।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बड़े-बड़े गुनाह ये हैं:

1. अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करना।

2. माँ-बाप की नाफ़रमानी करना।

3. किसी जान को क़त्ल कर देना (जिसका क़त्ल करना शरअ़न क़ातिल के लिये हलाल न हो)।

4. झूठी क़सम खाना। (मिश्कात)

बड़े गुनाहों की फ़ेहरिस्त (सूची) बहुत लम्बी है। इस हदीस में उन गुनाहों का ज़िक्र है जो बहुत बड़े हैं। उनमें से शिर्क के बाद ही माँ-बाप की नाफ़रमानी को ज़िक्र फ़रमाया है। 'अ़क़ूक़' यानी सताने का मफ़्हूम आ़म है, माँ-बाप को किसी भी तरीक़े से सताना, ज़बान से या फ़ेल से उनको तकलीफ़ देना, दिल दुखाना, नाफ़रमानी करना, उनकी ज़रूरत होते हुए उनपर ख़र्च न करना, यह सब 'अ़क़ूक़' में दाख़िल है।

अल्लाह तआ़ला के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा प्यारे आमाल हैं उनमें वक़्त पर नमाज़ पढ़ने के बाद माँ-बाप के साथ अच्छे सुलूक का दर्जा बताया है। (देखो हदीस नम्बर 175) बिल्कुल इसी तरह बड़े-बड़े गुनाहों की फ़ेहरिस्त में शिर्क के बाद माँ-बाप की नाफ़रमानी और उनको तकलीफ़ देने को शुमार फ़रमाया है। माँ-बाप को तकलीफ़ देना किस दर्जे का गुनाह है इससे साफ़ वाज़ेह (स्पष्ट) है।

माँ-बाप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों के साथ अच्छे बर्ताव का का हुक्म

हदीसः (12) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अपने (ख़ानदानी) नसबों को मालूम करो जिन (के जानने) से तुम अपने अज़ीज़ों (रिश्तेदारों) के साथ सिला-रहमी कर सकोगे। क्योंकि सिला-रहमी ख़ानदान में मुहब्बत का ज़रिया बनती है और सिला-रहमी माल बढ़ने का सबब है, और इसकी वजह से उम्र ज़्यादा हो जाती है। (मिश्कात शरीफ़ पेज 420)

तशरीहः इस हदीस पाक में अव्वल तो यह हुक्म फ़रमाया कि अपने माँ-बाप के ख़ानदान के नसबों को मालूम करो यानी यह जानने की कोशिश करो कि रिश्तेदारी की शाख़ें कहाँ-कहाँ तक हैं? और कौन-कौन शख़्स दूर या क़रीब के वास्ते से हमारा क्या लगता है? फिर नसब के शजरे के जानने की ज़रूरत बताई और वह यह कि सिला-रहमी का इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा है और सिला-रहमी हर रिश्तेदार के साथ दर्जा-बदर्जा अपनी हिम्मत व गुन्जाइश के मुताबिक़ करनी चाहिये, इसलिये यह जानना ज़रूरी है कि किससे क्या रिश्ता है? उसके बाद सिला-रहमी के तीन फ़ायदे बताये।

पहलाः यह कि इससे कुनबे और ख़ानदान में मुहब्बत रहती है। जब हम रिश्तेदारों के यहाँ आयेंगे-जायेंगे उनके दुख-सुख के साथी होंगे, रुपये-पैसे या किसी और तरह से उनकी ख़िदमत करेंगे तो ज़ाहिर है कि उनको हमसे मुहब्बत होगी और वे भी

ऐसे ही बर्ताव की फ़िक्र करेंगे। अगर हर फ़र्द सिला-रहमी करने लगे तो पूरा ख़ानदान हसद और कीने से पाक हो जाये और सब राहत व सुकून के साथ ज़िन्दगी गुज़ारें।

दूसराः यह कि सिला-रहमी की वजह से माल बढ़ता है।

तीसराः यह कि इसकी वजह से उम्र बढ़ती है। माँ-बाप के साथ अच्छे सुलूक के फ़ज़ाइल में भी ये दोनों बातें गुज़र चुकी हैं और दोनों बहुत अहम हैं।

सिला-रहमी (यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने) की वजह से अल्लाह तआ़ला राज़ी होते हैं। (अगर कोई शख़्स इसको इस्लामी काम समझकर अन्जाम दे)। और दुनियावी फ़ायदा भी पहुँचता है। अगर माल बढ़ाना हो तो जहाँ दूसरी तदबीरें करते हैं उनके साथ इसको भी आज़माकर देखें। दूसरी तदबीरों के ज़रिये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से माल के इज़ाफ़े का वायदा नहीं और सिला-रहमी इख़्तियार करने पर इसका वायदा है। और उम्र भी ज़्यादा होने के लिये भी सिला-रहमी का नुस्ख़ा अकसीर है। अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इसका भी वायदा है।

अच्छे आमाल से आख़िरत में कामयाबी और बुरे आमाल से आख़िरत में ना-कामयाबी ऐसा खुला मसला है जिसको सब ही जानते हैं। लेकिन आमाल से दुनिया में जो मुनाफ़े और फ़ायदे हासिल होते हैं और इनके ज़रिये जो मुसीबतें दूर होती हैं और बुरे आमाल की वजह से जो मौत से पहले आफ़तों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत-से लोग उनसे वाक़िफ़ नहीं। अगर वाक़िफ़ हैं भी तो इसको अहमियत नहीं देते और दुनियावी

तदबीरों ही के लिये दौड़ते फिरते हैं। और चूँकि बद-आमाली (बुरे क्रम करने) में भी मुब्तला रहते हैं इसलिये दुनियावी तदबीरें नाकाम होती हैं। और न सिर्फ़ यह कि मुसीबतें दूर नहीं होतीं बल्कि नयी-नयी आफ़तें और मुसीबतें खड़ी होती रहती हैं। पस जिस तरह माँ-बाप का सताना और क़ता-रहमी (यानी रिश्ता काटना और ख़त्म) करना दुनिया व आख़िरत के अ़ज़ाब का सबब है उसी तरह माँ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक और सिला-रहमी करना भी माल और उम्र बढ़ने का ज़रिया है। जिन आमाल की जो ख़ासियत अल्लाह ने रखी है वह अपना रंग ज़रूर लाती हैं, अगरचे उन आमाल को करने वाला मक़बूल बन्दा भी न हो और उसके अ़मल का आख़िरत में सवाब भी न मिल सके।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ख़ानदान के लोग जब आपस में सिला-रहमी करते हैं तो अल्लाह तआ़ला उनपर रिज़्क़ जारी फ़रमाते हैं, और ये लोग रहमान (यानी अल्लाह तआ़ला) की हिफ़ाज़त में रहते हैं।

और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिन नेक कामों का बदला जल्द दे दिया जाता है उनमें सबसे ज़्यादा जल्दी बदला दिलाने वाला अ़मल सिला-रहमी है। और इस अ़मल का यह नफ़ा यहाँ तक है कि एक ख़ानदान के लोग फ़ाजिर यानी बदकार होते हैं फिर भी

उनके मालों में तरक़्क़ी होती रहती है और उनके अफ़राद की तायदाद बढ़ती रहती है, जबकि वे सिला-रहमी करते रहते हैं। और (यह भी फ़रमाया कि) जल्द से जल्द अ़ज़ाब लाने वाली चीज़ ज़ालिम और झूठी क़सम है। फिर फ़रमाया कि झूठी क़सम माल को ख़त्म कर देती है और आबाद शहरों को खंडर बना देती है। (दुर्रे मन्सूर पेज 177 जिल्द 4)

रिश्तेदारों से उनके रुतबे और दर्जे के मुताबिक़ अच्छा सुलूक किया जाये

हदीसः (13) हज़रत अबू रमसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुँचा तो आपको यह फ़रमाते हुए सुना कि तू अपनी माँ के साथ और अपने बाप के साथ और अपनी बहन के साथ और अपने भाई के साथ अच्छा सुलूक कर। उनके बाद जो रिश्तेदार ज़्यादा क़रीब दर्जे के हों उनके साथ अच्छा सुलूक कर।

(मुस्तद्रक पेज 151 जिल्द 4)

तशरीहः इस हदीस पाक में माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म फ़रमाने के बाद बहन-भाई के साथ अच्छा सुलूक करने का भी हुक्म फ़रमाया है और फ़रमाया किः

"उनके बाद दूसरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो, और उनमें जो ज़्यादा क़रीब हो उसका ध्यान करो"

मतलब यह है कि सब रिश्ते बराबर नहीं होते। किसी से क़रीब का है किसी से दूर का। और क़रीबी रिश्तेदारों में भी कोई ज़्यादा क़रीब का होता है कोई कम क़रीब का होता है। और यही

हाल दूर के रिश्तों का है। तुम अच्छे सुलूक और सिला-रहमी में रिश्ते के क़रीब और दूर का होने के एतिबार से अच्छा सुलूक और सिला-रहमी करो। जो ज़्यादा क़रीब हो उसको तरजीह दो, फिर जो उससे क़रीब हो उसको देखो, और इसी तरह ख़्याल करते रहो।

यह फ़र्क़ माल के ख़र्च करने में है, सलाम-कलाम में तो किसी से भी पीछे न रहो। क़ता-ताल्लुक़ तो आम मुसलमानों से भी हराम है, अपने रिश्तेदारों और अ़ज़ीज़ों से कैसे दुरुस्त हो सकता है? आम हालात में अपने अ़ज़ीज़ों पर जो कुछ ख़र्च करेगा सवाब पायेगा, लेकिन बाज़ हालात में उन रिश्तेदारों का ख़र्च वाजिब हो जाता है जो मेहरम हों, जिसकी तफ़सील मसाइल की किताबों में मौजूद है और दीन के आ़लिमों से मालूम हो सकती है।

बहुत-से लोग बहन-भाई के साथ ज़ुल्म-ज़्यादती करते हैं। यह हदीस उनके लिये नसीहत है। बहन भाई का रिश्ता माँ-बाप के रिश्ते के सबब से है, इसकी रियायत बहुत ज़रूरी है। उनके साथ अच्छा सुलूक और सिला-रहमी करने का ख़ास ख़्याल रखना चाहिये, लेकिन इसके उलट देखा जाता है, कभी बड़े बहन-भाई छोटे बहन-भाई पर और कभी छोटे बहन-भाई बड़े भाई-बहन पर ज़ुल्म व ज़्यादती करते हैं। अपने पास से उनपर ख़र्च करने के बजाय ख़ुद उनका हक़ दबा लेते हैं। माँ-बाप की मीरास से जो हिस्सा निकलता है उसको हज़्म कर जाते हैं। वालिद (बाप) की वफ़ात हो गयी और बड़े भाई के क़ब्ज़े में सारा माल और

जायदाद है, अब उसको अपनी ज़ात पर और अपने बीवी-बच्चों पर मीरास तक़सीम किये बग़ैर ख़ूब ख़र्च करता है और छोटे यतीम बहन-भाई को दो-चार साल खिला-पिलाकर पूरी जायदाद से मेहरूम कर दिया जाता है। बच्चे जब होश संभालते हैं तो पूरा माल ख़र्च हो चुका होता है और जायदाद बड़े भाई या बड़े भाई की औलाद के नाम मुन्तक़िल (हस्थांतरित) हो चुकी होती है।

ये क़िस्से पेश आते रहते हैं और ख़ासकर जहाँ दो माँ की औलाद हों वहाँ तो मय्यित का छोड़ा हुआ माल (तर्का) बाँटने का सवाल ही नहीं उठने देते। हर एक बीवी की औलाद का जितने माल व जायदाद पर क़ब्ज़ा होता है उसमें से दूसरी बीवी की औलाद को देने के लिये तैयार नहीं होते। हर फ़रीक़ लेने का मुद्दई होता है, इन्साफ़ के साथ देने में नफ़्स को राज़ी नहीं करता। यह बहुत बड़ी क़ता-रहमी होती है। और बहनों को तो माँ-बाप की मीरास से कोई ही ख़ानदान देता है वरना उनका हिस्सा भाई ही दबा लेते हैं जिसमें दीनदारी का लेबल लगाने वाले भी पीछे नहीं होते। बाज़ लोग माफ़ कराने का बहाना करके बहनों का मीरास का हक़ खा जाते हैं। बहनों से कहते हैं कि अपना हिस्सा हमें दे दो। वे यह समझकर कि मिलने वाला तो है नहीं, भाई से क्यों बिगाड़ किया जाये? ऊपर के दिल से कह देती हैं कि हमने माफ़ किया। ऐसी माफ़ी शरअन मोतबर नहीं। हाँ! अगर उनका पूरा हिस्सा उनको दे दिया जाये और मालिकाना क़ब्ज़ा करा दिया जाये, फिर वे दिल की ख़ुशी के साथ कुल या कुछ हिस्सा किसी भाई को हिबा कर दें तो यह मोतबर होगा।

हदीस में यह जो फ़रमाया कि माँ-बाप और बहन-भाई के बाद तरतीबवार जो रिश्तेदार ज़्यादा क़रीब हों उसी क़द्र उसके साथ सिला-रहमी और अच्छे सुलूक का ख़ास ख़्याल रखो। सिला-रहमी के मायने यह नहीं कि माल ही से ख़िदमत की जाए बल्कि माली ख़िदमत करना, हदिया देना, (यानी कोई चीज़ या नक़द रक़म किसी को तोहफ़े में देना) आना-जाना, ग़म और ख़ुशी में शरीअ़त के मुताबिक़ शरीक होना, हंसते-खिलते हुए अच्छे तरीक़े पर मिलना, यह सब सिला-रहमी और अच्छा सुलूक है। इनमें अकसर चीज़ों में माली ख़र्च बिल्कुल ही नहीं होता और दिलदारी हो जाती है। पस जैसा मौक़ा हो और जैसे हालात हों, जिस तरह की सिला-रहमी हो सके करते रहना चाहिये।

जो बदला उतार दे वह सिला-रहमी करने वाला नहीं है

हदीसः (14) हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जो शख़्स बदला उतार दे वह सिला-रहमी करने वाला नहीं है, बल्कि सिला-रहमी करने वाला वह है कि जब उससे क़ता-रहमी का बर्ताव किया जाये (यानी दूसरा रिश्तेदार उससे ताल्लुक़ अच्छी तरह न निभाए) तो वह सिला-रहमी का बर्ताव करे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 419)

तशरीहः इस हदीस पाक में उन लोगों को नसीहत फ़रमायी जो सिला-रहमी की तरग़ीब (प्रेरणा) देने पर यह जवाब देते हैं कि हमें कौन पूछता है जो हम सिला-रहमी करें। हम फ़लाँ के पास जाते हैं तो फूटे मुँह से बात भी नहीं करता। चचा ने यह ज़ुल्म

कर रखा है और भतीजे ने यह ज़्यादती कर रखी है, फिर हम कैसे मिल सकते हैं? हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो भाई-बहन ख़ाला-मामूँ वग़ैरह तुम से अच्छी तरह मिलते हैं, सिला-रहमी और अच्छे सुलूक से पेश आते हैं और उसके बदले में तुम भी मेल-जोल रखते हो और सिला-रहमी करते हो और समझते हो कि हमने सिला-रहमी कर दी तो यह हक़ीक़ी सिला-रहमी नहीं है जिसका शरीअत में मुतालबा है। क्योंकि यह तो बदला उतार देना हुआ, ताल्लुक़ जोड़ना और सिला-रहमी करना न हुआ। सवाब तो इसका भी मिलता है लेकिन असल सिला-रहमी करने वाला वह है जिससे क़ता-रहमी का बर्ताव किया जाये और वह क़ता-रहमी के बावजूद सिला-रहमी करता रहे। जो क़ता-रहमी करे (यानी रिश्ता तोड़े और रिश्ते को बाक़ी रखने का लिहाज़ न करे) उससे मिला करे, सलाम किया करे, कभी-कभी हदिया (कोई चीज़ या नक़द रक़म किसी को तोहफ़े में देना) भी दे। इसमें नफ़्स पर ज़ोर तो पड़ेगा लेकिन इन्शा-अल्लाह सवाब बहुत मिलेगा। और जिसने क़ता-रहमी कर रखी है वह भी अपनी इस लापरवाही से इन्शा-अल्लाह बाज़ आ जायेगा। अगर हर फ़रीक़ इस नसीहत पर अमल कर ले तो पूरा ख़ानदान रहमत ही रहमत बन जाये।

हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फ़रमाया कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मेरी मुलाक़ात हुई तो मैंने जल्दी से आपका हाथ मुबारक पकड़ लिया और आपने (भी) जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर फ़रमाया

कि ऐ उक़बा! क्या मैं तुझे दुनिया और आख़िरत वालों के अफ़ज़ल अख़्लाक़ न बता दूँ? फिर ख़ुद ही फ़रमाया कि जो शख़्स तुझसे ताल्लुक़ तोड़े तू उससे ताल्लुक़ जोड़े रख, और जो शख़्स तुझको मेहरूम कर दे तू उसको दिया कर, और जो शख़्स तुझ पर ज़ुल्म करे उसको माफ़ कर दिया कर। फिर फ़रमाया कि ख़बरदार! जो यह चाहे कि उसकी उम्र लम्बी हो और रिज़्क़ में ज़्यादती हो उसको चाहिये कि अपने रिश्तेदारों से सिला-रहमी का बर्ताव करे। (मुस्तद्रक हाकिम पेज 162 जिल्द 4)

रिश्ता और ताल्लुक़ तोड़ने का वबाल

हदीसः (15) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बयान है कि मैंने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि उस क़ौम पर रहमत नाज़िल नहीं होती जिसमें कोई शख़्स क़ता-रहमी (रिश्ता और ताल्लुक़ात ख़त्म) करने वाला मौजूद हो।

फ़ायदाः जिस तरह सिला-रहमी से अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं इसी तरह क़ता-रहमी की वजह से अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत रोक लेते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ़ क़ता-रहमी करने वाले से बल्कि उसकी पूरी क़ौम से रहमत रोक ली जाती है। जिसकी वजह यह है कि जब एक शख़्स क़ता-रहमी करता है तो दूसरे लोग उसको सिला-रहमी पर आमादा नहीं करते बल्कि ख़ुद भी उसके जवाब में क़ता-रहमी का बर्ताव करने लगते हैं।

हदीसः (16) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से

रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि लफ़्ज़ "रहम" लिया गया है लफ़्ज़ "रहमान" से, (जो अल्लाह का नाम है)। पस अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि (ऐ रहम) जिसने तुझे जोड़े रखा (यानी तेरे हुक़ूक़ अदा किये) मैं उसको रहमत के साथ अपने से मिला लूँगा। और जिसने तुझे काट दिया मैं उसको (अपनी रहमत से) काट दूँगा। (यानी रहमत के दायरे से अलग कर दूँगा)। (मिश्कात शरीफ़ पेज 419)

फ़ायदाः एक हदीस में इरशाद हैः

"क़ता-रहमी करने वाला जन्नत में दाख़िल न होगा" (बुख़ारी)

मालूम हुआ कि क़ता-रहमी की सज़ा दुनिया व आख़िरत दोनों में भुगतनी पड़ती है। बहुत-से ख़ानदानों में सालों-साल गुज़र जाते हैं और आपस के ताल्लुक़ात ठीक नहीं होते। आपस में क़त्ल व ख़ून तक हो जाते हैं और मुक़दमे-बाज़ी तो रोज़ाना का मशग़ला बन जाता है। भाई-भाई कचेहरी में दुश्मन बने खड़े होते हैं। कहीं चचा व भतीजे एक-दूसरे से उलझ रहे हैं, कहीं भाई-भाई में झगड़ा है। एक ने रिहाइश की जायदाद दबा ली है दूसरे ने खेती-बाड़ी की ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है। लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, न सलाम है न कलाम है, आमना-सामना होता है तो एक-दूसरे से मुँह फेरकर गुज़र जाते हैं। भला इन चीज़ों का इस्लाम में कहाँ गुज़र है? अगर सिला-रहमी के उसूल पर चलें तो ख़ानदानों की हर लड़ाई फ़ौरन ख़त्म हो जाये। जो लोग क़ता-रहमी को अपना लेते हैं उनकी आने वाली नस्लों को क़ता-रहमी (ताल्लुक़ और रिश्ता तोड़ने) के नतीजे (परिणाम)

सालों-साल तक भुगतने पड़ते हैं। ऐ अल्लाह हमारे आमाल और हालात का सुधार फ़रमा।

आपस में एक-दूसरे की मदद करने की अहमियत और फ़ज़ीलत

हदीसः (17) हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि तुम ईमान वालों को आपस में रहम करने और मुहब्बत और शफ़क़त रखने में एक जिस्म की तरह देखोगे। (यानी वे इस तरह होंगे जैसे एक ही जिस्म होता है) कि जब एक अंग और हिस्से में तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म बेख़्वाबी (अनिद्रा) और बुख़ार को बुला लेता है। (मिश्कात पेज 422)

तशरीहः एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः सारे मुसलमान एक शख़्स की तरह हैं कि अगर आँख में तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है, और अगर सर में तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। (मुस्लिम)

हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिये एक इमारत की तरह है कि इमारत के हिस्से (ईंट पत्थर चूना वग़ैरह) एक-दूसरे को मज़बूत रखते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उंगलियों में उंगलियाँ डालीं (और एक-दूसरे का मददगार होने की सूरत बताई)। (बुख़ारी व मुस्लिम)

अब अपनी हालत पर ग़ौर कीजिये और इस ज़माने के मुसलमान कहलाने वाली क़ौम का भी पता चलाइये कि अपने मतलब के लिये मुसलमान को हर मुमकिन सूरत से नुक़सान पहुँचाने के लिये तैयार हैं। परेशान हाल की मदद करना और ख़बर लेना तो बड़ी चीज़ है उसके पास को गुज़रना और उसको तसल्ली देना भी बोझ गुज़रता है। अपने मतलब को दुनिया भर को इस्लामी भाई बना लें और जहाँ दूसरे का कोई काम अटका फ़ौरन बिरादरी का रिश्ता तोड़ डाला।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिसने मेरे किसी उम्मती की हाजत पूरी कर दी ताकि उसको ख़ुश करे तो उसने मुझको ख़ुश किया, और जिसने मुझे ख़ुश किया उसने ख़ुदा को ख़ुश किया, और जिसने ख़ुदा को ख़ुश किया ख़ुदा उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा। (बैहक़ी)

एक हदीस में है कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिसने किसी परेशान हाल की मदद की ख़ुदा उसके लिये तिहत्तर (73) मग़फ़िरतें लिख देगा। उनमें से एक में से उसके सब काम बन जायेंगे और बहत्तर (72) क़ियामत के दिन उसके दर्जे बुलन्द करने के लिये होंगी।

मुसलमान को नुक़सान पहुँचाना और उसको धोखा देना लानत का सबब है

हदीसः (18) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने

इरशाद फ़रमाया कि वह शख़्स मलऊन है (यानी उसपर धुतकार है) जो किसी मोमिन को नुक़सान पहुँचाये या उसके साथ फ़रेब करे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 428)

तशरीहः इस हदीस पाक में इस बात से बचने की सख़्त ताकीद की है कि किसी मोमिन को नुक़सान पहुँचाया जाये या उसके साथ मक्कारी की जाये। ऐसा करने से सिर्फ़ मना ही नहीं फ़रमाया बल्कि ऐसा करने वाले को मलऊन क़रार दिया। जिस पर लानत की जाये उसको मलऊन कहते हैं।

'ज़रर' हर तरह के नुक़सान और तकलीफ़ को कहते हैं। किसी भी मुसलमान को किसी तरह का ज़रर और नुक़सान और तकलीफ़ पहुँचाना सख़्त वबाल की बात है। मोमिन के साथ मक्कारी और फ़रेब करना, उसको धोखा देना और फ़रेब देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख़्स ऐसा करे उसको भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मलऊन बताया।

मोमिन का काम यह है कि सारी मख़्लूक़ को नफ़ा पहुँचाये और ख़ासकर मोमिन बन्दों की हर तरह से ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी करे। उनको नफ़ा पहुँचाये, तकलीफ़ से बचाये, दुख-दर्द में काम आये, और इस तरह से ज़िन्दगी गुज़ारे कि पास-पड़ोस के लोग और हर वह शख़्स जिससे कोई भी वास्ता हो अपने दिल से यह यक़ीन करे कि यह मुसलमान आदमी है। सारी दुनिया मुझे नुक़सान पहुँचा सकती है लेकिन चूँकि यह शख़्स मुसलमान है इसलिये इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँच सकती।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान फ़रमाया कि

एक बार कुछ लोग बैठे हुए थे। हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और वहाँ खड़े हो गये और फ़रमायाः क्या मैं तुमको यह बता दूँ कि तुम में अच्छा कौन है? और बुरा कौन है? यह सुनकर मौजूद लोग ख़ामोश हो गये। आपने तीन बार यही सवाल फ़रमाया तो एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! ज़रूर बताइये कि हम में बुरा कौन है और अच्छा कौन है? आपने फ़रमाया तुम में सबसे बेहतर वह है जिससे ख़ैर की उम्मीद की जाती हो और उसके शर की जानिब से इतमीनान हो। (यानी लोग इस बात का यक़ीन रखते हों कि इस शख़्स से किसी तरह का नुक़सान न पहुँचेगा) और (फ़रमाया कि) तुममें बदतरीन (बुरा) आदमी वह है जिससे ख़ैर की उम्मीद न की जाती हो और जिसके शर (बुराई) से लोग बेख़ौफ़ न हों। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मुसलमान वह है जिसकी ज़बान से और हाथ से मुसलमान सलामत रहें। (यानी उनको कोई दुख-तकलीफ़ उसकी तरफ़ से न पहुँचे)। और मोमिन वह है जिसकी तरफ़ से लोगों को अपने ख़ूनों और मालों पर इतमीनान हो कि इस शख़्स से कोई जानी माली नुक़सान न पहुँचेगा। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

देखो! हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बात कहने का कैसा अन्दाज़ इख़्तियार फ़रमाया। यह फ़रमाने के बजाय कि लोगों को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, यूँ फ़रमाया कि अपनी ज़िन्दगी का ढंग और लोगों के साथ बर्ताव का ऐसा तौर-तरीक़ा

रखो कि उनके दिलों में यह बात बैठ जाये कि सारी दुनिया हमें नुक़सान पहुँचा सकती है लेकिन इससे हमें नुक़सान नहीं पहुँच सकता।

हदीस में मोमिन के साथ मकर (फ़रेब और धोखा) करने की भी सख़्त मज़म्मत (निन्दा) फ़रमायी। 'मकर' और 'ग़दर' और धोखा और फ़रेब मोमिन का काम नहीं है। और मोमिन के साथ मकर करना और धोखा देना तो बहुत ही सख़्त वबाल की चीज़ है। बहुत-से लोग हमदर्द बनकर अन्दर-अन्दर जड़ काटते हैं। ज़ाहिर में दोस्त और बातिन में (यानी अन्दर से) दुश्मन होते हैं। कई बार मक्कारी के साथ मुसलमान भाई से ऐसी बात कहते हैं जिस में उसका नुक़सान होता है और उसको यह यक़ीन दिलाते हैं कि हम तुम्हारी हमदर्दी कर रहे हैं, और उस सिलसिले में झूठ बोल जाते हैं। सीधा-सादा मुसलमान ऐसी मक्कारी की बात का यक़ीन कर लेता है और उसको सच्चा जान लेता है, फिर नुक़सान उठाता है। इसमें झूठ और ख़ियानत दोनों जमा हो जाते हैं। फ़रमाया हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि यह बड़ी ख़ियानत है कि तू अपने मुसलामन भाई से कोई ऐसी बात करे जिस में तू झूठा हो और वह तुझे सच्चा जान रहा हो। (अबू दाऊद)

जो शख़्स मोमिन के साथ मकर करे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसे भी मलऊ़न क़रार दिया। अल्लाह तआ़ला हमें इस तरह की हरकतों से बचाए आमीन।

पड़ोसियों के हुकूक़ और उनके साथ अच्छा सुलूक करना

हदीसः (19) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! बेशक फ़लाँ औरत ऐसी है कि उसकी नमाज़-रोज़ा और सदक़े की कसरत (अधिकता) का (लोगों में) तज़किरा रहता है, लेकिन उसके साथ यह बात भी है कि वह अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से तकलीफ़ देती है। यह सुनकर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह औरत दोज़ख़ में है। फिर उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! बेशक फ़लाँ औरत के बारे में लोगों में यह तज़किरा रहता है कि (नफ़िल) रोज़े और (नफ़िल) नमाज़ कम अदा करती है, और पनीर के कुछ टुकड़े सदक़े में दे देती है और अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से तकलीफ़ नहीं देती। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वह जन्नत में जाने वाली है। (मिश्कात शरीफ़ पेज 425)

तशरीहः इनसान को अपने घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा और तक़रीबन रोज़ाना अपने पड़ोसियों से वास्ता पड़ता है। पड़ोसियों के अहवाल व अख़्लाक़ मुख़्तलिफ़ होते हैं, उनके बच्चे भी घर आ जाते हैं, बच्चों-बच्चों में लड़ाई भी हो जाती है। पड़ोस की बकरी और मुर्ग़ी भी घर में चली आती है, इन चीज़ों से नागवारी हो जाती है और नागवारी बढ़ते-बढ़ते बुग़्ज़ व कीना और ताल्लुक़ात तक को ख़त्म करने की नौबत पहुँच जाती है, और हर फ़रीक़ एक-दूसरे पर ज़्यादती करने लगता है, और

ग़ीबतों और तोहमतों बल्कि मुक़द्दमे-बाज़ियों तक नौबत आ जाती है। और ऐसा भी होता है कि बाज़ मर्द और औरत तेज़-मिज़ाज और तेज़-ज़बान होते हैं, बग़ैर किसी वजह के बद-ज़बानी से लड़ाई का सामान पैदा कर देते हैं। औरतों की बद-ज़बानी तेज़-कलामी तो कई बार इस हद तक पहुँच जाती है कि पूरा मौहल्ला उनसे बेज़ार रहता है। इसी तरह की एक औरत के बारे में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया गया कि बड़ी नमाज़न है, ख़ूब-ख़ूब सदक़ा करती है, नफ़्ली रोज़े भी ख़ूब ज़्यादा रखती है लेकिन इस सब के बावजूद उसमें एक यह बात है कि अपनी बद-ज़बानी से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वह दोज़ख़ी है। देखो! पड़ोसियों को सताने के सामने नमाज़-रोज़े की कसरत से भी काम न चला। इसके उलट (विपरीत) एक दूसरी औरत का ज़िक्र किया गया जो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेती थी, फ़र्ज़ रोज़ा रख लेती थी, ज़कात फ़र्ज़ हुई तो वह भी दे दी, नफ़्ली नमाज़-रोज़ा और सदक़े की तरफ़ उसको ख़ास तवज्जोह न थी, लेकिन पड़ोसी उसकी ज़बान से महफ़ूज़ थे। जब उसका तज़किरा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने किया गया तो आपने उसको जन्नती फ़रमाया।

पड़ोसियों के साथ अच्छे अख़्लाक़ और अच्छे मामलात के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने की इस्लामी शरीअत में बहुत ज़्यादा तरग़ीब (प्रेरणा) दी गयी है। उससे जो तकलीफ़ पहुँचे सब्र करे और अपनी तरफ़ से उसको कोई तकलीफ़ न पहुँचाये, और उसकी मुश्किलों और मुसीबतों में काम आये। जहाँ तक मुमकिन हो

उसकी मदद करे, उसके घर के सामने कूड़ा-कचरा न डाले, उसके बच्चों के साथ शफ़क़त का बर्ताव करे। इन बातों का लिखना, बोल देना और सुन लेना तो आसान है लेकिन अ़मल करने के लिये बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। अगर किसी तरह का कोई अच्छा सुलूक न कर सके तो कम-से-कम इतना तो ज़रूर कर ले कि उसको कोई तकलीफ़ न पहुँचाये, और आगे-पीछे उसकी ख़ैरख़्वाही करे। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम मुझे बराबर पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करने की वसीयत करते रहे यहाँ तक कि मैंने यह गुमान किया कि वह पड़ोसी को वारिस बनाकर छोड़ेंगे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचाना तो क्या उसके साथ इस तरह से ज़िन्दगी गुज़ारे कि उसको किसी क़िस्म का कोई ख़तरा या खटका इस बात का न हो कि फ़लाँ पड़ोसी से मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी।

एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! वह मोमिन नहीं है, अल्लाह की क़सम! वह मोमिन नहीं है, अल्लाह की क़सम! वह मोमिन नहीं है। अ़र्ज़ किया गया या रसूलल्लाह! किसके बारे में इरशाद फ़रमा रहे हैं? फ़रमायाः जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से बेख़ौफ़ न हो। (मुस्लिम)

और एक रिवायत में यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यूँ फ़रमाया कि वह शख़्स जन्नत में दाख़िल न होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से बेख़ौफ़ न हो। (मुस्लिम)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत

है कि एक शख़्स ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मैं अपने बारे में कैसे जानूँ कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ? हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तू अपने पड़ोसियों से सुने कि वे तेरे बारे में यह कह रहे हैं कि तू अच्छे काम करने वाला है तू तो अच्छा है। और जब तू सुने कि वे तेरे बारे में यह कह रहे हैं कि तू बुरे काम करने वाला है, तो तू बुरा है। (इब्ने माजा)

यह इसलिये फ़रमाया कि इनसान के अच्छे-बुरे अख़्लाक़ सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पड़ोसियों के सामने आते हैं। और उनकी गवाही इसलिये ज़्यादा मोतबर है कि उनको बार-बार देखने का और तजुर्बा करने का मौक़ा मिलता है।

एक दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आटा पीसकर छोटी-छोटी रोटियाँ पकाईं, उसके बाद उनकी आँख लग गयी, इसी दौरान में पड़ोसन की बकरी आयी और वे रोटियाँ खा गयी। आँख खुलने पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसके पीछे दौड़ीं, यह देखकर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ऐ आयशा! पड़ोसी को उसकी बकरी के बारे में न सताओ। (अल-अदबुल मुफ़रद)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि वह शख़्स मोमिन नहीं है जो अपना पेट भर ले और उसका पड़ोसी उसकी बग़ल में भूखा हो। (बैहक़ी)

एक हदीस में इरशाद है कि क़ियामत के दिन सबसे पहले

'मुद्दई' (दावा करने वाला) और 'मुद्दआ अलैहि' (जिस पर दावा किया जाए) दो पड़ोसी होंगे। (अहमद)

इन सब हदीसों से मालूम हुआ कि पड़ोसी पर किसी तरह से कोई ज़ुल्म व ज़्यादती तो बिल्कुल ही न करे, और जहाँ तक मुमकिन हो उसकी ख़िदमत, दिलदारी और मदद करे। पड़ोसियों को हदिया (कोई चीज़ या नक़द रक़म किसी को तोहफ़े में देना) लेने-देने का बयान ज़कात के बयान में गुज़र चुका है।

जब कोई शख़्स मश्विरा माँगे तो सही मश्विरा दे

हदीसः (20) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिससे मश्विरा माँगा जाये वह अमानतदार होता है। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

तशरीहः इस हदीस में एक अहम बात की नसीहत फ़रमायी और वह यह कि जिससे मश्विरा तलब किया जाये उसकी ज़िम्मेदारी है कि सही मश्विरा दे। जो उसके नज़दीक दुरुस्त हो और जिसमें मश्विरा लेने वाले की ख़ैरख़्वाही मद्देनज़र हो। जिससे मश्विरा तलब किया जाये उसको हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 'अमानतदार' क़रार दिया। अगर उसने कोई ऐसा मश्विरा दे दिया जिसमें उसके नज़दीक मश्विरा लेने वाले की बेहतरी न थी तो अपने भाई की ख़ियानत की, जैसा कि हदीस की दूसरी रिवायत में आता है।

लिहाज़ा अगर कोई शख़्स मश्विरा ले तो उसको वह मश्विरा दो जो तुम्हारे नज़दीक उसके हक़ में बेहतर हो, अगरचे उसमें

तुम्हारा नुक़सान ही होता हो। जैसे तुम्हारा एक पड़ोसी है जो मकान बेचना चाहता है और तुम्हारे दिल में है कि यह मकान फ़रोख़्त हो तो हम ले लेंगे। लेकिन अगर वह तुम से मश्विरा तलब करे और तुम्हारे नज़दीक उसके हक़ में जायदाद फ़रोख़्त करना ना-पसन्द हो तो उसको यही मश्विरा दो कि फ़रोख़्त न करो।

हंसते चेहरे के साथ मुलाक़ात करना भी नेकी में शामिल है

हदीसः (21) हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हरगिज़ किसी ज़रा-सी भी नेकी को हक़ीर (यानी मामूली और बेहक़ीक़त) न जानो। (जो कुछ मुमकिन हो नेकी करते रहो) अगरचे यही कर सको कि अपने भाई से खिलते हुए चेहरे से मिल लो। (मिश्कात शरीफ़ पेज 167)

तशरीहः इस हदीस में अव्वल तो यह इरशाद फ़रमाया कि किसी भी नेकी को हक़ीर न जानो। नेकी कैसी ही छोटी से छोटी हो, मौक़ा होते हुए हाथ से न जाने दो। क़ियामत के दिन छोटी-सी नेकी भी बहुत बड़ा काम दे जायेगी। एक नेकी से भी नेक आमाल का पलड़ा भारी होकर नजात का ज़रिया हो सकता है। फिर मिसाल के तौर पर एक ऐसी नेकी का ज़िक्र फ़रमाया जिसमें ख़र्च कुछ नहीं होता और सवाब ख़ूब मिल जाता है, और वह यह कि जब किसी मुसलमान से मुलाक़ात करो तो हंसमुख चेहरे से खिलते चेहरे के साथ मिलो, इससे उसका दिल ख़ुश

होगा और तुमको ख़ूब सवाब मिल जायेगा। बहुत-से लोगों को मर्द हों या औरत अपनी दीनदारी या मालदारी का घमण्ड होता है। जब कोई सलाम करता है तो सीधे मुँह उसके सलाम का जवाब तक नहीं देते। जब कोई मिलने को आया तो न उससे अच्छी तरह बात की न अच्छे अन्दाज़ से मुलाक़ात की और ऐसे पेश आये कि जैसे उनपर गुस्सा सवार है। मुँह फुलाये हुए हैं और अ़जीब बेरुख़ी और रूखेपन से पेश आ रहे हैं। यह तरीक़ा ग़ैर-इस्लामी है। अलबत्ता औ़रतें ना-मेहरमों से मुलाक़ात न करें और पर्दे के पीछे से ज़रूरत के मुताबिक़ जवाब दे दें। जो औ़रतें मिलने आयें घर की औ़रतें उन्हें अदब से बिठायें उनके पास बैठें, अच्छी तरह से बोलें, मुस्कुराकर बात करें और उनकी दिलदारी करें। यह न देखें कि वे हमसे माली और दुनियावी हैसियत से कम हैं, बल्कि उनके मुसलमान होने को देखें, उनके पास बैठने और दिलदारी करने के लिये नफ़िल नमाज़ छोड़नी पड़े तो वह भी छोड़ दें, मगर ग़ीबत और दूसरों की बुराई करने से बचें।

रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटा देने का सवाब

हदीसः (22) हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान फ़रमाया कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मैंने अ़र्ज़ कियाः ऐ अल्लाह के नबी! मुझे कोई चीज़ बता दीजिये जिस पर अ़मल करके मैं नफ़ा हासिल करूँ। आपने फ़रमायाः मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटा दिया करो। (मिश्कात शरीफ़ पेज 167)

तशरीहः इस हदीस पाक से इस अ़मल की फ़ज़ीलत और

अहमियत मालूम हुई कि रास्तों में जो कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ पड़ी मिल जाये जिससे पाँव फिसल जाये, ठोकर लगने, रास्ता तंग हो जाने का, या काँटा वग़ैरह चुभ जाने का अन्देशा हो, उस चीज़ को हटा दिया जाये। दूसरी रिवायतों में भी इसकी फ़ज़ीलत बयान हुई है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बयान है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक शख़्स का ज़िक्र फ़रमाया कि उसका एक दरख़्त की टहनी पर गुज़र हुआ जो रास्ते में पड़ी थी, यह देखकर उसने कहा कि मैं इसको मुसलमान के रास्ते से ज़रूर हटा दूँगा। (चुनाँचे उसको हटा दिया) लिहाज़ा वह जन्नत में दाख़िल कर दिया गया। (मिश्कात)

एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैंने एक शख़्स को इसके सबब से जन्नत में मज़े से करवटें लेते हुए देखा कि उसने रास्ते से एक दरख़्त काट दिया था जो राहगीरों को तकलीफ़ देता था। (मिश्कात)

हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मुसलमान के सामने तुम्हारा मुस्कुराना सदक़ा है, और भलाई का हुक्म करना सदक़ा है, और बुराई से रोकना सदक़ा है, और राह भटके हुए को राह दिखाना सदक़ा है, और कमज़ोर बीनाई वाले (यानी जिसकी आँख की रोशनी कम हो) की मदद करना सदक़ा है, और रास्ते से पत्थर काँटा हड्डी दूर करना सदक़ा है, और अपने डोल से भाई के डोल में पानी डाल देना सदक़ा है। (तिर्मिज़ी)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर इनसान 360 जोड़ों पर पैदा किया गया है (यानी हर इनसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं जिनके ज़रिये उठता-बैठता है और हाथ-पाँव मोड़ता है, और चीज़ें पकड़ता है। और इन चीज़ों के शुक्रिये में रोज़ाना सदक़ा करना वाजिब है)। सो जिसने अल्लाहु अकबर कहा और अल्हम्दु लिल्लाह कहा और ला इला-ह इल्लल्लाहु कहा और सुब्हानल्लाह कहा और अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा और लोगों के रास्ते से पत्थर काँटा या हड्डी हटा दी या भलाई का हुक्म दिया या बुराई से रोक दिया और (यह सब मिलकर या इनमें से एक ही अ़मल) तीन सौ साठ (360) के अ़दद (संख्या) के बराबर हो गया तो वह उस दिन इस हाल में चलता-फिरता होगा कि उसने अपनी जान को दोज़ख़ से बचा लिया होगा। (मुस्लिम)

जब रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देने का यह अज्र व सवाब है तो इसके विपरीत रास्ते में तकलीफ़ देने वाली चीज़ डालने का क्या वबाल होगा? इस पर ग़ौर करना चाहिये। बहुत-से लोग अपना तो घर साफ़ कर लेते हैं लेकिन घर का कूड़ा-करकट कचरा-गन्दगी सड़े हुए फल और बदबूदार सालन वग़ैरह रास्ते में फैंक देते हैं जिससे आने-जाने वालों को सख़्त तकलीफ़ होती है। ऐसा भी होता है कि राह चलते हुए केले ख़रीदे और छीलकर खाना शुरू कर दिया, या बच्चों को दे दिया और छिलका सड़क के किनारे वहीं फैंक दिया। सबको मालूम है कि रास्ते में केले का छिलका फैंकना बहुत ख़तरनाक होता है।

कभी-कभी उस पर पैर पड़कर फिसल जाता है तो अच्छी-ख़ासी तकलीफ़ पहुँच जाती है। रास्ते में तकलीफ़ देने वाली चीज़ हरगिज़ न डालें और ऐसी कोई चीज़ रास्ते में पड़ी मिले जिससे तकलीफ़ पहुँच सकती हो तो उसे हटाकर सवाब कमायें।

दूसरे का ऐब छुपाने और राज़ दबाने का सवाब

हदीसः (23) हज़रत उक़बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिसने किसी की कोई ऐब की बात देखी फिर उसको छुपा लिया (तो सवाब के एतिबार से) वह शख़्स ऐसा है जैसे किसी ज़िन्दा दफ़न की हुई लड़की को ज़िन्दा कर दिया।

(मिश्कात शरीफ़ पेज 424)

तशरीहः इस हदीस मुबारक में ऐब छुपाने का सवाब बताया है। इस्लाम से पहले यानी जाहिलीयत के ज़माने में अ़रब के लोग इस बात को बहुत नागवार समझते थे कि उनके घर में लड़की पैदा हो जाये। अगर लड़की पैदा होने की ख़बर मिलती थी तो शर्म के मारे छुपे-छुपे फिरते थे। और बहुत-से ज़ालिम ऐसे थे कि लड़की पैदा हो जाती तो उसको ज़िन्दा दफ़न कर देते थे, जो गढ़े के अन्दर मिट्टी में दबकर मर जाती थी, इसी को कुरआन मजीद में फ़रमायाः

तर्जुमाः और जब ज़िन्दा दफ़न की हुई लड़की के बारे में सवाल किया जायेगा कि किस गुनाह के सबब क़त्ल की गई।

(सूरः तक्वीर आयत 8,9)

इस बात को समझने के बाद यह समझो कि हुज़ूरे अक़्दस

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐब छुपाने का सवाब बताते हुए इरशाद फ़रमाया कि जिसने किसी की कोई ऐब की बात देखी फिर उसको छुपाया और किसी पर ज़ाहिर न किया तो उसको इतना बड़ा सवाब मिलेगा जैसे उसने उस लड़की को ज़िन्दा कर दिया जो क़ब्र में ज़िन्दा दफ़न कर दी गयी थी। इस सवाब को इस अन्दाज़ में बताने में एक गहरी और बारीक हिक्मत की तरफ़ इशारा है, और वह यह कि जब किसी शख़्स का कोई ऐब ज़ाहिर हो जाता है तो वह अपनी उस रुस्वाई के मुक़ाबले में मर जाना बेहतर समझता है। पस जिस शख़्स ने उसके ऐब की पर्दा-पोशी की गोया कि उसको ज़िन्दा कर दिया। रुस्वाई से बचाना उसे दोबारा ज़िन्दगी देने जैसा क़रार दिया गया।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुसलामन मुसलमान का भाई है, न उसपर ज़ुल्म करे न उसको (मुसीबत के वक़्त) बे-सहारा और बे-मददगार छोड़ दे। और जो शख़्स अपने भाई की हाजत में लगा रहता है अल्लाह तआ़ला उसकी हाजत को पूरा फ़रमायेंगे। और जिसने किसी मुसलमान की बेचैनी दूर कर दी, अल्लाह क़ियामत के दिन की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फ़रमायेंगे। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दा-पोशी की (यानी उसका कोई ऐब छुपाया) क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसकी पर्दा-पोशी फ़रमायेंगे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

बहुत-से लोगों को यह मर्ज़ होता है कि दूसरों के ऐबों के पीछे पड़े रहते हैं। फिर जब किसी का कोई ऐब मालूम हो जाता

है तो उसको उछालते हैं और रुस्वा करने को बड़ा कमाल समझते हैं। यह सख़्त गुनाह की बात है और इसका बहुत बड़ा वबाल है।

एक हदीस में इरशाद है कि जो शख़्स मुसलमान भाई के ऐब के पीछे पड़े अल्लाह उसके ऐब के पीछे पड़ेगा, और अल्लाह जिसके ऐब के पीछे पड़े उसको रुस्वा कर देगा अगरचे वह अपने घर में ऐब का काम न करे। (मिश्कात)

आपस में सुलह करा देने का सवाब

हदीसः (24) हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फ़रमाते हैं कि एक बार हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः क्या मैं तुमको वह चीज़ न बता दूँ जो (नफ़्ली) रोज़ों, सदक़े और नमाज़ के दर्जे से अफ़ज़ल है। हमने अर्ज़ किया ज़रूर इरशाद फ़रमायें। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि यह चीज़ आपस में बिगाड़ की इस्लाह (यानी सुधार और सुलह-सफ़ाई) कर देना है। और आपस का बिगाड़ मूँड देने वाली चीज़ है। (मिश्कात शरीफ़ पेज 428)

तशरीहः एक साथ रहने वालों में कभी-कभी रन्जिश हो जाती है, और उस रन्जिश को जल्दी ही दूर न किया जाये तो बढ़ते-बढ़ते बहुत दूर तक पहुँच जाती है। कीना और बुग़्ज़ दिलों में जगह पकड़ लेता है। और दो आदमियों की रन्जिश कभी-कभी पूरे ख़ानदानों को लपेट लेती है। इसलिये जल्द से जल्द सुलह की तरफ़ मुतवज्जह होना लाज़िम है। सबसे ज़्यादा अच्छी और सीधी बात तो यह है कि हर आदमी एक-दूसरे से जाकर ख़ुद मिल ले और सलाम करे, इसमें पहल करने वाले का दर्जा बहुत ज़्यादा है।

ऊपर की हदीस में आपस के बिगाड़ को दूर करने और बुग़ज़ व कीने व रन्जिश वाले आदमियों के दरमियान सुलह कराने की फ़ज़ीलत बताई। और फ़ज़ीलत भी मामूली नहीं! सुलह करा देने की इतनी बड़ी फ़ज़ीलत बताई कि इस अ़मल का दर्जा (नफ़्ली) रोज़ा, सदक़ा और नमाज़ से भी बढ़कर है। जहाँ तक मुमकिन हो जल्द से जल्द रूठे हुए आदमियों में सुलह करा देना चाहिये, क्योंकि आपस का बिगाड़ बहुत ही बुरी ख़सलत है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको मूँडने वाली चीज़ बताया है।

दूसरी हदीस में है कि बुग़ज़ मूँडने वाली ख़सलत है, मैं यह नहीं कहता कि वह बालों को मूँड देती है बल्कि वह दीन को मूँड देती है। (मिश्कात शरीफ़)

आपस में सुलह करा देना इतनी अहम चीज़ है कि इसके लिये पाक शरीअ़त ने झूठ जैसी चीज़ का जुर्म करने को भी गवारा फ़रमाया है। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि वह झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान (झूठ बोलकर) सुलह कराता है, और अच्छी बात को कहता है, और अच्छी बात को (किसी फ़रीक़ की तरफ़) पहुँचाता है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

जैसे राशिदा और आ़बिदा मौहल्ले की दो औ़रतें हैं। उन दोनों में लड़ाई हो गयी तो उन दोनों में सुलह कराने के लिये कोई औ़रत दूसरी को अच्छी बात पहुँचा देती है। जैसे आ़बिदा से कहा कि राशिदा को तो लड़ाई की वजह से बहुत रंज है। वह

अफ़सोस कर रही थी कि ज़रा-सी बात पर शैतान बीच में कूद पड़ा और हम दोनों में लड़ाई हो गयी। फिर राशिदा से जाकर इसी तरह की बातें कीं कि आ़बिदा तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी। वह कह रही थी कि राशिदा मेरी पुरानी सहेली है, कभी उससे रन्जिश नहीं हुई, उसमें बड़ी ख़ूबियाँ हैं। दोनों के दिल मिलाने के लिये तीसरी औ़रत ने ये बातें झूठ पहुँचा दीं, हालाँकि राशिदा और आ़बिदा ने ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कही थीं। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः यह झूठ झूठ में शुमार नहीं, और ऐसा करने में गुनाह नहीं होता। इससे आपस में सुलह करा देने की भी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत और ज़रूरत मालूम हुई। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को ख़ैर की तौफ़ीक़ दे।

मुसलमान की बीमार-पुरसी की फ़ज़ीलत

हदीसः (25) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे और सवाब समझकर मुसलमान भाई की इयादत करे (यानी उसकी बीमारी का हाल मालूम करे) तो जहन्नम से इतनी दूर कर दिया जायेगा जितनी दूर कोई साठ साल चलकर पहुँचे। (अबू दाऊद)

तशरीहः हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः जो शख़्स किसी बीमार की इयादत करता (बीमारी का हाल पूछता) है तो आसमान से एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि तू ख़ुश रह, और तेरा यह चलना बरकत वाला हो,

और तूने जन्नत में घर बना लिया। (इब्ने माजा)

एक और हदीस में है कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह को मिज़ाज-पुरसी करे तो तमाम दिन सत्तर हज़ार (70,000) फ़रिश्ते उसपर रहमत भेजते रहते हैं। और अगर शाम को मुसलमान की मिज़ाज-पुरसी करे तो सुबह होने तक सत्तर हज़ार (70,000) फ़रिश्ते उसपर रहमत भेजते रहते हैं, और उसके लिये (इस अ़मल की वजह से) जन्नत में एक बाग़ होगा। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

बीमार की मिज़ाज-पुरसी को इयादत कहते हैं। ऊपर की हदीसों में इसी का सवाब बताया है।

हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब तुम किसी मरीज़ के पास जाओ तो उसकी ज़िन्दगी बाक़ी रहने के बारे में उम्मीद दिलाओ। (यानी उससे ऐसी बातें करो जिससे उसको अच्छा हो जाने की उम्मीद बंधे और वह यह समझे की मैं अच्छा होकर अभी और ज़िन्दा रहूँगा। उसके सामने ना-उम्मीदी की बातें न करो) क्योंकि यह चीज़ (अल्लाह की तक़दीर में से) किसी को हटा तो नहीं सकती अलबत्ता इससे मरीज़ का दिल ख़ुश हो जायेगा। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

फ़ायदाः जब किसी मुसलमान की इयादत करो तो उसको तसल्ली देते हुए यूँ कहो किः

"कुछ डर नहीं, यह बिमारी गुनाहों से पाक करने वाली है, अगर अल्लाह ने चाहा"

और मरीज़ से अपने लिये दुआ़ की दरख़्वास्त करो, क्योंकि

उसकी दुआ फ़रिश्तों की दुआ की तरह से है। (इब्ने माजा) और उसके पास ज़्यादा न बैठो न शोर करो। (मिश्कात शरीफ़)

सिफ़ारिश करके सवाब हासिल करो

हदीसः (26) हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास कोई साईल (माँगने वाला) ज़रूरतमन्द आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते थे कि तुम सिफ़ारिश करो, इस पर तुमको सवाब दे दिया जायेगा, और अल्लाह अपने रसूल की ज़बानी जो चाहे फ़ैसला फ़रमायेगा। (मिश्कात शरीफ़ पेज 422)

तशरीहः इस हदीस में फ़रमाया कि किसी काम के लिये सिफ़ारिश कर देने पर भी सवाब मिलता है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बहुत बड़े सख़ी (दानवीर) थे। ज़रूरतमन्दों की ज़रूरतों का आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खुद ख़्याल रहता था। जब कोई साईल हाज़िर होता तो आप ज़रूर ही इनायत फ़रमा देते, किसी की सिफ़ारिश की ज़रूरत न थी, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम लोग सिफ़ारिश करके सवाब ले लिया करो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, उसकी तक़दीर में होगा तो उसको कुछ मिल जायेगा, मैं दे दूँगा या किसी दूसरे से कुछ दिला दूँगा, मौक़ा न होगा तो न मिलेगा, सिफ़ारिश कर देना तुम्हारा काम है, किसी का काम होने या न होने के तुम ज़िम्मेदार नहीं।

जब किसी को ज़रूरतमन्द देखो तो उसकी ज़रूरत पूरी करो। अगर तुम से पूरी नहीं हो सकती तो किसी दूसरे से

सिफ़ारिश कर दो ताकि वहाँ उसकी ज़रूरत पूरी हो जाये। सिफ़ारिश कर देना भी बड़ी ख़ैर की बात है और सवाब का काम है, अलबत्ता गुनाह के कामों में किसी की मदद न करो, क्योंकि वह गुनाह है।

नर्मी इख़्तियार करने पर अल्लाह तआ़ला का इनाम

हदीसः (27) हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बेशक अल्लाह तआ़ला मेहरबान है और मेहरबानी को पसन्द फ़रमाता है। और वह मेहरबानी पर वह (नेमतें) अ़ता फ़रमाता है जो सख़्ती पर और उसके अ़लावा किसी चीज़ पर अ़ता नहीं फ़रमाता। (मिश्कात शरीफ़ पेज 431)

हदीसः (28) हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमायाः जो शख़्स नर्मी से मेहरूम कर दिया गया वह भलाई से मेहरूम कर दिया जाता है। (मिश्कात शरीफ़ पेज 431)

तशरीहः एक हदीस में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस शख़्स को नर्मी से हिस्सा दे दिया गया उसे दुनिया व आख़िरत की भलाई का हिस्सा मिल गया, और जो शख़्स नर्मी के हिस्से से मेहरूम कर दिया गया वह दुनिया और आख़िरत की भलाई के हिस्से से मेहरूम कर दिया गया। (मिश्कात)

इन रिवायतों से नर्मी की ख़ूबी का पता चला और मालूम हुआ कि जिसके मिज़ाज में नर्मी हो उसे बहुत बड़ी नेमत और

दौलत मिल गयी। दर हक़ीक़त अच्छे अख़्लाक़ में नर्मी को बहुत बड़ा दख़ल है, और सच फ़रमाया हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि जो शख़्स नर्मी से मेहरूम है वह दुनिया और आख़िरत की भलाई से मेहरूम है। अल्लाह के जो बन्दे नर्म-मिज़ाज होते हैं उन्हीं से फ़ैज़ पहुँचता है, और अल्लाह की मख़्लूक़ उन्हीं के पास आती है, उनके अन्दर जो ख़ूबियाँ और गुण होते हैं उनसे फ़ायदा उठाती है, और उनके अच्छे अख़्लाक़ से सैराब होती है। सख़्त-मिज़ाज और जो ज़बान का कड़वा आदमी हो उसके पास कौन फटकेगा और कौन आयेगा? हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बड़े नर्म-मिज़ाज और बड़े नर्म-दिल और नर्मी से बात करने वाले और बुर्दबार थे। कुरआन मजीद में आपको ख़िताब करके फ़रमायाः

तर्जुमाः सो कुछ अल्लाह तआ़ला ही की रहमत है कि आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) उनको नर्म-दिल मिल गये, और अगर आप सख़्त-मिज़ाज और सख़्त-दिल होते तो ये लोग आपके पास से तितर-बितर हो जाते। सो आप उनको माफ़ फ़रमा दीजिये और उनके लिये इस्तिग़फ़ार कीजिये, और उनसे कामों में मश्विरा लीजिये। फिर जब आप राय पुख़्ता कर लें तो अल्लाह पर भरोसा कीजिये, बेशक अल्लाह तवक्कुल (भरोसा) करने वालों से मुहब्बत फ़रमाते हैं। (सूरः आलि इमरान आयत 159)

इस आयत से मालूम हुआ की नर्म-मिज़ाजी और नर्म-दिली मुहब्बत और उलफ़त लाने वाली है। और सख़्त-मिज़ाजी अख्खड़-पना अपने ताल्लुक़ वालों को भी दूर करने वाला होता

है। मोमिन को नर्म-मिज़ाज और रहम-दिल होना चाहिये। फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि मोमिन उलफ़त (मुहब्बत और लगाव) वाला होता है, और उसमें कोई ख़ैर नहीं जो उलफ़त नहीं रखता और जिससे उलफ़त नहीं रखी जाती। (मिश्कात)

यह हालात और आ़म वक़्तों के एतिबार से फ़रमाया है, कभी-कभार कहीं सख़्ती की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर मौक़े के मुताबिक़ उसको इख़्तियार किया जाये तो उसमें भी उसकी ख़ैर होती है। अपने बच्चों और शागिर्दों को तंबीह करने के लिये सख़्ती की ज़रूरत होती है, मगर आ़म हालात में नर्मी ही मुनासिब होती है। हर वक़्त सख़्ती करने से औलाद और शागिर्द और मातहत सब ढीट और बाग़ी हो जाते हैं।

गुस्से से परहेज़ करने की ताकीद

हदीसः (29) हज़रत अबू हुरैरह॰ रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से एक शख़्स ने दरख़्वास्त की कि मुझे वसीयत फ़रमाइये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "गुस्सा न किया कर" उसने फिर यही अ़र्ज़ किया कि मुझे कुछ वसीयत फ़रमाइये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फिर वही जवाब दिया। उसने फिर वही अ़र्ज़ किया, आपने फिर वही जवाब दिया (ग़रज़ यह कि) उस शख़्स ने कई बार वही सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर बार वही जवाब इनायत फ़रमाते रहे कि गुस्सा न किया कर। (मिश्कात शरीफ़ पेज 423)

तशरीहः कुछ रिवायतों में यूँ है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे कुछ बता दीजिये जिस पर अ़मल करूँ मगर ज़्यादा न हो, शायद मैं उसे गिरह बाँध लूँ। रसूले अकरम नें उसके जवाब में फ़रमायाः गुस्सा न किया करो। उसने फिर वही बात की, आपने फिर वही जवाब दिया। ग़रज़ यह कि चन्द बार इसी तरह सवाल व जवाब हुआ।

दूसरी रिवायत में है कि सवाल करने वाले ने यूँ कहा था या रसूलल्लाह! मुझे एक ऐसा अ़मल बता दींजिये जिसके ज़रिये जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ, लेकिन ज़्यादा न बताइये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि गुस्सा न किया करो।

इन हदीसों से मालूम हुआ कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने साईल (पूछने वाले) को ऐसी चीज़ बताई थी जिससे अ़मल करने पर बहुत-सी बुराइयों से बचा जा सकता है, और बहुत-सी भलाइयों का ज़रिया बन सकता है।

गुस्से का इलाज

हदीसों में गुस्से के कई इलाज भी आये हैं, जिनमें से एक यह है कि गुस्सा आये तो 'अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' कहे। दूसरा इलाज यह है कि ज़बान बन्द कर ले और बिल्कुल गूँगा हो जाये। तीसरा यह कि ज़मीन से चिपक जाये।

एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक गुस्सा शैतान की तरफ़ से है, और इसमें भी शक नहीं कि शैतान आग से पैदा किया गया है, और आग को पानी ही बुझाता है। लिहाज़ा जब तुम में से किसी को

गुस्सा आ जाये तो वुज़ू कर ले। (मिश्कात)

हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आये और वह उस वक़्त खड़ा हो तो चाहिये कि बैठ जाये, अगर बैठने से गुस्सा चला जाये तो ख़ैर वरना लेट जाये। (मिश्कात)

मिश्कात शरीफ़ में बैहक़ी से एक रिवायत नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक गुस्सा ईमान को इस तरह बिगाड़ देता है जैसे ऐलवा शहद को बिगाड़ देता है। तिब्बी तौर पर इनसान में गुस्सा रखा गया है, और गुस्से का रोकना अगरचे मुशकिल है लेकिन इनसान इस पर क़ाबू पा सकता है। एक हदीस में यह है कि वह ताक़तवर और पेहलवान नहीं है जो अपने सामने वाले (पेहलवान) को पछाड़ दे। ताक़तवर (और पेहलवान) वह है जो गुस्से के वक़्त अपने को क़ाबू में रखे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

गुस्सा पीने की फ़ज़ीलत

बैहक़ी (हदीस की एक किताब) की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स अपने गुस्से को रोक लेता है ख़ुदा तआ़ला क़ियामत के दिन उससे अपने अ़ज़ाब को रोक लेगा। और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह की रिज़ा के लिये गुस्से का घूँट पी जाने से बढ़कर अल्लाह तआ़ला के नज़दीक किसी घूँट का पीना अफ़ज़ल नहीं है। (मिश्कात)

तकब्बुर किसे कहते हैं, और इसका अ़ज़ाब और वबाल क्या है?

हदीसः (30) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि वह शख़्स जन्नत में दाख़िल न होगा जिसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर हो। यह सुनकर एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि कोई शख़्स यह पसन्द करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका जूता अच्छा हो, (तो क्या यह तकब्बुर है?) हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जवाब में फ़रमाया कि बेशक अल्लाह तआ़ला 'जमील' (यानी हसीन व ख़ूबसूरत और तमाम ख़ूबियों का मालिक) है, जमाल को पसन्द फ़रमाता है। (अच्छा कपड़ा और अच्छा जूता पहनना तकब्बुर नहीं है, बल्कि) तकब्बुर यह है कि हक़ को ठुकराये और लोगों को हक़ीर समझे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 433)

तशरीहः इनसान के अन्दर जहाँ बहुत-सी ख़ूबियाँ हैं वहाँ बहुत-सी बुराइयाँ और ख़राबियाँ भी हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी ख़राबी तकब्बुर भी है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तकब्बुर का मतलब बताते हुए इरशाद फ़रमाया कि हक़ को क़बूल न करना, लोगों को हक़ीर (ज़लील और कम-दर्जा) जानना तकब्बुर है। अगर कोई अच्छा जूता या अच्छा कपड़ा पहन ले और दूसरे आदमी को हक़ीर न जाने और हक़ बात क़बूल करने से गुरेज़ न करे तो यह तकब्बुर नहीं है। लेकिन अगर कोई शख़्स अच्छा कपड़ा और अच्छा जूता पहनकर अपने को बड़ा समझने

लगे और दूसरे को हक़ीर जानने लगे, और जब कोई हक़ बात उससे कही जाये तो उसको क़बूल करने को अपनी बे-इज़्ज़ती और तौहीन समझे तो यह तकब्बुर है।

बहुत-से लोग ग़रीब होते हैं, उनके पास अच्छा कपड़ा तो क्या ज़रूरत की मात्रा में मामूली कपड़ा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हक़ को क़बूल नहीं करते और लोगों को ख़्वाह-मख़्वाह हक़ीर जानते हैं, यह भी तकब्बुर है।

किसी में इल्म की वजह से और किसी में माल की वजह से और किसी में ओहदे और रुतबे और पद की वजह से तकब्बुर होता है। और बाज़ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, जाहिल भी होते हैं और फ़क़ीर भी, फिर भी अपने आपे में नहीं समाते। ये लोग ख़्वाह-मख़्वाह दूसरों को हक़ीर जानते हैं, और हक़ बात को ठुकराते हैं, और इस बारे में माल व पद और रुतबे वालों से भी आगे-आगे होते हैं। तकब्बुर यूँ ही बदतरीन चीज़ है, फिर जब तकब्बुर का कोई सबब भी मौजूद न हो, न माल हो, न इल्म हो, तो उसकी बुराई और ज़्यादा हो जाती है।

बन्दा बन्दा है, उसे बड़ा बनने का क्या हक़ है? उसको तो हर वक़्त अपनी बन्दगी पर नज़र रखनी चाहिये। अल्लाह ने जो कोई नेमत अता फ़रमायी है (इल्म हो या माल हो या ओहदा हो या रुतबा हो) उसका शुक्रिया अदा करना चाहिये। और यह समझे कि मैं इस क़ाबिल नहीं था अल्लाह तआला का फ़ज़्ल व इनाम है कि उसने मुझे यह नेमत अता फ़रमायी है। अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई पर और अपनी बेबसी और कमज़ोरी व आजिज़ी पर जिस क़द्र नज़र होगी उसी क़द्र तकब्बुर से नफ़रत होगी, और

दिल में तवाज़ो बैठती चली जायेगी। जिसमें पाख़ाना भरा हुआ हो और जिसको मौत आनी हो, और जिसका बदन क़ब्र के कीड़े खाने वाले हों उसको तकब्बुर कहाँ सजता है। क़ुरआन मजीद में इरशाद है:

तर्जुमा: और अपने गाल मत फुला लोगों की तरफ़, और मत चल ज़मीन पर इतराता हुआ, बेशक अल्लाह को नहीं भाता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला। (सूर: लुक़मान आयत 18)

और इरशाद फ़रमाया:

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ

तर्जुमा: बेशक वह नहीं पसन्द करता तकब्बुर करने वालों को।

गुरूर व शेख़ी व ख़ुद-पसन्दी ये सब तकब्बुर की शाख़ें हैं। जिन लोगों में तकब्बुर होता है बस वे अपने ही ख़्याल में बड़े होते हैं और लोगों के दिलों में उनकी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं होती। और जो लोग आजिज़ी व इन्किसारी इख़्तियार करते हैं यानी लोगों से ऐसा मामला रखते हैं कि अपनी बड़ाई का ज़रा भी ख़्याल नहीं होता, वे लोगों के नज़दीक महबूब और प्यारे होते हैं।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार मिम्बर पर इरशाद फ़रमाया कि ऐ लोगो! तवाज़ो इख़्तियार करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि जो शख़्स अल्लाह के लिये तवाज़ो इख़्तियार करे अल्लाह उसको बुलन्द फ़रमा देगा। जिसका नतीजा यह होगा कि वह अपने नफ़्स में छोटा होगा और लोगों की आँखों में बड़ा होगा। और जो शख़्स

तकब्बुर इख़्तियार करेगा अल्लाह उसको गिरा देगा, जिसका नतीजा यह होगा कि वह लोगों की आँखों में छोटा होगा और अपने नफ़्स में बड़ा होगा। (लोगों के नज़दीक उसकी ज़िल्लत का यह आलम होगा कि) वह उसको कुत्ते और सुअर से ज़्यादा ज़लील जानेंगे। (मिश्कात शरीफ़)

एक हदीस में इरशाद है कि तकब्बुर करने वाले लोगों का क़ियामत के दिन इस तरह हश्र होगा (यानी उनको इस तरह उठाया जाएगा) कि वे इनसानी शक्लों में चींटियों के बराबर छोटे-छोटे जिस्मों में होंगे। उनपर हर तरफ़ से ज़िल्लत छाई हुई होगी। वे जहन्नम के जेलख़ाने की तरफ़ हंकाकर लेजाए जायेंगे। उन लोगों पर आगों को जलाने वाली आग चढ़ी होगी, उन लोगों को दोज़ख़ियों के जिस्मों का निचोड़ (पीप वग़ैरह) पिलाया जायेगा जिसको "तीनतुल् ख़बाल" कहते हैं। (तिर्मिज़ी)

लोगों को हक़ीर (ज़लील और कम-दर्जा) समझने वाले घमण्डी तो बहुत हैं, लेकिन जो लोग हक़ को ठुकराते हैं उनकी भी कमी नहीं है। बाज़ मर्तबा किसी बे-नमाज़ी से कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ो तो कहता है कि कौन उठक-बैठक करे, और तुम जन्नत में चले जाना और हम दोज़ख़ में चले जायेंगे। और जब कभी किसी बे-रोज़ेदार से कहा जाता है कि रोज़ा रखो तो जवाब देता है कि रोज़ा वह रखे जिसके घर में अनाज न हो, और जब कहा जाता है कि शादी-विवाह में सुन्नत तरीक़ा इख़्तियार करो तो कहते हैं कि हम ग़रीब थोड़ा ही हैं जो सुन्नत पर चलें। ये सब बातें हक़ को ठुकराने की हैं और कुफ़्रिया बातें हैं, इनसे ईमान

जाता रहता है। बहनो! तुम तवाज़ो इख़्तियार करो और तकब्बुर से बचो, अपने बच्चों को भी इसी राह पर डालो, किसी को हक़ीर न जानो, और दीन की हर बात सच्चे दिल से क़बूल करो। हक़ को ठुकराकर अपनी दुनिया व आख़िरत ख़राब न करो।

तवाज़ो का हुक्म और एक-दूसरे के मुक़ाबले में फ़ख़्र करने की मनाही

हदीसः (31) हज़रत अ़याज़ बिन हिमार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मेरी तरफ़ 'वह्य' (अपना पैग़ाम) भेजी है कि तुम लोग तवाज़ो इख़्तियार करो यहाँ तक कि कोई शख़्स किसी के मुक़ाबले में फ़ख़्र न करे, और कोई शख़्स किसी पर ज़्यादती न करे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 417)

तशरीहः इस हदीस पाक में इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तवाज़ो इख़्तियार करने का हुक्म फ़रमाया है। गुरूर, शैख़ी, फ़ख़्र, घमण्ड, तकब्बुर सबको एक तरफ़ डालो और तवाज़ो इख़्तियार करो। कोई शख़्स किसी के मुक़ाबले में फ़ख़्र (गर्व) न करे और कोई किसी पर ज़्यादती न करे। ओहदा व रुतबा और पद और माल व जायदाद और हुकूमत पर फ़ख़्र (घमण्ड) करना, और दूसरे को हक़ीर जानना गुनाह है। और माल व दौलत के अ़लावा अपने नसब (ख़ानदान और नस्ल) पर फ़ख़्र करना और दूसरे को हक़ीर जानना भी सख़्त मना है। नसबी (ख़ानदानी) शराफ़त अल्लाह की एक नेमत है, लेकिन दूसरों का अपमान

करने की इजाज़त नहीं है, आख़िरत में परहेज़गारी और नेक आमाल पर फ़ैसला होगा। जिसके अ़मल में कमी हो उसको नसब (ख़ानदानी बरतरी) उसे आगे नहीं बढ़ायेगा। जैसा कि हदीस शरीफ़ में इसे साफ़ तौर पर बयान किया गया है।

नसब पर फ़ख़्र करने की निन्दा

अकसर देखा जाता है कि जो लोग किसी सहाबी या कसी बुज़ुर्ग की नस्ल से होते हैं, अपने नाम के साथ नसबी निस्बत का कलिमा ज़रूर लगाते हैं- सिद्दीक़ी, फ़ारूक़ी, उस्मानी, हसनी, हुसैनी, अय्यूबी, नौमानी, फ़रीदी और इसी तरह की बहुत-सी निस्बतें हैं जो नामों और दस्तख़तों के साथ सामने आती रहती हैं। इनके लिखने और लिखाने वालों में बहुत कम ऐसे हैं जिनका मक़सद हक़ीक़त का इज़हार या कोई सही नीयत हो, वरना ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अ़मल के एतिबार से बहुत ही गिरे हुए हैं और दीन के ज़रूरी अ़क़ाइद व अरकान से भी ग़ाफ़िल बल्कि नावाक़िफ़ होते हैं। जिन हज़रात की तरफ़ निस्बतें करते हैं अगर ज़रा-सी देर के लिये वे हज़रात इस जहान में तशरीफ़ ले आयें तो अपनी तरफ़ निस्बत करने वालों का बुरा हाल देखकर (जो नमाज़ ग़ारत करने, रोज़ा खाने, रिश्वत लेने, सिनेमा देखने, ज़कात रोकने और इसी तरह के बुरे आमाल और ऐबों और परिणामों की शक्ल में ज़ाहिर होता रहता है) इनकी सूरत देखना भी गवारा न करें और दूर ही से दूर-दूर फट-फट करें। जो शैख़ज़ादों और सैयदों के ख़ानदान इस दुनिया में आबाद हैं, और जो बड़े-बड़े बुज़ुर्गों और आ़लिमों के नसब से सिलसिला जोड़ने

वाले घराने इस दुनिया में बसते हैं। नसब पर गुरूर की वजह से दूसरे ख़ानदानों के अफ़राद को बहुत ही हक़ीर (कम दर्जे का और ज़लील) जानते हैं। और उनकी ज़िन्दगी का जायज़ा लो तो जो ख़राबियाँ और गुनाह दूसरों में हैं वही इन शरीफ़ बनने वालों में नज़र आते हैं। ग़रीब अपनी ग़ुरबत के हिसाब से और अमीर अपनी दौलत और अमीरी के हिसाब से नाफ़रमानियों और गुनाहों में मुलव्वस (लिप्त) हैं। दीनी तालीम हासिल करने और क़ुरआन व हदीस से मुहब्बत करने में भी उन्हीं का हिस्सा ज़्यादा है जो नसब के एतिबार से कम समझे जाते हैं। शरीफ़ ख़ानदान वाले बस नसब पर इतरा लेते हैं, मगर मुहब्बत लंदन और अमेरिका से रखते हैं। कालिजों और यूनिवर्सिटियों को आबाद रखने में सबसे आगे हैं। दीनी मदरसे अकसर ग़ैर-मशहूर ख़ानदानों के अफ़राद से या उन घरानों की औलाद से आबाद रहते हैं जो नसब के एतिबार से कम समझे जाते हैं।

नसब पर फ़ख़्र करने वाले आख़िरत से बेख़बर हैं

बाज़ क़ौमों में नसबी गुरूर और तकब्बुर का यह आ़लम देखने में आया है कि कोई ऐसा मुसलमान उनको सलाम करे जो नसबी हैसियत से कम समझा जाता हो तो उसके सलाम का जवाब देने में शर्म और ज़िल्लत समझते हैं, बल्कि बाज़ मौक़ों पर उसको सज़ा देने पर आमादा हो जाते हैं, और कहते हैं कि हमको सलाम करना हमारी बराबरी का दावा है, यह क्योंकर बरदाश्त हो। अगर कोई सलाम करे तो यूँ कहे कि "मियाँ सलाम" "अस्सलामु अ़लैकुम" न कहे। कैसी जहालत और

तकब्बुर है। ये मग़रूर और घमण्डी ज़रा आख़िरत के मन्ज़र का ख़्याल दिल में लायें और यह सोचें कि दुनिया के तमाम इनसानों को आख़िरत के मैदान में पहुँचना है, और आमाल की जाँच होने के लिये हिसाब के मैदान में खड़ा होना है, और फिर आमाल के एतिबार से जन्नत या दोज़ख़ में जाना है। और साथ ही साथ इस पर काफ़ी ग़ौर करे कि आख़िरत के नजात दिलाने वाले और वहाँ इज़्ज़त के मिम्बरों पर बिठाने वाले हम आमाल कर रहे हैं या यह शख़्स जो नेक आमाल में लगा हुआ है, जिसको हमने नीचे बिठाया है और अपने से कम समझा है। ख़ुदा जाने कितने मग़रूरों (घमण्डियों) के साथ यह होगा कि क़ियामत के मैदान में ज़लील व रुस्वा होंगे और कम नसब वाले सम्मान व इज़्ज़त के मिम्बरों पर होंगे।

बुज़ुर्गों की नस्ल में होने पर फ़ख़्र करना बेजा है। उनके आमाल उनके लिये थे हमारे आमाल हमारे लिये हैं। क़ुरआन हकीम का साफ़ फ़ैसला है:

तर्जुमाः वह जमाअत थी पैग़म्बरों की जो गुज़र गयी। जो उन्होंने किया वह उनके लिये है और जो तुम करोगे वह तुम्हारे लिये है। (सूरः ब-क़रः आयत 134 व 139)

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु का इरशाद

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सामने कुछ लोग फ़ख़्र (गर्व) के तौर पर अपने नसब की बड़ाई बयान करने लगे। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं तो अपने बारे में यह कहता हूँ कि नापाक नुतफ़े से पैदा किया गया और

मरकर बदबूदार लाश बन जाऊँगा। उसके बाद मुझे क़ियामत के दिन इन्साफ़ की तराज़ू के पास खड़ा किया जायेगा, अगर उस वक़्त मेरी नेकियाँ भारी निकलीं तो मैं शरीफ़ हूँ अगर मेरी नेकियाँ गुनाहों के मुक़ाबले में हल्की रह गईं तो मैं ज़लील हूँ। शराफ़त और ज़िल्लत का फ़ैसला वहीं होगा।

हज़रत इमाम ज़ैनुल-आबिदीन रज़ियल्लाहु अ़न्हु को किसी ने गाली दी तो जवाब में इरशाद फ़रमाया कि भाई! मैं अगर दोज़ख़ से बच गया तो तेरे बुरा कहने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, और अगर ख़ुदा न करे दोज़ख़ में जाना पड़ा तो जो कुछ तूने कहा मैं उससे भी ज़्यादा बुरा हूँ।

यह इमाम ज़ैनुल-आबिदीन रज़ियल्लाहु अ़न्हु कौन थे? यह हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पोते और शहीदे कर्बला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बेटे थे। रोज़ाना हज़ार नफ़िल नमाज़ अदा करते थे और हर क़िस्म की इबादत में आगे-आगे रहते थे। उन्होंने नसब पर फ़ख़्र न किया बल्कि आख़िरत का फ़िक्र करके गाली देने वाले को नर्मी से जवाब दिया, जिसका अभी ज़िक्र हुआ।

जो लोग नसब पर फ़ख़्र करते हैं उनको बड़ाई का सुबूत भी तो देना चाहिये। और जब उन हज़रात से अपना नसबी जोड़ मिलाते हैं जो दीनदारी में बड़े थे तो ख़ुद दीनदार बनकर अपने बड़ों और बाप-दादा के तरीक़े पर अग्रसर होना लाज़िमी है। नेक आमाल से ख़ाली, दुनिया से मुहब्बत, आख़िरत से ग़फ़लत और बेफ़िक्री, ग़ैर-क़ौमों की शक्ल व सूरत और लिबास व हैयत

इख़्तियार करना और अपने बुज़ुर्गों की शक्ल व सूरत और तौर-तरीक़े और लिबास से नफ़रत करना और फिर भी उन बुज़ुर्गों से नसब जोड़ना बड़ी नादानी है।

अल्लाह के नज़दीक बड़ाई का मेयार परहेज़गारी है

अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त ने बड़ाई का कुल्ली क़ायदा सूरः हुजुरात में बयान फ़रमा दिया है:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ

यानी अल्लाह के नज़दीक तुम सब में बड़ा शरीफ़ वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो।

अल्लाह के नज़दीक तो बड़ाई का मेयार तक़्वा (अल्लाह से डरना और परहेज़गारी) है, और जो अल्लाह के नज़दीक बड़ा है हक़ीक़त में वही बड़ा है। अगर दुनिया वालों ने बड़ा समझा और अख़बारों और रिसालों में नाम छपे और लोगों ने तारीफ़ें कीं मगर अल्लाह के नज़दीक कमीना और ज़लील रहा हो, तो यह दुनिया की बड़ाई किस काम की? अल्लाह के नज़दीक परहेज़गार और दीनदार ही बड़े हैं। और जो लोग अल्लाह के नज़दीक बड़े हैं वे दुनिया में भी अच्छाई से याद किये जाते हैं और सैकड़ों साल तक दुनिया में उनका चर्चा रहता है। और आख़िरत में जो उनको बड़ाई मिलेगी वह अलग रही।

दीन के बड़े-बड़े आलिम और हदीस का इल्म हासिल करने वाले और क़ुरआन व हदीस की ख़िदमत करने वाले 'अ़जमी' (ग़ैर-अ़रबी) थे, और नसब के एतिबार से बड़े-बड़े ख़ानदानों से न थे, बल्कि उनमें बहुत-से वे थे जो उनमें आज़ाद किये हुए

गुलाम थे। आज तक उनका नाम रोशन है और रहती दुनिया तक उम्मत की तरफ से उनको "रहमतुल्लाहि अलैहि" (उनपर अल्लाह की रहमत हो) की दुआयें पहुँचती रहेंगी। नसब पर इतराने वालों को उम्मत जानती भी नहीं है, गुरूर करके और शैख़ी बघार कर दुनिया से रुख़्सत हो गये, आज उनको कौन जानता है? सब बड़ाइयाँ ख़ाक में मिल गईं। अल्लाह तआ़ला हम सबको तकब्बुर और घमण्ड से बचाये और तवाज़ो की सिफ़त से नवाज़े।

किसी का मज़ाक़ बनाने और वायदा-ख़िलाफ़ी करने की मनाही

हदीसः (32) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तू अपने भाई से झगड़ा न कर, और उससे मज़ाक़ न कर, और उससे कोई ऐसा वायदा न कर जिसकी तू ख़िलाफ़वर्ज़ी करे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 417)

तशरीहः इस हदीस में चन्द नसीहतें फ़रमायी हैं:

पहली नसीहतः यह कि अपने भाई से झगड़ा न कर। झगड़ेबाज़ी बहुत बुरी और निन्दनीय चीज़ है। अपने हक़ के लिये अगरचे झगड़ा करना दुरुस्त है लेकिन झगड़े का छोड़ देना ज़्यादा बेहतर और अफ़ज़ल है। झगड़ा करने से गाली-गलोच और बद-कलामी की नौबत आ जाती है, और दिलों में कीना-कपट जगह पकड़ लेता है, फिर उसके असरात व परिणाम बहुत बुरे पैदा होते हैं।

फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि जिसने ग़लती पर होते हुए झगड़ा छोड़ दिया उसके लिये जन्नत के शुरूआ़ती हिस्से में मकान बनाया जायेगा, और जिसने हक़ पर होते हुए झगड़ा छोड़ दिया उसके लिये जन्नत के दरमियानी हिस्से में मकान बनाया जाएगा। और जिसने अपने अख़्लाक़ अच्छे किये उसके लिये जन्नत के ऊँचे हिस्से पर मकान बनाया जाएगा।

(मिश्कात शरीफ़)

दूसरी नसीहतः यह फ़रमायी कि अपने मुसलमान भाई से मज़ाक़ मत कर। मज़ाक़ करने की दो सूरतें हैं- एक यह कि जिससे मज़ाक़ किया जाए उसका दिल ख़ुश करना मक़सद हो। ऐसा मज़ाक़ करना जायज़ बल्कि पसन्दीदा है। शर्त यह है कि उसमें झूठ न हो और वायदा ख़िलाफ़ी न हो। दूसरी सूरत यह है कि जिससे मज़ाक़ किया जाए उसको नागवार हो, ऐसा मज़ाक़ करना जायज़ नहीं। ऊपर बयान हुई हदीस में इसी की मुमानअ़त (मनाही) फ़रमायी है। अकसर ऐसा होता है कि चन्द औ़रतें मिलकर किसी औ़रत से मज़ाक़ शुरू कर देती हैं, और जिससे मज़ाक़ कर रही हैं उसको नागवार हो रहा है, वह चिड़ रही है और उलटा-सीधा कह रही है। इसमें चूँकि एक मुसलमान को तकलीफ़ देना है इसलिये यह हराम है।

नबी करीम सल्ल० का मज़ाक़ मुबारक

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दिल ख़ुश करने के लिये कभी-कभी मज़ाक़ फ़रमा लेते थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप हम से मज़ाक़ फ़रमाते हैं? आपने

फ़रमाया बेशक! मैं (मज़ाक़ में भी) हक़ ही कहता हूँ। (तिर्मिज़ी)

मालूम हुआ कि दिल खुश करने के लिये जो मज़ाक़ किया जाए वह भी सच और सही होना चाहिये। मज़ाक़ में भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है।

एक शख़्स ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि मुझे सवारी इनायत फ़रमा दें। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बेशक मैं तुझे ऊँटनी के बच्चे पर सवार कर दूँगा। उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया: मैं ऊँटनी के बच्चे का क्या करूँगा? आपने फ़रमाया ऊँटों को ऊँटनियाँ ही जनती हैं। (यानी ऊँट जितना भी बड़ा हो जाये ऊँटनी का बच्चा ही रहेगा)। (तिर्मिज़ी)

देखो! इस मज़ाक़ में ज़रा-सा भी झूठ नहीं है। बात बिल्कुल सही है।

इसी तरह एक बूढ़ी औ़रत ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! दुआ़ फ़रमा दीजिये अल्लाह तआ़ला मुझे जन्नत में दाख़िल फ़रमाए। आपने फ़रमाया बेशक जन्नत में कोई बुढ़िया दाख़िल न होगी। यह सुनकर वह रोती हुई वापस चली गयी। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मौजूद लोगों से फ़रमाया कि उसको जाकर बता दो कि (मतलब यह नहीं है कि दुनिया में जो बूढ़ी औ़रतें हैं वे जन्नत में न जायेंगी, बल्कि मतलब यह है कि जन्नत में दाख़िल होते वक़्त कोई औ़रत भी बूढ़ी न होगी, अल्लाह तआ़ला सबको जवान बना देंगे, लिहाज़ा) यह बुढ़िया (भी) जब जन्नत में दाख़िल होंगी बुढ़िया न होंगी।

इसके बाद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़ुरआन मजीद की यह आयत तिलावत फ़रमाईः

اِنَّآ اَنْشَاْ نٰهُنَّ اِنْشَآءً، فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا

तर्जुमाः हमने (वहाँ की) उन औ़रतों को ख़ास तौर पर बनाया है। यानी हमने उनको ऐसी बनाया कि वे कुँवारियाँ हैं।

(सूरः वाक़िआ़ आयत 35, 36)

एक बार हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु को "दो कान वाले" कहकर पुकारा। (जमउल्-फ़वाइद)

एक औ़रत ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मेरे शौहर ने आपको दावत दी है (यानी घर पर तशरीफ़ लाने की दरख़्वास्त की है)। आपने फ़रमायाः तेरा शौहर वही है जिसकी आँख में सफ़ेदी है? वह कहने लगी अल्लाह की क़सम! उसकी आँख सफ़ेद नहीं है। आपने फ़रमाया कोई शख़्स ऐसा नहीं है जिसकी आँख में सफ़ेदी न हो। (यानी वह सफ़ेदी जो सियाह डेले के चारों तरफ़ है)। देखो! क्या सही मज़ाक़ है। ऐसा सच्चा मज़ाक़ दुरुस्त है, शर्त यह है कि उसे नागवार न हो जिससे मज़ाक़ किया है।

जब किसी का दिल ख़ुश करने के लिये मज़ाक़ करने में भी यह शर्त है कि बात सच्ची हो और जिससे मज़ाक़ किया जाये उसको नागवार न हो तो किसी का मज़ाक़ उड़ाना कैसे जायज़ हो सकता है? बहुत-से मर्द और औ़रत इसका बिल्कुल ख़्याल नहीं करते और जिसको किसी भी एतिबार से कमज़ोर पाते हैं सामने या पीछे उसका मज़ाक़ उड़ा देते हैं। यह सब गुनाह है। इसको

मस्ख़रापन और मख़ौल और ठट्ठा भी कहा जाता है। कुरआन मजीद में इरशाद है:

तर्जुमा: ऐ ईमान वालो! न तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिये, क्या अ़जब है कि वे उनसे बेहतर हों। और न औ़रतों को औ़रतों पर हंसना चाहिये, क्या अ़जब है कि वे उनसे बेहतर हों। और न एक-दूसरे को ताना दो, और न एक-दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारो, ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगना बुरा है, और जो बाज़ न आयेंगे वे ज़ुल्म करने वाले हैं।

(सूरः हुजुरात आयत 11)

वायदा ख़िलाफ़ी मुनाफ़कत है

तीसरी नसीहतः यह फ़रमायी कि अपने भाई से वायदा करके उसके ख़िलाफ़ न करो। यह भी बहुत अहम नसीहत है, जिसमें लोग बहुत कोताही करते हैं। जब किसी से कोई वायदा करे तो वायदा करने से पहले अपने हालात और समय के एतिबार से ख़ूब ग़ौर करे कि यह वायदा मुझसे पूरा हो सकेगा या नहीं, और अपनी बात को निबाह सकूँगा या नहीं। अगर वायदा पूरा कर सकता हो तो वायदा करे वरना उज़्र कर दे, झूठा वायदा करना हराम है। जब वायदा कर ले तो जहाँ तक हो सके पूरी तरह अन्जाम देने की कोशिश करे। बहुत-से लोग टालने के लिये या समय को निकालने के ख़्याल से वायदा कर लेते हैं फिर उसको पूरा नहीं करते, और यह नहीं समझते कि झूठा वायदा गुनाह है। और वायदा करने के बाद उसके ख़िलाफ़ करना भी सख़्त गुनाह है।

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान फ़रमाया कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने खुतबा दिया (संबोधन किया) हो और यह न फ़रमाया हो कि:

हदीसः उसका कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं, और उसका कोई दीन नहीं जो अ़हद का पूरा नहीं है।

(मिश्काल शरीफ पेज 15)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं, चाहे रोज़ा रखे और नमाज़ पढ़े, और अपने बारे में यह समझे कि मैं मुसलमान हूँ। (उसके बाद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वे तीनों निशानियाँ ज़िक्र फ़रमाईं) (1) जब बात करे तो झूठ बोले (2) जब वायदा करे तो उसके ख़िलाफ़ करे (3) जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़ियानत करे। (मिश्कात)

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स में ये चार ख़सलतें होंगी वह ख़ालिस मुनाफ़िक़ होगा, और जिसमें इनमें से एक ख़सलत होगी तो उसमें निफ़ाक़ की एक ख़सलत होगी जब तक उसको छोड़ न दे।

(1) जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़ियानत करे।

(2) जब बात करे तो झूठ बोले।

(3) अ़हद करे तो धोखा दे।

(4) झगड़ा करे तो गाली बके। (बुख़ारी व मुस्लिम)

पस हर मुसलमान मर्द व औरत पर लाज़िम है कि झूठे वायदे से, बद-अहदी से और वायदे की ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) से ख़ूब ज़्यादा ख़्याल करके महफ़ूज़ रहे।

पैसा होते हुए क़र्ज़ा अदा न करना ज़ुल्म है

बहुत-से लोग वक़्ती ज़रूरत के लिये दुकानदार से सौदा उधार ले लेते हैं, या किसी से नक़द रक़म ले लेते हैं, बाद में क़र्ज़ देने वाले को सताते हैं, वायदे पर वायदे किये जाते हैं लेकिन क़र्ज़ की अदायगी नहीं करते। दूसरे का माल भी ले लिया और उसको वायदा-ख़िलाफ़ी के ज़रिये तकलीफ़ भी दे रहे हैं और तक़ाज़ों के लिये आने-जाने की वजह से उसका वक़्त भी बरबाद करते हैं। हर शख़्स को यह सोचना चाहिये कि मैं उसकी जगह होता तो मैं अपने लिये क्या पसन्द करता, जो अपने लिये पसन्द करे वही दूसरे के लिये पसन्द करना लाज़िम है।

जिस शख़्स के पास अदायगी के लिये माल मौजूद न हो वह क़र्ज़-ख़्वाह (यानी जिसका क़र्ज़ा है) से माज़िरत कर ले और मोहलत माँगे और उस तारीख़ पर अदायगी का वायदा करे जिस वक़्त पैसा पास होने का पूरा अन्दाज़ा और गुमान हो। और जिसके पास माल मौजूद हो वह फ़ौरन क़र्ज़-ख़्वाह का हक़ अदा कर दे बिल्कुल टाल-मटोल न करे। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

हदीसः जिसके पास अदायगी के लिये माल मौजूद हो उसका टाल-मटोल करना ज़ुल्म है। (मिश्कात शरीफ़)

इस हदीस में उन लोगों के लिये ख़ास तंबीह है जो अदायगी

का इन्तिज़ाम होते हुए हक़ वाले को आजकल पर टालते रहते हैं और झूठे वायदे करके टरख़ाते रहते हैं। ऐसे झूठे वायदे करने वाले को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ज़ालिम क़रार दिया है।

मुसलमान भाई की मुसीबत पर ख़ुश होने की मनाही

हदीसः (33) हज़रत वासला रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अपने भाई की मुसीबत पर ख़ुशी ज़ाहिर न करो (मुमकिन है) उसके बाद अल्लाह उसपर रहम फ़रमा दे और तुझे मुब्तला फ़रमा दे। (मिश्कात शरीफ़ पेज 414)

तशरीहः इस हदीस में एक अहम मज़मून इरशाद फ़रमाया है, और वह यह कि जब किसी मुसलमान को मर्द हो या औ़रत, किसी तरह के दुख-तकलीफ़ या नुक़सान व ख़सारे वग़ैरह में मुब्तला देखो तो इस पर कभी ख़ुशी का इज़्हार मत करो, क्योंकि यह कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा मुसीबत से बचे रह जाओ। यह बहुत मुमकिन है कि तुमने जिसकी मुसीबत पर ख़ुशी का इज़्हार किया है अल्लाह पाक उसको उस मुसीबत से नजात दे दे और तुमको उस मुसीबत में मुब्तला कर दे। और यह महज़ एक फ़र्ज़ी बात नहीं है बल्कि उमूमन देखने में आता है और अकसर ऐसा होता रहता है कि जब किसी के दुख, मुसीबत और तकलीफ़ पर किसी ने ख़ुशी का इज़्हार किया या किसी के जिस्मानी अंगों का मज़ाक़ बनाया, किसी तरह की कोई नक़्ल उतारी तो ख़ुशी ज़ाहिर करने वाला, मज़ाक़ उड़ाने वाला और

नक़्ल उतारने वाला ख़ुद उसी मुसीबत, ऐब और बुराई में मुब्तला हो जाता है जो दूसरे में था। अगर किसी शख़्स में कोई ऐब है दीनी या दुनियावी तो उसपर खुश होना या उसपर ताने के तौर पर उसको ज़िक्र करना और बतौर नुक़्स और ऐब के उसको बयान करना मना है। हाँ! अगर इख़्लास (नेक-नीयती) के साथ नसीहत के तौर पर ख़ैरख़्वाही के साथ नसीहत करे तो यह अच्छी चीज़ है, लेकिन हक़ कहने का बहाना करके या यह कहकर कि हम तो बुरे कामों से मना करने का जो हदीस में हुक्म आया है उस फ़रीज़े की अदायगी कर रहे हैं, जबकि मक़सद उसपर ताना मारना और ऐब लगाना है, और दिल की भड़ास निकालना है, यह दुरुस्त नहीं है।

मुख़लिस (शुभ-चिन्तक) की बात हमदर्दाना होती है और नसीहत का तर्ज़ और ही होता है। तन्हाई में समझाया जाता है, रुस्वा करना मक़सद नहीं होता। और जहाँ नफ़्स की मिलावट हो उसका तर्ज़ और लहजा दिल को चीरता चला जाता है। किसी को ऐबदार बताने के लिये ऐब का ज़िक्र करना जायज़ नहीं है, इसका नतीजा भी बुरा होता है। फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि जिसने अपने भाई को किसी गुनाह का ऐब लगाया तो वह उस वक़्त तक नहीं मरेगा जब तक उस गुनाह को ख़ुद न कर लेगा। (तिर्मिज़ी)

अच्छे अख़्लाक़ से मुताल्लिक़ एक जामे हदीस

हदीसः (34) हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद

फ़रमाया कि आपस में हसद न करो, और एक दूसरे के भाव पर भाव मत बढ़ाओ, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, और एक दूसरे से मुँह न मोड़ो, और एक शख़्स दूसरे की बै पर बै न करे, और अल्लाह के बन्दे भाई-भाई बनकर रहो। (फिर फ़रमाया) मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उसपर ज़ुल्म करे और न उसको बेकसी की हालत में छोड़े, न उसे हक़ीर जाने। (इसके बाद) तीन बार अपने मुबारक सीने की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया कि तक़्वा (परहेज़गारी) यहाँ है। (फिर फ़रमाया कि) इनसान के बुरा होने के लिये काफ़ी है कि अपने मुसलमान भाई को हक़ीर जाने। मुसलमान के लिये मुसलमान का सब कुछ हराम है, उसका ख़ून भी, माल भी, आबरू भी। (मुस्लिम शरीफ़ 317 जिल्द 2)

तशरीहः यह मुबारक हदीस बड़े फ़ायदों, अहकाम और जामे (व्यापक) नसीहतों पर आधारित है। पहली नसीहत यह फ़रमायी कि आपस में हसद न करो।

हसद का वबालः हसद बड़ी बुरी बला है। जो हासिद होगा वह ज़रूर ही अपने दिल व दिमाग़ का नास करके रहेगा। क़ुरआन मजीद में हासिद के हसद से पनाह माँगने की तालीम दी गयी है:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

तर्जुमाः और हसद करने वाले के शर से जब वह हसद करे। (सूरः फ़लक़ आयत 5)

एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि हसद से बचो क्योंकि वह नेकियों को इस

तरह खा जाता है जैसे लकड़ियों को आग खा जाती है। (मिश्कात)

आलिमों ने फ़रमाया है कि हसद हराम है। हसद हराम होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जिसको अल्लाह तआ़ला ने जो कुछ दिया है हिक्मत (मस्लेहत) के बग़ैर नहीं दिया है। अब जो हसद करने वाला यह चाहता है कि यह नेमत फ़लाँ शख़्स के पास न रहे तो दर हक़ीक़त यह अल्लाह पर एतिराज़ है कि उसने उसको क्यों नवाज़ा? और हिक्मत के ख़िलाफ़ उसको दूसरे हाल में क्यों न रखा। ज़ाहिर है कि मख़्लूक़ को ख़ालिक़ के काम में दख़ल देने का कुछ हक़ नहीं है, और न मख़्लूक़ इस लायक़ है कि उसको यह हक़ दिया जाये। हम अपने दुनियावी इन्तिज़ाम में और घरेलू मामलात में रोज़ाना ऐसे काम कर गुज़रते हैं जो हमारे बच्चों की समझ से बाहर होते हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे काम में दख़ल दें तो हमको किस क़द्र बुरा मालूम होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त तो कुल मुख़्तार हैं जो चाहें करें, उनकी तक़सीम में किसी को दख़ल देने का क्या हक़ है?

जब किसी को हसद हो जाता है तो जिससे हसद करता है उसको नुक़सान पहुँचाने के पीछे लग जाता है। उसकी ग़ीबत करता है और उसको जानी व माली नुक़सान पहुँचाने की फ़िक्र में लगा रहता है। जिसकी वजह से बड़े-बड़े गुनाहों में घिर जाता है। फिर ऐसे शख़्स को अव्वल तो नेकी करने का मौक़ा ही नहीं मिलता, और अगर कोई नेकी कर गुज़रता है तो चूँकि वह आख़िरत में उसे मिलेगी जिससे हसद किया है, तो नेकी करना न करना बराबर हो गया। इरशाद फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम ने कि पहली उम्मतों की बीमारी यानी हसद तुम तक आ पहुँची है, और बुग़्ज़ तो मूँड देने वाला है। मैं नहीं कहता कि वह बालों को मूँडता है, वह दीन को मूँड देता है। (मिश्कात)

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बुग़्ज़ को दीन का मूँडने वाला फ़रमाया। मूँडने से तश्बीह देने की वजह यह है कि जिस तरह उस्तुरा बाल को मूँडता चला जाता है और हर छोटे बड़े बाल को अलग कर देता है, इसी तरह बुग़्ज़ की वजह से सब नेकियाँ ख़त्म होती चली जाती हैं। हसद करने वाला दुनिया व आख़िरत में अपना बुरा करता है, नेकियों से भी मेहरूम रहता है, और कोई नेकी हो भी जाती है तो हसद की आग उसे राख बनाकर रख देती है। दुनिया में हसद करने वाले के लिये हसद एक अज़ाब है जिसकी आग हासिद (हसद करने वाले) के सीने में भड़कती है, और जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता।

क्या ही अच्छी बात किसी ने कही है:

तर्जुमा: हासिद से इन्तिक़ाम लेने के ख़्याल में पड़ने की ज़रूरत नहीं, यही इन्तिक़ाम (बदला) काफ़ी है कि तुमको ख़ुशी होती है तो उस ख़ुशी की वजह से उसे रंज पहुँचता है।

बाज़ हज़रात ने फ़रमाया:

तर्जुमा: हसद एक काँटा है, जिसने इसे पकड़ा हलाक हुआ।

किसी के भाव पर भाव करना

दूसरी नसीहत यह फ़रमायी कि एक दूसरे के भाव पर भाव मत बढ़ाओ, जिसका बाज़ारों में बहुत रिवाज है। वयापारी से कुछ

मिलने के लिये या ख़्वाह-मख़्वाह ख़रीद कर नुक़सान देने के लिये लोग ऐसा करते हैं। कोई शख़्स सौदा बेच रहा है, ग्राहक खड़े हैं, उसने पचास रुपये के माल के सौ रुपये लगा दिये। अब जो दूसरे ख़रीदार हैं धोखे में पड़ गये, लिहाज़ा वे ज़रूर सौ रुपये से ज़्यादा ही लगायेंगे और नुक़सान ही उठायेंगे। ऐसा करने से नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मना फ़रमाया। और मना उसी सूरत में है जबकि ख़रीदना मक़सद न हो (सिर्फ़ धोखा देकर नुक़सान में डालना या बेचने वाले से कुछ वसूल करना मक़सद हो)। अगर ख़ुद ख़रीदने का इरादा हो तो क़ीमत बढ़ाकर जिन दामों में चाहे ख़रीद ले, मगर शर्त यह है कि दूसरे शख़्स से अगर बेचने वाले की गुफ़्तगू हो रही है तो जब तक बेचने वाला उसके लगाए हुए दामों पर देने से इनकार न कर दे उस वक़्त तक बढ़ाना दुरुस्त नहीं वरना दूसरी मनाही का जुर्म हो जायेगा जो इसी हदीस में मौजूद है। यानीः "एक शख़्स दूसरे की बै पर बै न करे"

एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

हदीसः कोई शख़्स अपने भाई के मामले पर मामला न करे, और उसके निकाह के पैग़ाम पर अपना पैग़ाम न भेजे। हाँ! अगर वह इजाज़त दे दे तो दुरुस्त है। (मुस्लिम शरीफ़)

नीलामी का मौजूदा तरीक़ा

आजकल नीलाम के ज़रिये बेचने का रिवाज है। बोली बोलने वाले अपने साथ एक दो आदमी लगा लेते हैं और उनको पहले

से तैयार करके खड़ा रखते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा दाम बोल देना तुमको हम इतना रुपया दे देंगे। यह मना है। ऐसा करने वाले धोखा और फ़रेब देने के गुनाह के मुजरिम होते हैं। नीलाम के ज़रिये फ़रोख़्त करना दुरुस्त है अगर धोखा न हो। नीलाम के मौके पर दूसरे के लगाए हूए दामों से बढ़ाकर दाम लगाना दुरुस्त है लेकिन शरअ़न बेचने वाले को आख़िरी बोली पर छोड़ देना ज़रूरी नहीं, वह चाहे तो न दे।

यह जो रिवाज है कि आख़िरी बोली बोलने वाले पर छोड़े वरना आख़िरी बोली वाले को कुछ दे, शरअ़न ग़लत है। आख़िरी बोली वाले को इस बुनियाद पर कोई पैसा लेना हलाल नहीं है कि मेरी आख़िरी बोली पर नीलाम ख़त्म नहीं किया।

बुग़्ज़ और कता-ताल्लुक़ की निन्दा

तीसरी नसीहत यह फ़रमायी कि आपस में बुग़्ज़ न करो। एक दूसरे से मुँह न मोड़ो, जब आपस में बुग़्ज़ व दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है तो दूसरे की सूरत देखना तक गवारा नहीं होता। बात-चीत ख़त्म होने के साथ-साथ आमना-सामना भी बुरा लगता है। इस्लामी शरीअ़त ने मेल-मुहब्बत और उलफ़त पर बहुत ज़ोर दिया है, बुग़्ज़ व अ़दावत, नफ़रत और दूसरे को ज़लील व रुस्वा करने से बचने की सख़्त ताकीद फ़रमायी है। इनसान इनसान है, कभी तबीयत में मैल आ जाता है, और इनसानी तक़ाज़ों की बिना पर ऐसा हो जाना बईद नहीं है, लेकिन तबीयत के तक़ाज़े की शरीअ़त ने एक हद रखी है, और वह यह है कि सिर्फ़ तीन दिन कता-ताल्लुक़ करने की गुंजाइश है। नबी

करीम का इरशाद है:

हदीसः किसी मुसलमान के लिये यह हलाल नहीं है कि अपने भाई (मुसलमान) से तीन दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ात तोड़े रखे। पस जिसने तीन दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ तोड़े रखा और उस दौरान में मर गया तो दोज़ख़ में जायेगा। (मिश्कात शरीफ़)

हदीस की किताब अबू दाऊद में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया है कि जिसने एक साल तक अपने भाई से ताल्लुक़ तोड़े रखा वह ऐसा है जैसे उसका ख़ून बहा दिया। (मिश्कात)

एक-दूसरे से मुँह फैरने के मुताल्लिक एक हदीस में इरशाद फ़रमाया है किः

हदीसः किसी शख़्स के लिये यह हलाल नहीं है कि अपने (मुसलमान) भाई से तीन रात से ज़्यादा ताल्लुक़ात छोड़े रखे (और) मुलाक़ात का इत्तिफ़ाक़ पड़ जाये तो यह इधर को मुँह फैर ले और वह उधर को मुँह फैर ले। (फिर फ़रमाया) दोनों में बेहतर वह है जो पहले सलाम करके बोल-चाल की शुरूआ़त कर दे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और ऐसा करने में नफ़्स की बात को ठुकरा कर ख़ुदा पाक के हुक्म को सामने रखकर सुलह की तरफ़ बढ़ने में आगे क़दम बढ़ाये और दिल में यह न सोचे कि मैं क्यों पहल करूँ, मेरी हैसियत कम नहीं है, इस तरह से सोचना तकब्बुर और घमण्ड की बात है। इनसान को हर हाल में तवाज़ो लाज़िम है।

एक हदीस में इरशाद है कि किसी मोमिन के लिये यह

जायज़ नहीं है कि तीन दिन से ज़्यादा मुसलमान से ताल्लुक़ तोड़े रखे। तीन दिन गुज़र जाने के बाद ख़ुद मुलाक़ात करे और सलाम करे। अगर उसने सलाम का जवाब दे दिया तो दोनों को अज्र मिला वरना सलाम करने वाला ताल्लुक़ तोड़ने के गुनाह से बच गया। (अबू दाऊद)

मसलाः तीन बार सलाम करे, अगर वह तीनों बार जवाब न दे तो वही गुनाहगार रहेगा। (बुख़ारी)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हर हफ़्ते में दो बार (अल्लाह की बारगाह में) लोगों के आमाल पेश होते हैं- एक पीर के दिन, दूसरे जुमेरात के दिन। सो हर मोमिन बन्दे की बख़्शिश कर दी जाती है मगर ऐसे बन्दे की बख़्शिश नहीं होती जिसकी अपने भाई से दुश्मनी हो। इरशाद होता है कि (अभी) दोनों को छोड़ो यहाँ तक कि (अपनी दुश्मनी से) बाज़ आ जायें। (मुस्लिम)

अल्लाह के बन्दे भाई-भाई बनकर रहो की तफ़सीर

उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह के बन्दे भाई-भाई बनकर रहो, यह बड़ी पुर-मग़्ज़ हिदायत है। ग़ौर करने के बाद दो गहरी और बारीक हिक्मतों की तरफ़ इशारा निकलता है।

पहलीः यह कि अल्लाह के बन्दे को बन्दगी से फ़ुरसत कहाँ? जो ग़ुरूर और शेख़ी में पड़े, अपनी आजिज़ी और बेकसी का ख़्याल रखना लाज़िम है। और यह सोचना ज़रूरी है कि मैं अपने ख़ालिक़ व मालिक का बन्दा हूँ। उसने तवाज़ो का हुक्म दिया है।

उसके सामने उसकी बादशाहत में उसकी मख़्लूक़ के साथ लड़ाई भिड़ाई और गुरूर और बड़ाई का मुझको क्या हक़ है? बन्दगी से फ़ुरसत हो तो सर उठाए। यह तसव्वुर जिसको बंध जाये अकड़-मकड़ गुरूर तकब्बुर शैख़ी दुश्मनी हसद बुग़्ज़ से परहेज़ करेगा, बल्कि उसको बड़ाई का ख़्याल तक न आयेगा। कुरआन मजीद में इस हक़ीक़त को वाज़ेह करते हुए फ़रमाया है:

तर्जुमाः और न चल ज़मीन में इतराता हुआ, बेशक तू ज़मीन को हरगिज़ न फाड़ सकेगा, और लम्बा होकर पहाड़ों तक न पहुँच सकेगा। (सूरः बनी इस्राईल आयत 37)

सूरः फ़ुरक़ान में इरशाद है:

तर्जुमाः और रहमान के बन्दे वे हैं जो ज़मीन पर दबे पाँव चलते हैं। और जब उनसे बे-समझ लोग ख़िताब करते हैं तो वे (जवाब में) कहते हैं कि हम सलाम करते हैं।

(सूरः फ़ुरक़ान आयत 63)

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

हदीसः मैं इस तरह (बैठकर) खाना खाता हूँ जैसे गुलाम खाना खाता है, और इस तरह बैठता हूँ जैसे गुलाम बैठता है।

(मिश्कात शरीफ़)

ख़ुदा हर वक़्त हर जगह हाज़िर नाज़िर है। उसके सामने तकब्बुर की बैठक बन्दगी में कमाल रखने वाले नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) क्योंकर गवारा फ़रमाते?

दूसरीः गहरी और बारीक हिक्मत जिसकी तरफ़ हदीस के अलफ़ाज़ "कूनू इबादल्लाहि इख़्वाना" (यानी अल्लाह के बन्दे भाई

भाई बन जाओ) में इशारा निकलता है। वह यह है कि सिर्फ़ भाई का लफ़्ज़ रटने से मुहब्बत पैदा न होगी और हमदर्दियों की तरफ़ तबीयत न चलेगी, माँ-जाय सगे भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई को वह भाईचारा और भाई होने का रिश्ता रोक सकता है जिसमें अल्लाह के ताल्लुक़ को दख़ल हो, यानी भाई-भाई बनने में अल्लाह की बन्दगी, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की बड़ाई का ध्यान हो, और उलफ़त मुहब्बत का सबब रस्म व रिवाज या आरज़ी (अस्थाई) फ़िज़ा और माहौल न हो बल्कि उसका असली सबब यह हो कि मैं भी अल्लाह का बन्दा हूँ और यह भी अल्लाह का बन्दा है। अल्लाह का बन्दा होने की वजह से इस लायक़ है कि इससे मुहब्बत की जाये और इसको भाई माना जाये।

दुनिया में मुहब्बत व भाईचारे के बहुत-से असबाब हैं। कुछ लोग एक माँ-बाप के बेटे होने की वजह से भाई-भाई हैं, और कुछ लोग एक वतन में रहने की वजह से भाई-भाई होने के मुद्दई हैं। और इसी तरह की बहुत सारी निस्बतें दुनिया में जारी हैं, जिनकी वजह से भाई होने व मुहब्बत के दावे किये जाते हैं। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जो बिरादराना रिश्ता है उसके बारे में उसे सोचना चाहिये कि इससे जो मेरा ताल्लुक़ है वह यह है कि मैं भी उस ख़ुदा पाक का पूजने वाला हूँ जिसका कोई शरीक नहीं, और उसी का पूजने वाला यह है। यह समानता बड़ी मज़बूत व पायदार है। मुझे ज़रूर इसका लिहाज़ रखना ज़रूरी है और हुक़ूक़ की अदायगी ज़रूरी है।

मुसलमान भाई पर ज़ुल्म न करो

हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। (और भाई होने का तक़ाज़ा यह है कि) न उसपर ज़ुल्म करे न उसको बेकसी की हालत में छोड़े, न उसको हक़ीर जाने।

ज़ुल्म बड़े गुनाहों में से है। और हर एक के साथ ज़ुल्म का बर्ताव करना हराम है, ख़ुसूसन मुसलमान पर ज़ुल्म करना, जिसको अपना भाई और कलिमे का शरीक मान लिया, और भी ज़्यादा बुरा है।

ज़ुल्म जानी भी होता है और माली भी होता है। ज़ुल्म की तमाम क़िस्मों से परहेज़ फ़र्ज़ है। मुसलमान को बेकसी की हालत में छोड़ना भाई होने के तक़ाज़े के ख़िलाफ़ है। जब भी किसी मुसलमान को मुसीबत मे मुब्तला देखे तो जहाँ तक मुमकिन हो उसकी इमदाद करे। मदद हर मौक़े पर ज़रूरी और लाज़िम है। ख़ुद ग़ीबत न करे और उसकी ग़ीबत और बे-आबरूई होती देखे तो उसकी मदद करे। यानी उसका बचाव करे, और हर तरह से उसका भला चाहे।

मुसलमान को हक़ीर समझने की निन्दा

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भाई होने के हुक़ूक़ बयान फ़रमाते हुए यह भी इरशाद फ़रमाया कि मुसलामन भाई को हक़ीर न समझे। किसी को हक़ीर (कम-दर्जा और ज़लील) जानना बुरा मर्ज़ है, जो तकब्बुर की वजह से पैदा होता है। हक़ीर समझने की जितनी सूरतें हैं उन सबसे परहेज़ लाज़िम

है। किसी का मज़ाक़ बनाना, बुरा नाम तजवीज़ करना, टूटा-फूटा हाल देखकर अपने से कम समझना, ये हक़ीर बनाने और हक़ीर समझने की सूरतें हैं। और बहुत-से लोग अपनी दीनदारी की वजह से दूसरे बे-अ़मल मुसलमान को हक़ीर जानते हैं हालाँकि छोटाई-बड़ाई और इ़ज़्ज़त व दौलत के मनाज़िर आख़िरत में सामने आयेंगे। जो वहाँ मोअ़ज़्ज़ज़ (सम्मान वाला) हो वही सही मायनों में इ़ज़्ज़त वाला है, और जो वहाँ हक़ीर हुआ वही असली हक़ीर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने मुबारक सीने की तरफ़ इशारा करके फ़रमायाः तक़्वा (परहेज़गारी) यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यानी तक़्वा बड़ा और छोटा होने का मेयार है, जो अल्लाह से जिस क़द्र डरेगा उसी क़द्र मोअ़ज़्ज़ज़ (इ़ज़्ज़त व सम्मान वाला) और आबरू वाला होगा।

बहुत-से लोग परहेज़गारी के मेयार पर कसे बग़ैर किसी की दुनियावी हैसियत से कमतर देखकर हक़ीर समझने लगते हैं जो सरासर नादानी और अपने नफ़्स पर ज़ुल्म है। बल्कि जो लोग दीनदारी में अपने को दूसरे से बड़ा देखें उनको भी यह दुरुस्त नहीं कि अपने से कम इबादत वाले को हक़ीर जानें, क्या ख़बर वह तौबा व इस्तिग़फ़ार में ज़्यादा अ़मल वाले से बढ़ा हुआ हो, और ज़्यादा अ़मल वाले के दिल में इख़्लास कम हो।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इनसान के बुरा होने के लिये यही काफ़ी है कि मुसलमान भाई को हक़ीर जाने, यानी किसी में कोई और खोट और ऐब हो या न हो, बुरा होने के लिये यही काफ़ी है कि मुसलमान भाई को हक़ीर जाने, क्योंकि जो दूसरों को हक़ीर जानता है उसमें गुरूर व

तकब्बुर होता है। तकब्बुर की बुराई सबको मालूम है।

फिर आख़िर में हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमया कि मुसलमान पर मुसलमान का सब कुछ हराम है। उसका ख़ून भी, उसका माल भी, (जो उसकी दिली ख़ुशी के बग़ैर ले लिया जाये) और उसकी आबरू भी। यानी मुसलमान पर न जानी ज़ुल्म करे न माली, और न उसकी बे-आबरूई करे।

आदाब का बयान

इस्लामी आदाब एक नज़र में

हदीसः (35) हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान फ़रमाया कि मैं (बचपन में) हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की गोद में (परवरिश पाता) था। (एक बार जो साथ खाना खाने बैठे तो) मेरा हाथ प्याले में (हर तरफ़) घूम रहा था। नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खा और दाहिने हाथ से खा और जो हिस्सा तुझसे क़रीब है उसमें से खा। (मिश्कात शरीफ़ पेज 363)

तशरीहः उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा भी उन मुबारक हस्तियों में हैं जिन्होंने इस्लाम के शुरू के दौर ही में इस्लाम क़बूल कर लिया था। उनका नाम हिन्द था। उम्मे सलमा (यानी सलमा की माँ) 'कुन्नियत' (1) है। उनके पहले शौहर अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल असद रज़ियल्लाहु अ़न्हु भी

इस्लाम क़बूल करने में शुरू के हज़रात में से थे। इस्लामी तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है कि वह ग्यारहवें मुसलमान थे। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तौहीद वाली दावत से मक्का के मुश्रिकीन बहुत बरगश्ता थे, और जो शख़्स इस्लाम क़बूल कर लेता था उसे बहुत-सी तकलीफ़ें पहुँचाते थे।

इसी लिये बहुत-से सहाबा हब्शा चले गये थे। यह इस्लाम में सबसे पहली हिजरत थी। इस हिजरत के सफ़र में मर्द और औरतें सभी थे। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बेटी हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सलमा और उनके शौहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस हिजरत में शरीक थे। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल असद था जो हज़रत उम्मे सलमा के चचाज़ाद भाई थे। हब्शा में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सलमा रखा गया, उसी के नाम से बाप की कुन्नियत अबू सलमा और माँ की कुन्नियत उम्मे सलमा हो गयी। कुछ दिनों के बाद दोनों हज़रात हब्शा से मक्का मुअज़्ज़मा वापस आ गये, फिर पहले अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने और उनके एक साल के बाद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीने मुनव्वरा को हिजरत फ़रमायी। मदीना मुनव्वरा में एक लड़का और दो लड़कियाँ पैदा हुईं। लड़के का

(1) अ़रब में यह ख़ास दस्तूर है कि असल नाम के साथ-साथ बेटे या बाप की तरफ़ निस्बत करके भी पुकारते हैं जैसे 'अबू सलमा' यानी सलमा का बाप, 'इब्ने उमर' उमर का बेटा, इस तरह निस्बत से जो नाम लिया जाता है उसे 'कुन्नियत' कहते हैं।

मुहम्मद इमरान क़ासमी

नाम उमर और लड़की का नाम दुर्रह और दूसरी लड़की का नाम ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुम रखा गया।

हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बदर की लड़ाई और उहुद की लड़ाई में शरीक हुए। उहुद की लड़ाई में उनके एक ज़ख़्म आ गया जो बज़ाहिर अच्छा हो गया था। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें एक दस्ते का अमीर बनाकर भेज दिया था। वापस आये तो वह ज़ख़्म हरा हो गया और उसी के असर से जमादिउस्सानी सन् चार हिजरी में वफ़ात पाई। जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की इद्दत ख़त्म हुई तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे निकाह फ़रमा लिया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ख़ुद रिवायत फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचे और वह अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक़ यह पढ़े:

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्-म अजिर्नी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़् ली ख़ैरम् मिन्हा

तर्जुमाः हम अल्लाह ही के लिये हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ़ लौटकर जाना है। ऐ अल्लाह! मेरी मुसीबत में मुझे इसका सवाब दे और इससे बेहतर इसका बदल इनायत फ़रमा।

तो अल्लाह तआला ज़रूर उसको गई हुई चीज़ से बेहतर अता फ़रमाएँगे। जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो गयी तो (मुझे यह हदीस याद आयी और) दिल में कहा (कि इस दुआ को क्या पढ़ूँ) अबू सलमा से बेहतर और कौन होगा? वह

सबसे पहला शख़्स था जिसने सबसे पहले अपने घर से हिजरत की, फिर आख़िरकार मैंने यह दुआ पढ़ ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि अल्लाह तआला ने अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के निकाह में आने का शर्फ़ (सम्मान) अ़ता फ़रमाया।

निकाह के बाद जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मकान में तशरीफ़ लाईं तो देखा कि वहाँ एक मटके में जौ रखे हुए हैं, और एक चक्की और एक हाँडी भी मौजूद है। हज़रत उम्मे सलमा ने ख़ुद जौ पीसे और चिकनाई डालकर मालीदा बनाया और पहले ही दिन अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तैयार किया हुआ मालीदा खिलाया।

जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मकान शरीफ़ में आईं तो अपने छोटे बच्चों के साथ आ गईं जैसा कि पहले शौहर की छोटी औलाद माँ के साथ आ जाया करती है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने बच्चों की तरह उनके बच्चों की भी परवरिश फ़रमायी और उनकी तालीम व तरबियत का ख़ास ख़्याल रखा।

ऊपर जो हदीस नक़ल की गयी है उसमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के बेटे उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु अपना एक वाक़िआ उसी ज़माने का नक़ल फ़रमाते हैं कि मैं बच्चा था। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की गोद में

परवरिश पाता था। एक दिन जो आपके साथ खाना खाने बैठा तो मेरा हाथ चारों तरफ़ गश्त करने लगा, कभी इधर डाला कभी उधर डाला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस वक़्त तीन नसीहतें फ़रमाईं:

पहली: अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर।

दूसरी: अपने दाहिने हाथ से खा।

तीसरी: जो हिस्सा तुझसे क़रीब है उसमें से खा। यानी प्याले में हर जगह हाथ मत डाल, अपनी तरफ़ जो प्याले का हिस्सा है उसी तरफ़ हाथ डालकर खा।

दूसरी रिवायत में है कि अगर प्लेट में एक ही तरह की चीज़ न हो बल्कि कई चीज़ें हों। (जैसे बादाम अखरोट मुनक़्क़ा खजूरें वग़ैरह) कई चीज़ें भरी हुई हों तो उसमें अपने क़रीब हाथ डालना आदाब में से नहीं है बल्कि हाथ बढ़ाकर जहाँ से जो चीज़ उठाना चाहे उठा सकता है।

इस हदीस में खाने के चन्द आदाब बताए हैं। इस्लाम सरासर अहकाम और आदाब और आमाल का नाम है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुअ़ल्लिमुल-ईमान (ईमान सिखाने वाले) मुअ़ल्लिमुल-इबादात (इबादतों के सिखाने वाले) मुअ़ल्लिमुल-अहकाम (अहकाम के सिखाने वाले) मुअ़ल्लिमुल-अख़्लाक़ (अख़्लाक़ के सिखाने वाले) और मुअ़ल्लिमुल-अदब (अदब के सिखाने वाले) थे। आपने सब कुछ बताया और करके दिखाया ताकि उम्मत की तालीम क़ौल से भी हो और अ़मली तौर पर भी। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सारी ज़िन्दगी पूरी

की पूरी तालीम व तरबियत है। पैदाईश से लेकर मौत तक किस तरह ज़िन्दगी गुज़ारी जाए? और इजतिमाई (सामूहिक) और इनफ़िरादी हैसियत (व्यक्तिगत तौर) से अपने समाज को किन अख़्लाक़ व आदाब से सुसज्जित करें? इसका जवाब हदीस व सीरत की किताबों में मौजूद है। आजकल नमाज़-रोज़े को तो कुछ लोग अहमियत देते भी हैं लेकिन अख़्लाक़ व आदाब को कुछ भी अहमियत नहीं देते, हालाँकि मुअ़ल्लिमे इनसानियत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अख़्लाक़ व आदाब भी बड़ी अहमियत के साथ बताए हैं, जो सरासर इनसानी फ़ितरत के मुवाफ़िक़ हैं। जो लोग अपनी सामाजिक ज़िन्दगी में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तौर-तरीक़े इस्तेमाल नहीं करते और खाने-पीने और रहने-सहने और सोने-जागने और पहनने-ओढ़ने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इरशादात और आपके फ़रमानों का लिहाज़ नहीं रखते, उनकी ज़िन्दगी इनसानियत से दूर और हैवानियत से ज़्यादा क़रीब होती है, जिसको आ़म तौर देखा भी जाता है।

मौजूदा दौर के लोगों ने खाने-पीने और पहनने और ज़िन्दगी गुज़ारने के दूसरे तरीक़ों में यूरोप और अमेरिका के काफ़िरों को अपना इमाम और पैशवा बना रखा है। इन ख़ुदा को भूलने वालों का जो भी तरीक़ा सामने आता है उसे लपक कर क़बूल कर लेते हैं और बड़ी जाँनिसारी के साथ उसपर अ़मल करते हैं। ताज्जुब है कि ईमान तो लाये दोनों जहाँ के सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर और अ़मल करें बेदीनों और ईसाइयों के

तरीक़ों पर! बहुत-से लोग तो इसमें इस क़द्र हद से आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़ा-ए-ज़िन्दगी को अपनाने में ऐब समझते हैं, और यह ख़्याल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े को इख़्तियार करेंगे तो लोग नाम रखेंगे, उंगलियाँ उठायेंगे कि फ़लाँ आदमी बड़ा दक़्यानूसी (पुराने ख़्यालात का) है, मॉडर्न नहीं है। अल्लाह हिदायत दे, कैसी नासमझी के ख़्यालात हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत और तरीक़े पर अमल करने की वजह से किसी इस्लाम के इनकारी ने कुछ कह भी दिया तो उससे क्या होता है, जिस पर हम ईमान लाये हैं हम उसी से जुड़े हुए हैं, वही हमारा आक़ा है, उसी का ज़िन्दगी का तरीक़ा हमको पसन्द है, उसी की शक्ल व सूरत रंग-ढंग लिबास वग़ैरह और पूरा तर्ज़े-ज़िन्दगी हमारा यूनिफ़ार्म है। हम उसके हैं वह हमारा है। अपने आक़ा की पैरवी करने में हल्कापन मेहसूस करना एहसासे-कमतरी है, और सरासर बेवक़ूफ़ी है। क़ुरआन मजीद में इरशाद है:

तर्जुमा: आप फ़रमा दीजिये कि अगर अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरा इत्तिबा (पैरवी) करो, अल्लाह तुम से मुहब्बत फ़रमायेगा, और तुम्हारे गुनाह माफ़ फ़रमा देगा, और अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है।

(सूरः आलि इमरान आयत 31)

इस आयते करीमा में बताया कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े पर ज़िन्दगी गुज़ारने से बन्दा अल्लाह

का महबूब बन जाता है। हमें अल्लाह की बारगाह में महबूब और मक़बूल होना चाहिये। हमारी सआ़दत (सौभाग्य) इसी में है कि अपने आक़ा की पैरवी करें और अपनी गुलामी का अ़मल से सुबूत दें। अल्लाह तआ़ला की किताब कुरआ़न मजीद को उतरे और अल्लाह तआ़ला के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दुनिया में तशरीफ़ लाये तक़रीबन डेढ़ हज़ार साल हो रहे हैं। हमारा दीन और ईमान कुरआ़न और नबी पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से वाबस्ता और जुड़ा हुआ है। वह पुराने हैं और हम भी पुराने हैं। इसमें ऐब की क्या बात है? आख़िर दूसरी क़ौमें भी तो रंग-ढंग तौर-तरीक़ों, शक्ल व सूरत और सज-धज में अपने बड़ों की पैरवी करती हैं, इसमें ये लोग कोई बेइज़्ज़ती महसूस नहीं करते और फ़ख़्र (गर्व) करते हुए अपने दीन के शिआ़र (ख़ास पहचान) को इख़्तियार करते हैं और अपने बड़ों की मुर्दा चीज़ों को ज़िन्दा कर रहे हैं। हालाँकि जिनको ये लोग मानते हैं वे इस दुनिया में आने के एतिबार से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पुराने हैं। हम फिर भी अपने नबी के ज़िन्दगी के तर्ज़ के बजाय दुश्मनों के तौर-तरीक़े सीखते हैं और उनपर अ़मल करते हैं।

आख़िरत में इज़्ज़त और बड़ाई और सुर्ख़रूई नसीब होने की फ़िक्र करने वाले यही कोशिश करते हैं कि हम हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जमाअ़त में शुमार कर लिये जायें और वहाँ की रुस्वाई से महफ़ूज़ रहें। सबसे बड़ी रुस्वाई आख़िरत की रुस्वाई है, उससे बचने के लिये रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दामन से वाबस्ता होना लाज़िम है। जो तमाम नबियों के सरदार और दोनों जहान के आक़ा हैं। सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम।

मुसलमानो! अपने नबी की सुन्नतों पर मर-मिटो। दुनिया के जाहिलों की नज़र में इ़ज़्ज़त वाला बनने के ख़्याल से आख़िरत की बड़ाई और बुलन्दी को न भूलो। वहाँ की ज़िल्लत और रुस्वाई बहुत बड़ी और बहुत बुरी है।

अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक हदीसों से चयन करके इस्लामी आदाब जमा कर रहे हैं। कोशिश यह है कि जो बात बयान हो हदीस का तर्जुमा हो, चाहे वह नबी करीम की ज़बानी हदीस हो या आपका अ़मल हो। हर हदीस के ख़त्म पर हदीस की किताबों का हवाला है। इसी लिये बहुत-सी जगह चन्द आदाब एक साथ बयान करने के बाद हवाला दिया गया है, क्योंकि वे सब एक हदीस में बयान हुए हैं। खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, मेहमानी, मेहमानदारी, सलाम और मुलाक़ात, छींक और जमाई और मजलिस के आदाब अलग-अलग बयान किये गये हैं। तथा लेटने, सोने, ख़्वाब देखने, सफ़र में आने-जाने के आदाब भी लिख दिये हैं। और एक उनवान में ख़ुसूसियत के साथ वे आदाब जमा किये हैं जो औ़रतों और लड़कियों के लिये ख़ास हैं। फिर मुतफ़र्रिक़ आदाब लिखकर इस मौज़ू (विषय) को ख़त्म कर दिया गया है।

वाज़ेह रहे कि आदाब का मतलब यह न समझ लिया जाए कि आदाब ही तो हैं, अ़मल न किया तो क्या हर्ज है। यह बहुत

बड़ी नादानी है। मोमिन के लिये क्या यह बहुत बड़ा हर्ज नहीं है कि अ़मल किया और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तरीक़े के मुताबिक़ न किया? और सुन्नत की पैरवी के सवाब से महरूम रहा। फिर इनमें बहुत-सी चीज़ें वे हैं जिनके ख़िलाफ़ अ़मल करना सख़्त गुनाह है जैसे औरतों को मर्दाना शक्ल व सूरत इख़्तियार करना, सोने चाँदी के बरतनों में खाना खाना, और तकब्बुर की वजह से कपड़ों को ज़मीन पर घसीटते हुए चलना, और जैसे कि मुसलमान के सलाम का जवाब न देना वग़ैरह वग़ैरह। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनके छोड़ने में गुनाह तो न कहा जाएगा लेकिन उनके छोड़ने से बड़े-बड़े नुक़सानात का अन्देशा है, जैसे मश्कीज़े से मुँह लगाकर पानी पीना, (इसमें अन्देशा है कि कीड़ा-मकोड़ा पानी के साथ अन्दर चला जाए)। और जैसे खाना खाकर हाथ धोए बग़ैर सोना, (इसमें अन्देशा है कि कोई जानवर काट ले)। और जैसे उस छत पर सोना जिसमें चार-दीवारी न हो (इसमें सोते-सोते नीचे गिर पड़ने का अन्देशा है)। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बहुत बड़े मेहरबान थे, आपने वे बातें भी बताईं जिन्हें हर अ़क़्लमन्द को ख़ुद ही समझ लेना चाहिए लेकिन आपकी शफ़क़त ने यह गवारा न किया कि अपने लोगों के ख़ुद समझने पर एतिमाद फ़रमा लेते, बल्कि हर बात वाज़ेह (स्पष्ट) तौर पर समझा दी। अल्लाह तआ़ला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल फ़रमाये, आमीन।

अब हम पहले खाने-पीने के आदाब लिखते हैं, उसके बाद दूसरे आदाब शुरू होंगे।

खाने-पीने के आदाब

फ़रमाया रहमते कायनात जनाब नबी करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने किः

हदीसः खाने की बरकत है, खाने से पहले और खाने के बाद वुज़ू करना। (यानी हाथ धोना और कुल्ली करना)। (तिर्मिज़ी)

बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, और अपने पास से खाओ, (यानी बरतन के चारों तरफ़ हाथ न मारो, अपनी तरफ़ से खाओ)। (बुख़ारी व मुस्लिम)

बायें हाथ से हरगिज़ न खाओ न पियो, क्योंकि बायें हाथ से शैतान खाता-पीता है। (मुस्लिम)

जो शख़्स जिस बरतन में खाना खाए फिर उसे साफ़ करे तो बरतन उसके लिये बख़्शिश की दुआ करता है। (तिर्मिज़ी)

जब तुम्हारे हाथ से लुक़्मा गिर जाए तो जो (तिनका वग़ैरह) लग जाए तो उसको हटाकर लुक़्मा खा लो, और शैतान के लिये मत छोड़ो।

जब खाने से फ़ारिग़ हो जाओ तो हाथ धोने से पहले अपनी उंगलियाँ चाट लो, तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के क़ौनसे हिस्से में बरकत है। (मुस्लिम)

बरतन के दरमियान से न खाओ बल्कि किनारे से खाओ क्योंकि दरमियान में बरकत नाज़िल होती है। (तिर्मिज़ी)

आपस में एक साथ मिलकर खाओ और अल्लाह का नाम लेकर खाओ क्योंकि इसमें तुम्हारे लिये बरकत होगी (अबू दाऊद)

जब खाना खाने लगो तो जूते उतार दो, इससे तुम्हारे क़दमों

को आराम मिलेगा। (दारमी)

ऊँट की तरह एक साँस में पानी मत पियो बल्कि दो या तीन साँस में पियो।

और जब पीने लगो तो बिस्मिल्लाह कहो और जब पीकर मुँह से बरतन हटाओ तो अल्हम्दु लिल्लाह कहो। (तिर्मिज़ी)

जो शख़्स (पानी वग़ैरह कोई चीज़) पिलाने वाला हो वह सबसे आख़िर में ख़ुद पीने वाला बने। (मुस्लिम)

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक बार खाना लाया गया, आपने असमा बिन्ते यज़ीद रज़ियल्लाहु अ़न्हा से खाने को फ़रमाया, उन्होंने कहा इस वक़्त ख़्वाहिश नहीं है, आपने फ़रमाया भूख और झूठ को जमा न करो। (इब्ने माजा) यानी भूख होने के बावजूद यह न कहो कि ख़्वाहिश नहीं है।

जब शोरबा पकाओ तो उसमें पानी ज़्यादा डाल दो और उसमें से पड़ोसियों का ख़्याल कर लो। (मुस्लिम)

यानी उनको भी हदिये के (तोहफ़े और देने की चीज़ के) तौर पर सालन भेज दो, तुम्हारे पानी बढ़ा देने से पड़ोसियों को सालन मिल सकता है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेज़ पर और छोटी-छोटी पियालियों में खाना नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम दस्तरख़्वान पर खाते थे। (बुख़ारी शरीफ़)

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि एक आदमी का खाना दो आदमियों को और दो आदमियों का

चार आदमियों को और चार आदमियों का आठ आदमियों को काफ़ी हो जाता है। (मुस्लिम)

यानी इस तरह काम चल सकता है और गुज़ारा हो सकता है। किसी मेहमान या ज़रूरतमन्द के आने से तंगदिल न हों, खुशी के साथ शरीक कर लिया करें।

अगर कुछ लोग मिलकर खजूरें खा रहे हों तो उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कोई शख़्स एक लुक़मे में दो खजूरें न ले जब तक कि अपने साथियों से इजाज़त न ले ले। (बुख़ारी मुस्लिम)

खजूरों की तरह और कोई चीज़ मिलकर खा रहे हों तो उसका भी यही हुक्म है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स प्याज़ खाये तो (बदबू जाने तक) मस्जिद से अलग रहे, या फ़रमाया कि अपने घर में बैठा रहे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

खाना शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़े, अगर शुरू में भूल जाये तो याद आने पर "बिस्मिल्लाहि अव्व-लहू व आख़ि-रहू" पढ़ ले। (तिर्मिज़ी)

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस शख़्स ने इस हाल में रात गुज़ारी कि उसके हाथ में कोई चीज़ (चिकनाई वग़ैरह) लगी हो जिसको धोया न हो, और फिर उसकी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे (जैसे ज़हरीला जानवर काट ले) तो यह शख़्स अपने नफ़्स के अलावा हरगिज़ किसी को मलामत न करे। (तिर्मिज़ी)

क्योंकि उस शख़्स को अपनी ही सुस्ती व ग़फ़लत की वजह से तकलीफ़ पहुँची।

एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पुरानी खजूरें खा रहे थे और उनमें से कीड़े ढूँढकर निकालते जाते थे। (अबू दाऊद)

मालूम हुआ कि कीड़ों के साथ खजूर या कोई फल या दाने वग़ैरह खाना जायज़ नहीं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जब मक्खी तुम में से किसी के बरतन में गिर जाए (तो जो कुछ बरतन में है, जैसे शोरबा दूध चाय वग़ैरह) उसमें मक्खी को पूरी तरह डूबो दे, फिर उसको फैंक दे, क्योंकि उसके एक बाज़ू (पर) में शिफ़ा है और एक बाज़ू में बीमारी है। (बुख़ारी)

एक रिवायत में है कि उसके एक बाज़ू (पर) में ज़हर है और दूसरे में शिफ़ा है, और वह ज़हर वाले बाज़ू को पहले डालती है और शिफ़ा वाले को हटाकर रखती है। (शरह सुन्नत)

दूसरी रिवायत में है कि वह अपने बीमारी वाले बाज़ू के ज़रिये बचाव करती है, (यानी शिफ़ा वाले बाज़ू को महफ़ूज़ रखना चाहती है) लिहाज़ा उसको पूरी तरह डुबो दो (ताकि बीमारी का इलाज भी हो जाए)। (अबू दाऊद)

फ़ायदाः हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह बीमारी का इलाज बताया है और उस खाने को खा लेने का हुक्म नहीं दिया है। अगर तबीयत न चाहे तो न खाए।

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ज़्यादा खाने को पसन्द नहीं फ़रमाया, और फ़रमाया कि ज़्यादा खाना बुरा है और यह

एक तरह की बीमारी है। यानी उस शख़्स के पीछे ऐसी इल्लत लगी हुई है जिससे उसे हर जगह तकलीफ़ होगी और लोग बुरी नज़र से देखेंगे। (बैहक़ी)

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तीन उंगलियों से खाते थे और पौंछने से पहले हाथ चाट लिया करते थे। (मुस्लिम)

जब कोई खाना बहुत गर्म हो तो उसे ढाँककर रख दे। यहाँ तक कि उसकी भाप की तेज़ी ख़त्म हो जाए। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया: ऐसा करना बरकत के लिये बहुत बड़ी चीज़ है। (दारमी)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बयान है कि मैंने हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखा कि उकड़ूँ बैठे हुए खजूरें खा रहे हैं। (बुख़ारी)

दोनों पिंडलियाँ खड़ी करके पन्जों के बल बैठने को उकड़ूँ बैठना कहते हैं।

एक मज्लिस में खाने वाले ज़्यादा हो गये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दोज़ानू (यानी जैसे नमाज़ में बैठते हैं) होकर बैठ गये। (क्योंकि इसमें इन्किसारी भी है) और मजलिस वालों की रियायत भी, इससे उनके लिये जगह निकल आती है। (अबू दाऊद)

दस्तरख़ान उठाने से पहले न उठो।

अगर किसी दूसरे शख़्स के साथ खाना खा रहे हो तो जब तक वह खाना खाता रहे अपना हाथ मत रोको अगरचे पेट भर चुका हो, ताकि उसे शर्मिन्दगी न हो। अगर खाना छोड़ना ही हो तो उज़्र कर दो। (इब्ने माजा, बैहक़ी)

मशकीज़े में मुँह लगाकर मत पियो। (बुख़ारी)

लोटे घड़े या सुराही बोतल वग़ैरह को मुँह लगाकर पीना भी इसी मुमानअ़त (मनाही) में दाख़िल है।

बरतन में न साँस लो न फूँक मारो। (तिर्मिज़ी)

खड़े होकर मत पियो (मुस्लिम) (आबे ज़मज़म और वुज़ू से बचा हुआ पानी इस हुक्म से ख़ारिज है)।

बरतन में फटी-टूटी जगह मुँह लगाकर न पियो। (अबू दाऊद)

हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम टेक लगाकर नहीं खाते थे। (बुख़ारी) क्योंकि यह तकब्बुर की बात है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कभी किसी खाने को ऐब नहीं लगाया, दिल को भाया तो खा लिया, पसन्द न आया तो छोड़ दिया। (बुख़ारी)

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बयान फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमें इस बात से मना फ़रमाया कि हम सोने-चाँदी के बरतन में खायें-पियें। (बुख़ारी व मुस्लिम)

पहनने और ओढ़ने के आदाब

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस शख़्स ने अपने तहबन्द को तकब्बुर के तौर पर इतारते हुए घसीटा, अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी तरफ़ रहमत की नज़र से न देखेंगे। (बुख़ारी व मुस्लिम)

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि टख़्ने से नीचे जो तहबन्द (पाजामा वग़ैरह) का हिस्सा होगा, वह दोज़ख़ में होगा। (बुख़ारी) यानी टख़्ने से नीचे कपड़ा पहनना

दोज़ख़ में लेजाने का सबब है। यह मर्दों के लिए है, औरतें टख़्ने ढके रहें, अलबत्ता इतना नीचा कपड़ा औरतें भी न पहनें जो ज़मीन पर घिसटता हो।

हज़रत असमा बिन्ते यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आस्तीन नीचे तक थी। (तिर्मिज़ी)

हज़रत सुमरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि सफ़ेद कपड़े पहनो, क्योंकि ये साफ़-सुथरे और पाकीज़ा होते हैं। (यह मर्दों को तवज्जोह दिलाई गयी है) और सफ़ेद कपड़ों में अपने मुर्दों को कफ़न दो। (तिर्मिज़ी) हज़रत रकाना रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हमारे और मुश्रिकों के दरमियान टोपियों पर पगड़ी होने का फ़र्क़ है। (तिर्मिज़ी) यानी अगर पगड़ी बाँधे तो उसके नीचे टोपी भी होनी चाहिये। (मर्द इसका ख़्याल रखें)।

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब पगड़ी बाँधते थे तो पगड़ी का शमला (पगड़ी का सिरा) मोंढों के दरमियान डाल देते थे। (तिर्मिज़ी) एक बार सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु को पगड़ी पहनायी तो उसका किनारा सामने की तरफ़ और दूसरा किनारा पीछे की तरफ़ डाल दिया। (अबू दाऊद)

यानी पगड़ी के दोनों तरफ़ एक-एक शमला कर दिया, और

एक को आगे और एक को पीछे डाल दिया। पगड़ी के मसाइल मर्दों से मुताल्लिक़ हैं।

और फ़रमाया रहमते आलम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने: खाओ पियो और सदक़ा करो, और पहनो (लेकिन) इस हद तक कि फ़ुज़ूलख़र्ची और ग़रूर (यानी शैख़ीपन) की मिलावट न हो।

(मुसनद अहमद)

यह भी फ़रमाया कि मेरी उम्मत की औ़रतों के लिए सोना और रेशम (पहनना) हलाल है और मर्दों पर हराम कर दिया गया। (तिर्मिज़ी) और फ़रमाया कि जिसने (दुनिया में) नाम-नमूद का लिबास पहना, अल्लाह तआ़ला उसे क़ियामत के दिन ज़िल्लत का लिबास पहनायेगा (मुस्नद अहमद)

और इरशाद फ़रमाया कि जब तुम (कपड़े) पहनो और जब तुम वुज़ू करो तो दाहिनी तरफ़ से शुरू किया करो (अबू दाऊद) मर्द औ़रत का और औ़रत मर्द का लिबास न पहने, क्योंकि इससे ख़ुदा की लानत होती है। (अबू दाऊद)

जूता पहनते वक़्त पहले दाहिने पाँव में जूता डालो, और जब जूता उतारो तो पहले बायाँ पाँव निकालो। (बुख़ारी) एक जूता पहनकर न चलो, दोनों जूते उतार दो या दोनों पहन लो। (बुख़ारी)

मेहमान के मुताल्लिक़ आदाब

फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि:

जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिये कि मेहमान की इज़्ज़त करे। मेहमान के लिए अच्छे यानी पुर-तकल्लुफ़ खाने का एहतिमाम एक दिन एक रात होना चाहिये,

और मेहमानी तीन दिन तक है, उसके बाद सदक़ा होगा।

और मेहमान के लिए यह हलाल नहीं कि मेज़बान के पास इतना ठहरे कि वह तंग हो जाये। (यह सब बुख़ारी शरीफ़ से लिया गया है)।

जिसकी दावत की गयी और उसने क़बूल न की तो उसने अल्लाह तआ़ला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नाफ़रमानी की। और जो शख़्स बग़ैर दावत के (खाने के लिए) दाख़िल हो गया, वह चोर बनकर अन्दर गया और लुटेरा बनकर निकला। (अबू दाऊद)

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह भी इरशाद फ़रमाया कि सुन्नत तरीक़ा यह है कि मर्द (रुख़्सत करते वक़्त) मेहमान के साथ घर के दरवाज़े तक निकले। (इब्ने माजा)

सलाम के आदाब

फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि:

अल्लाह तआ़ला से सबसे ज़्यादा क़रीब वह शख़्स है जो (दूसरे का इन्तिज़ार किये बग़ैर) ख़ुद सलाम में पहल करे। (बुख़ारी)

इस्लाम का बेहतरीन काम यह है कि खाना खिलाओ और हर मुसलमान को सलाम करो, जान-पहचान हो या न हो। (बुख़ारी) औरतें औरतों में इसका लिहाज़ रखें कि सलाम में जान-पहचान को मेयार न बनायें बल्कि मुसलमान होने को देखें। और मर्द, मर्दों में इसका ख़्याल करें। बात करने से पहले सलाम किया जाये। (तिर्मिज़ी)

सवार पैदल चलने वाले को और पैदल चलने वाला बैठे हुए

को, और थोड़ी तायदाद वाली जमाअत बड़ी जमाअत को, और छोटा बड़े को सलाम करे। (बुख़ारी)

यहूदी व ईसाई को सलाम न करो। (मुस्लिम)

हिन्दू सिख यहूदी ईसाई और मिरज़ाई सब काफ़िर इसी हुक्म में हैं।

जब मुलाक़ात के वक़्त अपने भाई को सलाम कर लिया और (ज़रा देर को) दरमियान में दरख़्त या पत्थर या दीवार की आड़ आ गयी, फिर उसी वक़्त दोबारा मुलाक़ात हो गयी तो दोबारा सलाम करे। (अबू दाऊद)

यानी यह न सोचे कि अभी आधा मिनट ही तो सलाम को हुआ है, इतनी जल्दी दूसरा सलाम क्यों करूँ।

जब किसी घर में दाख़िल हो तो वहाँ के लोगों को सलाम करे। और जब वहाँ से जाने लगे तो उनको सलाम के साथ रुख़सत करे। (बैहक़ी)

जब तुम अपने घर में दाख़िल हो तो घर वालों को सलाम करो, इससे तुम्हारे और घर वालों के लिए बरकत होगी। (तिर्मिज़ी)

जब कोई शख़्स किसी का सलाम लाये तो यूँ जवाब दो:

'अ़लै-क व अ़लैहिस्सलाम' (अबू दाऊद)

मरीज़ की इयादत (बीमारी का हाल पूछने) का मुकम्मल तरीक़ा यह है कि उसकी पेशानी (माथे) पर हाथ रख दिया जाये। और तुम्हारे आपस में सलाम की मुकम्मल सूरत यह है कि मुसाफ़ा कर लिया जाये। (अहमद)

जब दो मुसलमान मुलाक़ात के वक़्त आपस में मुसाफ़ा करें

तो जुदा होने से पहले ज़रूर उनकी बख़्शिश कर दी जाती है।
(तिर्मिज़ी)

मजलिस के आदाब

फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम ने किः

मजलिसें अमानत के साथ हैं। (यानी मजलिस में जो बातें सुने उनका दूसरी जगह बयान करना अमानतदारी के ख़िलाफ़ है और गुनाह है। (अबू दाऊद)

किसी को उसकी जगह से उठाकर खुद न बैठ जाओ। और बैठने वाले को चाहिये कि आने वालों को जगह देने के लिए जगह बनाने की कोशिश करें। (बुख़ारी) जब मजलिस में तीन आदमी हों तो एक को छोड़कर दो आदमी आपस में आहिस्ता से बातें न करें, क्योंकि इससे तीसरे को रंज होगा। (बुख़ारी) किसी ऐसी ज़बान में बातें करना जिसको तीसरा आदमी नहीं जानता वह भी इसी हुक्म में है।

किसी शख़्स के लिए हलाल नहीं कि वह दो शख़्सों के दरमियान बग़ैर उनकी इजाज़त के बैठ जाये। (तिर्मिज़ी) मजलिस में सब लोग मुतफ़र्रिक़ (यानी बिखर कर) न बैठें बल्कि मिल-मिलकर बैठें। (अबू दाऊद)

जब कोई मुसलमान भाई तुम्हारे पास आये तो जगह होने के बावजूद उसके इकराम के लिए ज़रा-सा खिसक जाओ। (बैहक़ी)

हर चीज़ का सरदार होता है और मजलिसों की सरदार वह मजलिस है जिसमें क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके बैठा जाये। (तिबरानी) औरतें भी इसका ख़्याल करें, जब कोई औरत मजलिस

में आये तो उसके लिए ज़रा-सी खिसक जायें।

छींक और जमाई के आदाब

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

जब तुम में से किसी को छींक आये तो चाहिये कि 'अल्हम्दु लिल्लाह' (सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है) कहे। और अल्हम्दु लिल्लाह सुनने वाला साथी जवाब में 'यर्‌हमुकल्लाहु' (अल्लाह आप पर रहम करे) कहे। (बुख़ारी) और फिर छींकने वाला 'यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम' (अल्लाह आपको हिदायत दे और आपके हालात सुधार दे) कहे। (बुख़ारी)

फ़ायदाः अगर छींकने वाली औरत हो तो जवाब देने वाला 'क' पर 'छोटी इ' की मात्रा लगाये यानी यूँ कहेः 'यर्‌हमुकिल्लाहु'।

हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब छींक आती थी तो हाथ या कपड़े से चेहरा मुबारक ढाँक लेते थे और छींक की आवाज़ बुलन्द न होने देते थे। (तिर्मिज़ी)

और फ़रमाया हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि जब तुमको जमाई आये तो मुँह पर हाथ रखकर रोक दो, क्योंकि (जमाई के सबब मुँह खुल जाने से) शैतान दाख़िल हो जाता है। (मुस्लिम)

लेटने और सोने के आदाब

फ़रमाया सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने किः

इस तरह चित न लेटो कि एक पाँव दूसरे पाँव पर रखा हुआ हो। (मुस्लिम) औंधा होकर लेटना अल्लाह को पसन्द नहीं। (तिर्मिज़ी) किसी ऐसी छत पर न सोओ जिस पर (दीवार या

जंगला वग़ैरह) कोई रुकावट न हो। (तिर्मिज़ी) जब बिस्तर पर जाने लगो तो उसको झाड़ लो। और वुज़ू की हालत में दाहिनी करवट पर लेट जाओ, और दाहिना हाथ रुख़्सार (गाल) के नीचे रख लो। (बुख़ारी)

बेशक आग तुम्हारी दुश्मन है, लिहाज़ा जब सोने लगो तो उसको बुझा दिया करो। (बुख़ारी)

जब तुम सोने लगो तो चिराग़ बुझा दो। (अबू दाऊद)

फ़रमाया रसूले अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने: जब तुम में से कोई शख़्स अपनी नींद से जागे तो हरगिज़ अपना हाथ (पानी वग़ैरह के) बरतन में दाख़िल न करे, यहाँ तक कि उसको तीन बार धो ले, क्योंकि वह नहीं जानता कि रात भर उसका हाथ कहाँ रहा। (बुख़ारी) और यह भी इरशाद फ़रमाया कि जब तुम में से कोई शख़्स नींद से जागने के बाद वुज़ू करने लगे तो तीन बार अपनी नाक साफ़ कर ले क्योंकि शैतान उस (की नाक) के बाँसे में रात गुज़ारता है। (बुख़ारी)

ख़्वाब के आदाब

फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि:

जब अपना पसन्दीदा ख़्वाब देखो तो उसी से बयान करो जो तुमसे मुहब्बत रखता है। (बुख़ारी) और जब बुरा ख़्वाब देखो तो तीन बार बाईं तरफ़ थुतकार दो और किसी से बयान न करो, और करवट बदल दो, और तीन बार "अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम" पढ़ो, और उस ख़्वाब की बुराई से पनाह माँगो। ऐसा करने से यह ख़्वाब नुक़सान न देगा। (मुस्लिम)

सफ़र के आदाब

सफ़र को रवाना होते वक़्त चार रकअ़त (नफ़िल नमाज़) पढ़ लेना चाहिये। (मज्मउज़्ज़वाइद)

हमारे प्यारे रसूल सरवरे आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमेरात के दिन सफ़र में जाने को पसन्द फ़रमाते थे। (बुख़ारी) और तन्हा सफ़र करने से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मना फ़रमाया। और इसकी तरग़ीब (प्रेरणा) दी कि कम-से-कम तीन आदमी साथ हों (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद) और चार साथी हों तो बहुत ही अच्छा है। (अबू दाऊद)

और फ़रमाया कि जब सफ़र में तीन आदमी साथ हों तो एक को अमीर बना लें। (अबू दाऊद) और फ़रमाया कि सफ़र में जिसके पास अपनी ज़रूरत से फ़ालतू खाने-पीने की चीज़ें हों तो उन लोगों का ख़्याल करे जिनके पास अपना तोशा न हो।

(मुस्लिम शरीफ़)

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आ़दते शरीफ़ा थी कि जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो चाश्त के वक़्त (यानी दिन के करीब दस-ग्यारह बजे) मदीना में दाख़िल होते और पहले मस्जिद में जाकर दो रकअ़तें पढ़ते, फिर (कुछ देर) लोगों की मुलाक़ात के लिए वहीं तशरीफ़ रखते। (बुख़ारी) इस पर मर्द अ़मल करें।

और फ़रमाया कि सफ़र में अपने साथियों का सरदार वह है जो उनका ख़िदमत-गुज़ार हो। जो शख़्स ख़िदमत में आगे बढ़ गया किसी अ़मल के ज़रिये उसके साथी उससे आगे नहीं बढ़

सकेंगे। हाँ! अगर कोई शहीद हो जाये तो वह आगे बढ़ जायेगा। (बैहक़ी)

सफ़र में जिन लोगों के पास कुत्ता या घन्टी हो उनके साथ (रहमत के) फ़रिश्ते नहीं होते। (मुस्लिम)

जब बहार के ज़माने में जानवरों पर सफ़र करो तो ऊँटों (और दूसरे जानवरों) को उनका हक़ दे दो जो ज़मीन में हैं। (यानी उनको चराते हुए ले जाओ)। और जब सूखे के दिनों में सफ़र करो (जबकि जंगल में घास-फूँस न हो) तो रफ़्तार में तेज़ी इख़्तियार करो (ताकि जानवर जल्दी मन्ज़िल पर पहुँचकर आराम पा ले। (मुस्लिम)

एक और रिवायत में है कि इससे पहले सफ़र ख़त्म कर दो कि जानवर बिल्कुल बेजान हो जाये। (मुस्लिम) जानवरों की पुश्तों को मिम्बर न बनाओ (यानी उनपर सवार होकर खड़े किये हुए बातें न करो, क्योंकि इससे जानवर को ख़्वाह-मख़्वाह तकलीफ़ होती है। बातें करनी हों तो ज़मीन पर उतर जाओ, जब चलने लगो तो फिर सवार हो जाओ। (अबू दाऊद)

जब मन्ज़िल पर उतरें तो जानवरों के कजावे और चारजामे खोल दें, बाद में नफ़िल नमाज़ में (या किसी और काम में मशग़ूल हों)। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का यही अमल था। (अबू दाऊद)

जानवरों के गले में ताँत न डालो (क्योंकि उससे गला कट जाने का ख़तरा है। (बुख़ारी व मुस्लिम) और जब रात को जंगल में पड़ाव डालो तो रास्ते में ठहरने से परहेज़ करो, क्योंकि रात को तरह-तरह के जानवर और कीड़े-मकोड़े निकलते हैं और

रास्ते में फैल जाते हैं। (मुस्लिम)

जब किसी मन्ज़िल पर उतरो तो सब इकट्ठे साथ ठहरो और एक ही जगह रहो, और दूर-दूर पड़ाव न डालो। (अबू दाऊद)

सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, तुम्हें नींद से और खाने-पीने से रोकता है, लिहाज़ा जब वह काम पूरा हो जाये जिसके लिए गये थे, जल्द घर वापस आ जाओ। (बुख़ारी)

तहारत के आदाब

फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि जब पाख़ाने में जाओ तो पेशाब की जगह को दाहिने हाथ से न छुओ, और दाहिने हाथ से इस्तिन्जा न करो। (मुस्लिम)

बड़ा इस्तिन्जा पत्थरों (या तीन ढेलों) से करो। (मुस्लिम) उसके बाद पानी से धोओ। (इब्ने माजा) जब पाख़ाने को जाओ तो क़िब्ला-रुख़ होकर या उधर को पुश्त करके न बैठो। (बुख़ारी) जब पेशाब करने का इरादा करो तो उसके लिए (मुनासिब) जगह तलाश करो। (अबू दाऊद) जैसे परदे का ध्यान करो और हवा के रुख़ पर न बैठो। ठहरे हुए पानी में जो जारी न हो पेशाब न करो। (बुख़ारी) जैसे तालाब, हौज़ वग़ैरह। गुस्लख़ाने में पेशाब न करो इससे अकसर वस्वसे (बुरे ख़्यालात और वहम) पैदा होते हैं। (तिर्मिज़ी) किसी सूराख़ में पेशाब न करो। (अबू दाऊद)

पाख़ाना करते हुए आपस में बातें न करो। (मुस्नद अहमद) पानी के घाटों पर, रास्तों में, साये की जगहों में (जहाँ लोग उठते-बैठते हों) पाख़ाना न करो। (अबू दाऊद) बिस्मिल्लाह कह कर पाख़ाने में दाख़िल हो, क्योंकि बिस्मिल्लाह जिन्नात की आँखों

और इनसानों की शर्मगाहों के दरमियान आड़ (पर्दा और रोक) है। (तिर्मिज़ी) लीद और हड्डियों से इस्तिन्जा न करो। (तिर्मिज़ी)

बाज़े वे आदाब जो औ़रतों और लड़कियों के लिए ख़ास हैं

मर्दों से अ़लैहदा होकर चलें। रास्तों के दरमियान से न गुज़रें, बल्कि किनारों पर चलें। (अबू दाऊद) चाँदी के ज़ेवर से काम चलाना बेहतर है। (अबू दाऊद) जो औ़रत शान (बड़ाई) ज़ाहिर करने के लिए सोने का ज़ेवर पहनेगी तो उसको (इसकी वजह से) अ़ज़ाब होगा। (अबू दाऊद) औ़रतों को अपने हाथों में मेहंदी लगाते रहना चाहिये। (अबू दाऊद)

और यह भी फ़रमाया रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि औ़रत की ख़ुशबू ऐसी हो जिसका रंग ज़ाहिर न हो और ख़ुशबू न आये। (यानी मामूली ख़ुशबू हो)। (अबू दाऊद)

बारीक कपड़ा न पहने। (अबू दाऊद) अगर दुपट्टा बारीक हो तो उसके नीचे मोटा कपड़ा लगा लें। (अबू दाऊद) बजने वाला ज़ेवर न पहनें। (अबू दाऊद) जो औ़रतें मर्दों जैसी शक्ल व सूरत इख़्तियार करें उनपर अल्लाह की लानत है। (बुख़ारी)

और फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कि हरगिज़ कोई (ना–मेहरम) मर्द किसी औ़रत के साथ तन्हाई में न रहे, और हरगिज़ कोई औ़रत सफ़र न करे मगर इस हाल में कि उसके साथ मेहरम हो। (बुख़ारी)

मुतफ़र्रिक़ आदाब

अकड़-अकड़कर इतारते हुए न चलो। (कुरआन शरीफ़) कोई मर्द दो औरतों के दरमियान न चले। (अबू दाऊद) अल्लाह तआला को सफ़ाई-सुथराई पसन्द है, लिहाज़ा घरों से बाहर जो जगह ख़ाली पड़ी हैं उनको साफ़ रखा करो। (तिर्मिज़ी) औरतें अन्दर घर में सफ़ाई खुद रखें और बाहर बच्चों से सफ़ाई करा दिया करें। उस घर में (रहमत के) फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या (जानदार की) तस्वीरें हों। (बुख़ारी)

जब किसी का दरवाज़ा खटखटाओ और अन्दर से पूछें कौन है? तो यह न कहो कि मैं हूँ (बल्कि अपना नाम बता दो)। (बुख़ारी) छुपकर किसी की बात न सुनो। (बुख़ारी) जब किसी को ख़त लिखो तो शुरू में अपना नाम लिखो। (अबू दाऊद) जब किसी के घर जाओ तो पहले इजाज़त ले लो, फिर अन्दर जाओ। (बुख़ारी) और इजाज़त से पहले अन्दर नज़र भी न डालो। (अबू दाऊद) तीन बार इजाज़त माँगो, अगर इजाज़त न मिले तो वापस हो जाओ। (बुख़ारी) और इजाज़त लेते वक़्त दरवाज़े के सामने खड़े न हो, बल्कि दायें या बायें खड़े रहो। (अबू दाऊद) अपनी वालिदा के पास जाना हो तब भी इजाज़त लेकर जाओ। (मुवत्ता मालिक) किसी की चीज़ मज़ाक़ में लेकर न चल दो। (तिर्मिज़ी) नंगी तलवार (जो मयान से बाहर हो) दूसरे शख़्स के हाथ में न दो। (तिर्मिज़ी) (इसी तरह चाकू, छुरी वग़ैरह खुली हुई किसी को न पकड़ाओ। अगर ऐसा करना पड़े तो उसके हाथ में दस्ता दो, फल्का अपने हाथ में रखो, और खुद भी एहतियात से पकड़ो)।

ज़माने को बुरा मत कहो, क्योंकि इसका उलटफेर अल्लाह ही के क़ब्ज़े में है। (मुस्लिम) हवा को बुरा मत कहो। (मुस्लिम) जब छोटे बच्चे की ज़बान चलने लगे तो उससे ला इला-ह इल्लल्लाहु कहलाओ। (हिस्ने हसीन) और सात साल का हो जाये तो उसे नमाज़ सिखाओ और नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो। और जब औलाद दस साल की हो जाये तो उनको नमाज़ न पढ़ने पर मारो और उनके बिस्तर अलग-अलग कर दो। (बुख़ारी) जब शाम का वक़्त हो जाये तो अपने बच्चों को (बाहर निकलने से) रोक लो, क्योंकि उस वक़्त शयातीन फैल जाते हैं। फिर जब रात का शुरू का कुछ वक़्त गुज़र जाये तो बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त दे दो, और बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़े बन्द कर दो, क्योंकि शैतान बन्द दरवाज़े को नहीं खोलता। और बिस्मिल्लाह पढ़कर मश्कीज़ों के मुँह तस्मों से बाँध दो। और अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बरतनों को ढाँक दो। अगर ढाँकने को कुछ भी न मिले तो कम-से-कम बरतन के ऊपर चौड़ाई में एक लकड़ी ही रख दो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

एक रिवायत में बरतनों के ढाँकने और मश्कीज़ों का तस्मा लगाने की वजह यह इरशाद फ़रमायी कि साल भर में एक रात ऐसी होती है जिसमें वबा नाज़िल होती है। (यानी उमूमी बीमारी ताऊन वग़ैरह) यह वबा जिस ऐसे बरतन पर गुज़रती है जिस पर ढक्कन न हो. ऐसे मश्कीज़ों पर जो तस्मे से बन्धा हुआ न हो तो उस वबा का कुछ हिस्सा ज़रूर उस बरतन और मश्कीज़े में नाज़िल हो जाता है। (मुस्लिम)

जब रात को चलना-फिरना बन्द हो जाये (यानी गली-कूचों में आवा-जाही बन्द हो जाये) तो ऐसे वक़्त में बाहर कम निकलो, क्योंकि अल्लाह तआ़ला (इनसानों के अ़लावा) अपनी दूसरी मख़्लूक़ में से जिसे चाहते हैं छोड़ देते हैं। (शरहे सुन्नत) (और हक़ीक़त यह है कि अल्लाह ही सबसे ज़्यादा जानने वाला है।

इन आदाब को ख़ूब याद कर लो और अ़मल में लाओ। बच्चों को याद कराओ, और उनसे अ़मल कराओ। खाते-पीते और सोते-जागते और उठते-बैठते वक़्त और हर मौक़े पर उनसे पूछगछ करो कि फ़लाँ चीज़ पर अ़मल किया या नहीं? अल्लाह तआ़ला हम सब को क़ुरआन व हदीस के बताये हुए आदाब पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन।